खण्ड-187, अंक-1
सोमवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(2 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	३४
उत्तर प्रदेश ऐंटरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	३४—४८
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	४९—६९
कतिपय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	६९
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ (अगले दिन के लिए स्थगित)	६९—७०
कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ के लिए समय निश्चित करने की प्रार्थना	७०—७१
लोक लेखा समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	७१
नस्थियां	७२—८८

प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२८३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमदबख्श, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री

छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री,
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
व्रजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीरहसन, श्री
शमसुलइस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री

शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में संक्रामक रोगों की रोकथाम के काम

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ नगर एवं मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में संक्रामक रोगों से अगस्त, १९५७ के तृतीय सप्ताह तक सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त रोगों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—पहली जनवरी से अगस्त, १९५७ के तृतीय सप्ताह तक आजमगढ़ नगर में केवल दो मृत्युएं हुई उनमें से एक अतिसार से तथा दूसरी सीतला से और मऊनाथ भंजन में २५ मृत्युएं अतिसार (गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से हुई। सीतला से कोई नहीं हुई। दोनों नगरों में बीमारी की रोक थाम के लिए अधिकाधिक हैजे तथा चेचक के टीके लगाये गये तथा बीमारों की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया और घरों तथा नगर के कुओं में पानी का निःसंक्रामीकरण किया गया।

तारांकित प्रश्न

[*१-३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९ सितम्बर, १९५७ क लिए स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले के भड़सर ग्राम में शीशे की फैक्टरी की आवश्यकता

*४—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार ने जिला गाजीपुर के परगना पचोतर भड़सर ग्राम में शीशे की फैक्टरी खोलने की कोई योजना बनायी है ?

कृषि मंत्री के समासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं।

*५—श्री यमुनासिंह—यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर जिले में पलिया के किसानों से गन्ने के मूल्य में काटी गई रकम

*६—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि लखीमपुर जिला के अन्तर्गत पलिया के किसानों से पिछले कई वर्षों में गन्ने के मूल्य में जो दो आना प्रति मन काट कर जमा किया जा रहा है वह धनराशि अब प्रायः बीस लाख रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*७—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह विदित है कि यह रकम इस आश्वासन पर काटी जा रही थी कि उचित धनराशि जमा हो जाने पर सरकार पलिया में ही एक नवीन शुगर मिल खोल देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*८—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसका विचार पलिया, जिला लखीमपुर में नयी शुगर मिल खोलने का है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—पलिया में एक शुगर मिल खुलवाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने उत्तर दिया है, वह गन्ने के मूल्य में से २ आना काटने के सम्बन्ध में है अथवा २० लाख रुपया जमा हो जाने के सम्बन्ध में है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, २ आना प्रति मन जो काटा गया है, उसी के सम्बन्ध में है।

श्री देवनारायण भारतीय—जब २ आना मन काटा गया है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह धनराशि कितनी है, जो १९५७ तक जमा हो चुकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह करीब १६ लाख के है।

श्री देवनारायण भारतीय—जो १६ लाख रुपया सरकार ने जमा कर लिया है तो क्या सरकार उस रुपये की लागत से वहां पर एक शुगर मिल खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह रुपया सोसाइटी के कब्जे में है। सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है कि वहां पर मिल खोली जाय या न खोली जाय, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---यह रुपया जो सोसाइटी के पास है, सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किस आश्वासन पर यह रुपया काटा गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वह तो गन्ना उत्पादकों ने ही स्वयं कटाना शुरू किया था। उसमें कोई आश्वासन की बात नहीं थी।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं भी उत्पादकों में से हूं तो क्या सरकार बतलायेगी कि किस आश्वासन पर यह रुपया काटा गया था ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री सुरथबहादुर शाह---अभी बताया गया कि आश्वासन पर काटा गया तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सरकार की ओर से कोई आश्वासन दिया ही नहीं गया। गोला मिल के प्रबन्धकों और वहां के किसानों में यह राजीनामा हुआ कि उनके पास एक आइडिल प्लान्ट पड़ा हुआ है, जिसे वे वहां लगाना चाहते हैं। उसके सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी चल रही है और वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री देवनारायण भारतीय---उत्तर में अभी सरकार ने बताया कि १६ लाख रुपया वहां मिल वालों ने आश्वासन देकर किसानों से ले लिया है। इतनी बड़ी रकम किसानों की...

श्री अध्यक्ष---आप कोई नये वाकयात उपस्थित, यह कह कर क कि उन्होंने यह कहा, प्रश्न नहीं कर सकते। वे कह चुके हैं कि समिति के पास है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार उस आश्वासन के अनुसार उसे पूरा कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अगर कोई आश्वासन है तो वह गोला मिल और गन्ना उत्पादकों के बीच में हुआ है। सरकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को ज्ञात है कि करीब डेढ़ लाख एकड़ में इस साल गन्ने की फसल वहां पर खड़ी रह गयी है और उसे गोला मिल कन्ज्यूम नहीं कर सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह गलत है कि १ लाख एकड़ गन्ना बाकी रह गया, चाहे कुछ बाकी रह गया हो।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि वहां पर कितना गन्ना बाकी रह गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत कम।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि २ आने मन कटौती केन कमिश्नर महोदय की स्वीकृति से की गयी थी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---किसी के कहने से नहीं की गयी है। वहां की मिल ने किसानों से यह तय किया कि कोआपरेटिव सोसाइटी कायम की जाय और उसके जरिये से रुपया जमा कर के एक मिल लगवाई जाय, इसलिए उन्होंने वह सोसाइटी कायम की। गवर्नमेंट का ताल्लुक उस में सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी की २, ३ मिलें कायम करेंगे।

श्री सुरथबहादुर शाह---मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। यहां झूठ और सच का प्रयोग तो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि अनपार्लियामेंटरी हो जायगा। हम लोग उसके डेलीगेशन में दिल्ली गये और आश्वासन दिया गया था। मैं कैसे कहूं ?

श्री अध्यक्ष---अगर कोई बात दिल्ली में आप करें, तो यह सरकार उसका उत्तर देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास कोई सूचना है कि केन्द्रीय सरकार से यह आश्वासन मिला था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० की सरकार को कोई इत्तिला नहीं दी कि उन्होंने किसी को ऐसा आश्वासन दिया है।

श्री सुरथबहादुर शाह---अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लिखकर आधे घंटे की बहस के लिए प्रार्थना कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह आप लिखकर भेज दीजियेगा।

आजमगढ़ जिले में खादी केन्द्रों के कर्मचारियों का वेतन बाकी रहना

*९---श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सरकारी खादी केन्द्र में काम करने वाले प्रत्येक केन्द्र में कितने-कितने कर्मचारी किस-किस ग्रेड में नियुक्त हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आजमगढ़ जिले के १४ राजकीय खादी केन्द्रों में ४ स्पीनिंग सुपरवाइजर ६५---५---९०---ई० बी०---५---१२० रु० के वेतन-क्रम में, १० स्पिनिंग गाइड ३५---१---४० के वेतन-क्रम में तथा ५३ स्थानीय कार्यकर्त्ता जिनको ३५ रु० प्रतिमाह दिया जाता है, कार्य कर रहे हैं। केन्द्रवार विवरण की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२ पर।)

*१०---श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि इन सरकारी खादी केन्द्रों पर स्थानीय कार्यकर्त्ताओं का वेतन लगभग ११ मास से बाकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आजमगढ़ जिले के राजकीय खादी केन्द्रों के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के वेतन का भुगतान मार्च, १९५७ तक का किया जा चुका है। अप्रैल, १९५७ से अब तक का भी भुगतान आशा है कि अगले माह में हो जायगा।

*११-१२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

राजकीय अग्रगामी यंत्रालय, बकेवर, जिला इटावा में लोहा बेकार पड़ा रहना तथा लड़कों को वजीफा न मिलना

*१३---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के बकेवर कस्बे में जो राजकीय अग्रगामी यन्त्रालय है उसमें लड़कों को वजीफा करीब ६ माह से नहीं मिला?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां। लड़कों के चुनाव, बजट स्वीकृति, वजीफों के बिल बनाने एवं उसकी जांच में कुछ अधिक समय लग जाने से वजीफा नहीं दिया जा सका। आशा है कि १५ दिन के अन्दर वजीफा वितरित कर दिया जावेगा।

*१४---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---क्या उपर्युक्त राजकीय अग्रगामी यन्त्रालय बकेवर में काफी सामान जैसे बड़े कढ़ाव की लोहे की चादर आदि कई हजार रुपये की पड़ी हैं पर थोड़े से जरूरी सामान जो कढ़ाव बनाने के काम आते हैं उनके न होने से यह सामान बेकार पड़ा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उक्त यंत्रालय में १९५५ में १,२५२ रु० के मूल्य का २ टन ४ हंडरवेट २० पौंड लोहा कड़ाह बनाने के लिये मंगाया गया था। परन्तु सामग्री क्रय उप विभाग द्वारा "टेन्डर" न स्वीकार किये जाने के कारण बड़े कड़ाह नहीं बनाये गये। इस कच्चे माल का उपयोग छोटे कड़ाह तथा अन्य सामान बनाने में किया जा रहा है और आशा है कि यह लोहा चालू वर्ष के अन्त तक पूर्णतया प्रयोग में आ जावेगा।

*१५-१६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

सुप्रीम बकिल्स ऐन्ड लाक्स स्टोर्स, अलीगढ़ को ऋण

*१९--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में ताला उद्योग के लिये इस वर्ष कितने रुपये की सहायता दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस वर्ष अलीगढ़ जिले में ताला उद्योग के लिये ५०,००० रु० की कर्ज के रूप में सहायता दी गई।

*२०--श्री रामप्रसाद देशमुख --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार यह रुपया किस रूप में देती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह रुपया कर्जे और अनुदान के रूप में दिया जाता है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ५० हजार रुपया ताले उद्योग के लिये दिया गया है वह किसी सोसाइटी को दिया है या अलग-अलग फर्मों को दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह सहायता एक फर्म को दी गयी है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--वह कौन सी फर्म है जिसको यह रुपया दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सुप्रीम बकिल्स एन्ड लाक्स स्टोर्स, अलीगढ़ को दिया गया है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कोई रुपया लाख ट्रेड सोसाइटी कंपनी को नहीं दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। मेरे पास इस संबंध की कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि यह जो अनुदान अलीगढ़ की फर्म को दिया गया है, वह क्वालिटी मार्क ताले बनाती है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी से कुछ कर्मचारियों का अलग होना

*२१-- श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेंट का भाव बढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*२२--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क के कर्मचारी भारी संख्या में फैक्टरी छोड़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*२३--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--फैक्टरी छोड़ने वाले उपर्युक्त किन लोगों ने त्याग-पत्र दिया है और किस कारण से त्याग-पत्र दिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--फैक्टरी छोड़ने वाले १९ कर्मचारियों ने त्याग-पत्र दिये हैं। इनमें से ७ कर्मचारियों ने व्यक्तिगत कारणों से, १० कर्मचारियों ने अपनी भविष्य उन्नति के लिये तथा २ ने जलवायु अनुकूल न होने के कारण त्याग-पत्र दिये हैं।

*२४-२६--श्री मदनपांडेय (जिला गोरखपुर)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*२७--श्री लक्ष्मणराव कदम--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में नलकूप निर्माण योजना

*२८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिल के अन्तर्गत मड़ियाहूं तहसील में १९५७ दिसम्बर तक कितने ट्यूबवेल्स (नलकूप) कहां-कहां लगने वाले हैं ?

सिंचाई राज्यमंत्री (श्री राममूर्ति)--जौनपुर जिल की मड़ियाहूं तहसील म दिसम्बर, १९५७ तक ४ नलकूप इन स्थानों में बनाये जाने का प्रस्ताव है--

१--मनीपुर (ओझापुर)
२--सोरई
३--निगोब
४--आवंरा

जौनपुर जिले में मड़ियाहूं नहर की शाखा को बन्द करना

*२९--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं नहर की शाखा जो तुरती होकर बनारस जिले की तरफ जा रही थी बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--सविस्तार सर्वेक्षण के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि मड़ियाहूं शाखा स कोई भी उपशाखा वाराणसी जिले के बड़ागांव की ओर जौनपुर जिले के अलीपुर और तुरती ग्रामों से होती हुई नहीं बनाई जा सकती। इसका कारण यह है कि अलीपुर ग्राम के बाद जमीन का स्तर ऊंचा है और मड़ियाहूं नहर से पानी पांच या छः फुट ऊंचा उठाकर भी सिंचाई करना संभव नहीं है। इसी कारण मड़ियाहूं नहर से शाखा इस ओर केवल अलीपुर ग्राम तक ही बनाई गई।

*३०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाइडेल कर्मशियल डिवीजन, लखनऊ के कार्यालय में छुट्टी में काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ता

*३१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाइडेल कर्मशियल डिवीजन, लखनऊ के कार्यालय में कर्मचारियों को छुट्टी में कार्यालय में काम करने आने के लिये पिछले दो वर्षों में कुल कितना पैसा दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—९७८ रुपये ।

रिहन्द डैम आर्गनाइजेशन के लिये खरीदा गया केबिल

*३२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि सिंचन विभाग ने सन् १९४८ में रिहन्ड डैम आर्गनाइजेशन के लिये कई लाख रुपयों का केबिल खरीदा था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

*३३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि यह केबिल १९५५ तक इस्तेमाल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—"अधिक अन्न उपजाओ" योजना को प्रगति देने के लिये रिहंड डैम का कार्य १९४९ में धीमा कर दिया गया था और सामान व रुपया इस योजना में लगा दिया गया था । अतः सब केबिल १९५५ तक रिहन्द बांध पर इस्तेमाल में नहीं लाये जा सके ।

मिर्जापुर में हार्ड कोक की कमी

*३४—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर में आजकल Hard Coke की बड़ी कमी हो गई है और इस प्रकार विशेषकर स्थानीय बर्तन के व्यवसाय पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मिर्जापुर में आजकल हार्ड कोक की कमी अवश्य है परन्त इतनी नहीं जिससे बर्तन व्यवसाय पर विशेष बुरा प्रभाव पड़े ।

*३५-३७—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में गांव ऊंचे करने की योजना को कार्यान्वित न करना

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में गांव ऊंचा करने की योजना के अनुसार जुलाई, १९५७ से नये काम न शुरू कराने का आदेश जिलाधिकारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, जिलाधिकारियों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था, हालांकि यह सही है कि सरकार ने फैसला किया है कि भारत सरकार से बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये उपयुक्त धन न मिलने के कारण नई योजनाओं को उस समय तक न लिया जाय जब तक १९५५-५६ व १९५६-५७ में आरम्भ की गई योजनाओं के लिये धन की पूर्ति न हो जाय ।

विभिन्न विभागों में निलम्बित धन

*३९--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९५७ तक किस किस विभाग में कितना कितना रुपया निलंबित (लैप्स) हुआ है ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--यह सूचना विनियोग लेखे १९५६-५७ तथा लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५८ के प्राप्त होने पर उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक भारत सरकार के कम्प्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल के यहां से विनियोग लेखे १९५३-५४ तक ही प्राप्त हुये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार अपने फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स के मुताबिक बतायेगी कि ३१-३-५७ तक कितना रुपया लैप्स हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--जो प्रेलिमिनरी अकाउन्ट्स की रिपोर्ट आई है उसके आंकड़े सही नहीं बतलाये जा सकते क्योंकि एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां वह सारे एकाउन्ट्स रहते हैं, जो सरेन्डर होते हैं उनका जो ऐडजस्टमेंट है अभी उसका पता नहीं है ।

खलीलाबाद शुगर फैक्टरी को बड़ौत, जिला मेरठ में स्थापित करने का विचार

*४०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि खलीलाबाद स्थित शुगर फैक्टरी वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाई जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--खलीलाबाद फैक्टरी को बड़ौत (जिला मेरठ) ले जाने के लाइसेन्स के लिए भारत सरकार से सिफारिश की गई है पर भारत सरकार ने अभी इस सम्बन्ध में अंतिम फैसला नहीं किया है ।

*४१--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह सिफारिश इसलिए की गई है कि खलीलाबाद फैक्टरी को अपनी वर्तमान जगह पर सदा गन्ने की कमी का सामना करना पड़ा है और हर साल उसे गन्ने की सप्लाई के लिए कुछ दूर के स्टेशन देने पड़े हैं जिनको काम में लाना फैक्टरी के लिए Economic साबित नहीं हुआ है ।

फतेहपुर जिले में फतेहपुर, बिन्दकी, खजुहा नगरों में बिजली आने में देरी

*४२--श्री शिवराज बली सिंह (जिला फतेहपुर)--क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में फतेहपुर, बिन्दकी, खजुहा नगरों में कब तक विद्युत योजना पूर्ण हो जायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१९५८ के अन्त तक आशा की जाती है ।

*४३--श्री शिवराजबली सिंह--क्या यह सत्य है कि उक्त नगरों में विद्युत्करण के लिये खम्भे आदि तो लग चुके हैं पर अन्य कार्य स्थगित है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं ।

श्री शिवराजबली सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सन् ५६ के अन्त में ही खम्भे गड़ गये थ तो इस दरी का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--केवल खम्भे गड़ जाने से ही तो बिजली नहीं आ जाती, उसके अतिरिक्त और भी तमाम तैयारियां होती हैं, वह सब ५८ के अन्त तक हो जायंगी और बिजली पहुंच जायगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फतेहपुर, खजुहा और बिन्दकी के लिये अलग-अलग कितना रुपया रखा गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह तो एक स्कीम के अन्तर्गत काम है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--सारी स्कीम के लिये कितना रुपया मंजूर हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सारे सेक्शन का जो बजट है उससे आंकड़े मालूम हो सकते हैं ।

*४४-४६--श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

पश्चिमी जिलों में नवीन चीनी मिलें खोलने की मांग

*४७--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की करेगी कि पश्चिमी जिलों के किसानों की सुविधा और खेती के विकास को ध्यान में रखते हुए सहयोगी अथवा व्यक्तिगत पूंजी के आधार पर कुछ चीनी मिलों को स्थापना पर वह विचार कर सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस प्रश्न पर बराबर विचार किया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप पश्चिमी जिलों में ६ नई चीनी मिलें लगाने का निश्चय हो चुका है । इनमें ४ कोआपरेटिव मिलें होंगी ।

*४८--आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह मेरठ जिले के बड़ौत क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना करने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बस्ती जिले की खलीलाबाद वाली शुगर फैक्ट्री को बड़ौत में ले जाकर लगाने का मामला विचाराधीन है ।

*४९--आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोंडा जिले में खुलने वाले उद्योग

*५०--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मुख्य उद्योग कौन-कौन किस-किस तहसील में वह खोलने जा रही है और उद्योग समिति में कौन-कौन से लोग लिये गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जिला गोंडा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नांकित उद्योगों के चलाने की योजना है :--

योजना	उद्योग	स्थान
१--गुड़ विकास योजना	१--गुड़ उद्योग	जिले के भिन्न भिन्न स्थानों में
२--सघन विकास योजना	२--बढ़ई गीरी	तहसील गोंडा
	३--चर्म उद्योग	

योजना	उद्योग	स्थान
३—चर्म विकास योजना	चर्मशोधन एवं उसकी सहकारी समिति	तहसील गोंडा
४—औद्योगिक शिक्षालय योजना	२केन्द्र	उद्योग तथा स्थान का निर्णय जिला नियोजन समिति
५—पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्र योजना	४केन्द्र	को परामर्श से किया जायगा।
६—औद्योगिक सहकारिता योजना	५करघा उद्योग एवं १० अन्य उद्योगों की सहकारी समितियां खोली जायंगी	जहां से सहकारी समितियां संगठित करने के लिये प्रस्ताव आते हैं वहीं पर संगठित की जा सकेंगी।
७—हाथ करघा उद्योग योजना	हाथ करघा उद्योग	जिले के भिन्न २ स्थानों में।

जिला गोंडा की उद्योग समिति में निम्नलिखित लोग लिये गये :—

१—अध्यक्ष	जिलाधीश		१२— सदस्य	श्री गंगा प्रसाद
२—सदस्य	श्री राघोराम		१३— ,,	श्री दशरथ प्रसाद
३— ,,	श्री रघुवेन्द्र तेज बहादुर सिंह		१४— ,,	श्री शालिकराम पाठक
४— ,,	श्री देवी दयाल		१५— ,,	श्री लालबिहारी टंडन
५— ,,	श्री लक्ष्मण शरण		१६— ,,	श्री सन्तबख्श सिंह
६— ,,	श्री धर्मपाल सिंह		१७— ,,	असिस्टेन्ट मैनेजर शुगर फैक्ट्री नवाबगंज
७— ,,	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह		१८— ,,	अध्यक्ष जिला बोर्ड
८— ,,	श्री राम अभिलाष		१९— ,,	जिला नियोजन अधिकारी
९— ,,	श्री अली जब्बार जाफरी		२०— ,,	एस० डी० ओ० (हाइडिल)
१०— ,,	श्री शीतला प्रसाद		२१— ,,	डिवीजनल फारेस्ट आफिसर
११— ,,	श्री बल्देव सिंह		२२— ,,	जिला उद्योग अधिकारी

गोंडा जिले में जिला उद्योग अधिकारी की नियुक्ति

*५१—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में सरकार की तरफ से कोई उद्योग अधिकारी नियुक्त हुये हैं और लघु-उद्योग के लिये जनता को धन देते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, जिला गोंडा में एक जिला उद्योग अधिकारी और एक औद्योगिक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है जो कि अन्य कार्यों के अतिरिक्त लघु उद्योगों के लिये ऋण और अनुदान के प्रार्थना पत्रों पर उचित जांच करके उद्योग संचालक, कानपुर को अपनी रिपोर्ट के साथ आने की कार्यवाही के लिये भेज देते हैं या जिलाधीश महोदय को जो रुपया अनुदान के रूप में वितरण करने के लिये दिया जाता है उसके प्रार्थना-पत्र वे अपनी सिफारिश के साथ जिलाधीश के विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं।

*५२—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

विद्युत् उत्पादन में कमी की शिकायत

*५४--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की बिजली उत्पादन शक्ति में वृद्धि होने पर भी बिजली का उत्पादन क्यों कम हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिजली का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, सिर्फ १९५३-५४ में विद्युत् विभाग में कुछ कम हो गया था क्योंकि उस साल समय पर अच्छी वर्षा होने के कारण पम्पिंग स्कीमों में बिजली की खपत कम हुई और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी १९५५-५६ में वस्त्र उत्पादन मिलों में हड़ताल होने के कारण बिजली का खर्च कुछ कम हो गया था। इसलिये उत्पादन भी कम करना पड़ा।

*५५--श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्युत् उत्पादन का खर्चा व्यक्तिगत बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनियों से लगभग दूना या उससे अधिक है ? यदि हां, तो उसे कम करने के कौन से उपाय सरकार ने सोचे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*५६-५७--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम सैनडाना, जिला अल्मोड़ा में सिंचाई के साधनों की कमी

*५८--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा तहसील चम्पावत के पट्टी तला पाज बिलौन से सैन डाना नामक ग्राम की सिंचाई के लिये पानी की गूल की नाप जोख होकर उसका कोई स्टेटमेंट बना था ? यदि हां, तो वह कब से कार्यान्वित होगा ?

श्री राममूर्ति--पानी की गूल के हेतु कोई नाप जोख नहीं हुई और न स्टेटमेंट ही बना।

फर्रुखाबाद जिले में बिक्री-कर में बकाया

*५९--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १९५६-५७ में कितना सेल्स टैक्स वसूल हुआ और कितना बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१९५६-५७ में फर्रुखाबाद जिले से ७,९३,७१५ रुपय की धनराशि बिक्री कर से वसूल हुई तथा वर्ष के अन्त में ७,०८,१९४ रुपये और ४३ नये पैसे बकाया रहे।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनसे इतनी बकाया हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--स्टाफ की कमी और व्यापारियों का नान-कोआपरेशन, दोनों ही बातों के कारण वसूली कम हुई।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार ने उस बकाया की वसूली करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, पूरी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। हर सूरत से कोशिश की जा रही है कि वह पैसा वसूल हो जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि व्यापारियों का यह नान-कोआपरेशन फर्रुखाबाद जिल तक ही सीमित है या प्रदेश भर में फैला हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां-जहां पर कुछ लोग गलत रास्ते पर चलने के लिए समझा देते हैं वहीं के लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अफसरों और अधिकारियों की कमी है। तो यह कमी सिर्फ फर्रुखाबाद तक ही सीमित है या सारे प्रदेश में है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां-जहां कलेक्टर्स ने यह कहा है कि हमें कुछ कुर्क-अमीन वगैरह और दिये जायं, उसकी व्यवस्था की गयी है।

मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी

*६०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का विचार प्रदेश के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के हेतु भी महंगाई भत्ते को बढ़ाने का है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, महंगाई भत्ते में ५ रु० प्रति मास की वृद्धि करने की जो घोषणा हाल ही में की गई है, उससे मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को भी लाभ होगा। यह बढ़ोतरी १ अगस्त, १९५७ से दी जायगी।

*६१---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायगी कि १९५७-५८ के बजट द्वारा बढ़ाये गये ५) मासिक महंगाई-भत्ता से प्रदेश के कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तखमीना लगाया गया है कि इस बढ़ोत्तरी से कुल लगभग ४,७५,००० कर्मचारियों को लाभ होगा जिसमें स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज) के लगभग २,००,००० कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस महंगायी भत्ता के बढ़ाने से किस श्रेणी के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को लाभ होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, जितने भी कर्मचारी ९५ रु० तक कंसालिडेटेड वेज पाते हैं उन सब को इससे लाभ होगा।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो भत्ता पहली अगस्त से दिया जा रहा है वह आइन्दा भी जारी रहेगा या इसी बजट में है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, इस पंचवर्षीय योजना में तो इसको देने का मुकम्मल विचार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह जो २ लाख लोकल बाडीज के कर्मचारी इसमें शामिल माने गये हैं क्या उनमें टीचर्स, क्लर्क, बाल्मीकी और नीचे का सारा स्टाफ भी आ जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि जितने भी लोग ९५ रु० तक तनख्वाह पाते हैं सब इसमें शामिल हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि ९५ रु० वालों तक को इससे फायदा होगा तो जिनकी तनख्वाह ९६, ९७, ९८, या ९९ रु० माहवार है वे लोग भी इसमें शामिल हो सकें, सरकार इसका कोई विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी, उन पर तो लागू नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ५ रुपया बढ़ोत्तरी दी गई है क्या इसमें गवर्नमेंट हाउस के माली भी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष—बार-बार आप एक प्रकार का ही सवाल रिपीट करें, उससे क्या फायदा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इन कर्मचारियों की सूची में राजभवन के निम्न कर्मचारी भी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि राजभवन का आप पहले डिस्टिंक्शन तो कीजिये। क्या वहां के लिये यहां से रुपया नहीं दिया जाता है, क्या राज्यपाल देते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो २ रु० पिछली दफा बढ़ाये गये थे वह उनको नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष—यह बात नहीं है वह कह चुके हैं कि ९५ रु० वालों तक को मिलेगा।

चीनी मिलों की छोई का प्रयोग

*६२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के मिलों में पेरे हुये गन्नों की छोई begasse का क्या उपयोग होता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मिलों में पेरे गन्ने की छोई ज्यादातर मिलों के oilers में जलाने के काम आती है। इसके अलावा छोई का प्रयोग गत्ता बनाने में भी किया जाता है और पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं चारे के अभाव के समय वह छोई जानवरों को भी खिलाई जाती है।

आगरे में ताज के निकट बांध की आवश्यकता

*६३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार आगरा में ताज के समीप एक bier (बांध) बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*६४-६५—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किय गये।]

*६६-६७—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४५-४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में बुनकरों की करघा समितियां

*६८—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बुनकरों की करघा सहकारी समितियों द्वारा जो माल तैयार होता है उसकी बिक्री की क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आजमगढ़ की करघा सहकारी समितियों को, उनके द्वारा उत्पादित माल की बिक्री की व्यवस्था के लिये केन्द्र खोलने हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मऊ ने एक आढ़त भी खोली है जिसमें उनके तैयार माल को खरीद कर बेचने की व्यवस्था है।

*६९—श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्या बुनकरों की समस्त करघा सहकारी समितियों की ओर से एक-एक आढ़त खोलने और तैयार माल को खरीद कर बेचने की व्यवस्था तथा बिके माल पर प्रोडक्शन के माल की भांति रिबेट देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न ही नहीं उठता।

*७०—श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बुनकरों की सहकारी समितियों को उन्नतशील करघा यंत्रों के वितरण, सदस्यों को ऋण देने के लिये सोसाइटियों को अनुदान सोसाइटियों के कारोबार के लिये बिना ब्याज के ऋण देने की कोई व्यवस्था सरकार ने की है ? यदि हां, तो जिले की सगड़ी तहसील में किन-किन बुनकरों की सहकारी समितियों को क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हां, समितियों को बिक्री केन्द्र, डाइ हाउस तथा उन्नतशील यंत्रों के लिये एवं रिबेट के रूप में अनुदान तथा कारोबार के लिये ऋण दिया जाता है। ऋण सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी को बिना ब्याज के दिया जाता है, परन्तु उक्त संस्था को निरीक्षण तथा प्रबन्ध व्यय के लिये बुनकरों की सहकारी समितियों से ढाई प्रतिशत (२॥ ०/०) प्रतिवर्ष ब्याज लेकर उन्हें ऋण देने की अनुमति है। सगड़ी तहसील की समितियों को ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई है।

गुड़ एवं खांडसारी योजनान्तर्गत जिले

*७१—श्री रामहेतसिंह—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में गन्ना तो बहुत होता है, लेकिन चीनी मिल नहीं है उन जिलों में गन्ना तथा गुड़ के विकास के लिये कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कौन-कौन से जिले रखे गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—हां। गुड़ तथा खांडसारी उद्योग के विकास हेतु गुड़ तथा खांडसारी उन्नति योजना प्रदेश के ३८ जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। जिलों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३ पर)

श्री रामहेतसिंह—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो योजना ३८ जिलों में लागू की जा रही है उस योजना की रूप-रेखा क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मोटे तौर से आधुनिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, गुड़ का उत्पादन और खांडसारी का विकास है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—जो ३८ जिले हैं उनमें क्या मैनपुरी जिला भी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस गुड़ विकास योजना के लिये कुल कितना रुपया रखा गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य स्वयं बजट देख लें।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या मंत्री जी का इस योजना में किसानों को सस्ते किराये पर कोल्हू देने का विचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, यह तो बनते रहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना गन्ने के रिजर्व एरिया में भी लागू है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जहां शुगर फैक्ट्री काम करती हैं वहां नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें खीरी जिला भी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। लखीमपुर जिला उस में शामिल है।

*७२-७३---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*७५---श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

फ्रूट युटिलाइजेशन विभाग से चार व्यक्तियों को विदेश भेजना

*७६---श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि Fruit Utilization विभाग से कुछ व्यक्ति विदेश पढ़ने भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---Fruit Utilization विभाग से चार व्यक्तियों को विदेश पढ़ने भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया है।

*७७---श्री प्रतापसिंह---उपर्युक्त व्यक्तियों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इन व्यक्तियों का चुनाव उनके अनुभव, कार्य कुशलता और उनकी उपयोगिता के आधार पर किया गया है।

श्री प्रतापसिंह--- क्या माननीय मंत्री जी उन चार व्यक्तियों के नाम और उनकी योग्यता बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---नाम आप बता दें। योग्यता के बारे में उत्तर देने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य---एक श्री जी०एल० मेहता, चीफ केमिस्ट हैं। वह डेवलपमेंट आफ फ्रूट इंडस्ट्री के लिये जा रहे हैं। दूसरे श्री वी० बी० ओबराय कम्यूनिटी कोंनिग सेंटर के इन्चार्ज हैं और मार्केटिंग के इंसपेक्टर हैं। यह भी फ्रूट डेवलपमेंट के सिलसिले में जा रहे हैं। तीसरे हैं श्री ई० टी० गैस्टव, सुपरिन्टेंडेंट, गवर्नमेंट गार्डेन, चौबटिया। यह हार्टीकल्चर डेवलपमेंट के सिलसिले में जा रहे हैं। चौथे हैं श्री आई० एन० शर्मा, स्वायल केमिस्ट, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन,चौबटिया,यह रिसर्च इन दि प्रोसेसिंग आफ फूड स्टफ्स के सिलसिले में जा रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या इन चार व्यक्तियों में वह व्यक्ति भी हैं जो कि कुमायूं के विभिन्न जिलों में फल पैदा करते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह मैंने जिन व्यक्तियों के नामों को पढ़ा है, वही व्यक्ति भेजे जा रहे हैं ?

श्री रामदास आर्य (जिला मुज्जफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चार व्यक्ति भेजे जा रहे हैं यह कितने समय के लिये और किस देश में भेजे जा रहे हैं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है कि कितने समय के लिये भेजे जा रहे हैं ।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन व्यक्तियों पर कुल कितना खर्चा होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जितना आवश्यक होगा उतना खर्च होगा। वैसे फीगर तो यहां पर नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या जिन व्यक्तियों के विषय में अभी कहा गया उनको इस विभाग के डाइरेक्टर साहब की सिफारिश से सरकार ने मनोनीत किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, हेड आफ दि डिपार्टमेंट की राय से तो सेलेक्शन होता ही है ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---यह चार व्यक्ति कहां जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---श्री जी० एल० मेहता तो स्विटजरलैंड जा रहे हैं और बाकी तीन व्यक्ति यू० एस० ए० ।

*७८-८०---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८१---श्री वीरेन्द्र वर्मा---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

सीमेंट का उत्पादन तथा प्रयोग

*८२---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में कुल कितना सीमेंट तैयार हो सका और अगले वर्ष में कितना तैयार होने का अनुमान है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पिछले वित्तीय वर्ष में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में १,९६,३५० टन सीमेंट तैयार हुआ । चालू वित्तीय वर्ष में सीमेंट का उत्पादन २ लाख टन से अधिक होने का अनुमान है ।

*८३---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सीमेंट में से कितना प्रतिशत सरकारी कार्यों तथा योजनाओं को दिया गया और कितना गैर-सरकारी कार्यों के लिये जनता को दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पिछले वित्तीय वर्ष में ६२ १/२ प्रतिशत सरकारी कार्यों तथा योजनाओं को तथा शेष ३७ १/२ प्रतिशत गैर सरकारी कार्यों के लिये जनता को दिया गया ।

मथुरा जिले में सिंचाई की नवीन योजनायें

*८४---श्री रामहेत सिंह---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई की सुविधा और बढ़ाने के लिये मथुरा जिले की तहसील छाता जो कि पंजाब व राजस्थान से लगी हुई है क्या योजनायें हैं ?

श्री राममूर्ति---मथुरा जिले की छाता तहसील में सिंचाई की सुविधा और बढ़ाये जाने के लिये इस समय सिंचाई विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*८५---श्री रामहेत सिंह---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में आगरा नहर से सिंचाई का विस्तार करने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति---मथुरा जिले में निम्नलिखित योजनायें आगरा नहर से सिंचाई के विस्तार हेतु आयोजित की गई हैं---

(१) आगरा नहर का रिमॉडलिंग,

(२) रबी प्लेवा नहरों का निर्माण ।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने नारायणदत्त तिवारी जी के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि लोअर गंगा नहर से पानी बचेगा तो आगरा केनाल को देंगे तो ऐसी अनिश्चित योजना होने पर किस आधार पर वे आगरा नहर का रिमॉडलिंग कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---नारायणदत्त जी का जो जिक्र किया, उसके लिये बतलाया था कि जब हमारा रामगंगा का डैम बनकर तैयार हो जायगा उस के जरिये से जो पानी बचेगा वह पानी आगरा नहर के लिये दिया जायगा ।

श्री रामहेत सिंह---क्या यह सही है कि जो प्लेवा चैनल्स बनाने की स्कीम थी वह कुछ दिन से स्थगित कर दी गई है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, जो स्कीम बनायी थी उसके मुताबिक काम हो रहा है और उसमें बहुत कुछ काम हो भी गया है ।

*८६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिलान्तर्गत चुनार नगर को जरगों नदी के कटाव से बचाने का आयोजन

*८७---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को पता है कि जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत चुनार नगर के मुहाना पट्टी में पानी के बहाव से उस पट्टी के अधिक घरों के जरगों नदी में बह जाने की पूरी संभावना है ? यदि हां, तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति---जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत चुनार नगर के जिन घरों के पास जरगों नदी से कटाव हो गया है वे मोहल्ले एवक पट्टी में हैं, मुहाना पट्टी में नहीं । उपरोक्त कटाव से सम्बन्धित व्यक्तियों को दूसरे स्थान पर बसाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार उन लोगों को जिनके मकान कटाव में पड़े हुये हैं दूसरी जगह न बसा कर कटाव रोक कर वहीं बसाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति---दरिया का कटाव रोकने में बहुत रुपये का खर्चा है और नई जगह बसाने के मुकाबले में कटाव रोकने में ज्यादा खर्चा पड़ेगा, इसलिये कोशिश की जा रही है कि उनको दूसरे मुकाम पर बसा दिया जाय ।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन लोगों के मकान कटाव में पड़े हैं और उन मकानों की क्या लागत है और कितनी लागत कटाव रोकने में पड़ेगी ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो लोगों के नाम नहीं हैं लेकिन जो तखमीना लगाया गया है उस से यही नतीजा निकला कि मकानों की कीमत से कटाव रोकने में बहुत ज्यादा कीमत पड़ेगी, इसलिये यह स्कीम बनानी पड़ी ।

बस्ती जिला स्थित नेउरी तथा मुहम्मदनगर बांधों की मरम्मत के लिए आवेदन-पत्र

*८८—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि गत २२-४-५७ को भेजा हुआ बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी के नेउरा बांध तथा बर्डपुर न० ११ में मुहम्मदनगर बांध (जो बुधियार नदी के किनारे है) की मरम्मत के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ।

*८९—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस आवेदन -पत्र में वर्णित विषयों पर उसकी ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—नेउरी बांध जो कि गोवर्धनपुर बांध के नाम से विख्यात है, तथा मुहम्मद-नगर बांध, दोनों की मरम्मत के लिये आगणन राजकीय बाढ़ निरोधक समिति की टेक्निकल सब कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे । परन्तु बाढ़ के नवीन कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त पुराने बांधों की मरम्मत सम्बन्धी आगणन स्वीकृत नहीं हुये ।

गाजीपुर जिले में चन्दौली-वारा नहर की मरम्मत

*९०—श्री यमुनासिंह— या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में चन्दौली से जमानिया होते हुये वारा जाने वाली नहर की मरम्मत में इस साल (१९५६-५७) कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—नहर का अभी निर्माण हो रहा है इसलिये मरम्मत में हुये व्यय का प्रश्न ी न ीं उठता ।

*९१—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस काय को पूरा करने के लिये कौन-कौन ठेकेदार लगाये गये थे ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजनौर जिले में शिवहारा शुगर मिल की वेस्ट वाटर फ्लो नाली का टूटना

*९२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास शिकायत आई है कि Upper Ganges Sugar Mills, Sheohara जिला बिजनौर में Waste Water Flow के हेतु निर्मित बड़े नाले के टूट जाने के कारण बहुत से पड़ोस के मांवों के खेत उक्त Flow से डूब रहे ? ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई शिकायत अब तक सरकार के पास नहीं आयी ।

*९३—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो सरकार इस स्थिति के रोकने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वेस्ट वाटर फ्लो के हेतु निर्मित बड़े नाले का टूटन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है, तो माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री राममूर्ति--चूंकि ड्रेन का मसला नहर से सम्बन्धित है इस लिये सिंचाई के महकमे से ही इस का वास्ता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि अपर गैंजेज शुगर मिल्स, शिवहारा में वेस्ट वाटर फ्लो का नहर से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो कारखाने में बने नाले से सम्बन्धित है ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, ड्रेन का मामला तो है, लेकिन पानी का डिस्चार्ज नहर से ताल्लुक रखता है, इसलिये उसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है ।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) इसमें आपको एतराज क्या है ? सरकार की तरफ से जो भी जवाब दे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा कहना यह है कि इस शिकायत का इरिगेशन डिपार्टमेंट .....

श्री अध्यक्ष--आप पूरा सवाल इनसे कीजिये । उसके बाद पता चल जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या शुगर मिलों का इन्तजाम भी सिचाई मंत्री के हाथ में आ गया है ?

श्री अध्यक्ष--यह कोई प्रश्न नहीं है । इसके बारे में कोई और बातें पूछना चाहते हों तो पूछिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री मेरे इस प्रश्न को सूचना मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि शुगर मिल की ओर से एन्फ्लुएंस के लिये जो नाला बनवाया गया था वह टूट गया है और उससे खेतों को बहुत नुकसान हो गया है ?

श्री राममूर्ति--शिवहारा शुगर मिल की एक तीन मील लम्बी नाली है जिसके जरिये से मीठा पानी, जो शीरे की शक्ल का होता है, दरिया में डाला जाता है । इसके जरिये से बहुत से किसान अपनी खेती के लिये भी पानी इस्तेमाल किया करते हैं और नाली को तोड़ा करते हैं । उसी के जरिये से जब कभी-कभी वह उसकी मरम्मत नहीं करते हैं तो इस तरह से दुरुपयोग करने की वजह से खेतों में पानी भर जाता है और किसानों को नुकसान हो जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब माननीय मंत्री ने स्वयं माना है कि खेती को नुकसान होता है तो उसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--किसान पानी लेने के लिये जो नाली तोड़ते हैं, उनको चाहिये कि उस नाली की मरम्मत कर दें, इससे नुकसान नहीं हुआ करेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब किसान सरकारी नाली को इस प्रकार तोड़ा करते हैं तो क्या सरकार कुछ इरिगेशन ऐक्ट या रूल्स के अनुसार उन पर कोई कार्यवाही करती है ?

श्री राममूर्ति --जो सरकार की नालियां हैं उनके बारे में किया करती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर––क्या सरकार यह बतायेगी कि इस नाली के तोड़ने की शिकायत सरकार को अभी मालूम हुई है या इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं ?

श्री राममूर्ति––यह तो जब सवाल किया, तब मालूमात हुई ।

बलिया जिले में तूतीपार-श्रीनगर बांध के निर्माण कार्य में शिथिलता

*९४––श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)––क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के तूतीपार श्रीनगर बांध का निर्माण पूर्ण हुआ या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति––तूतीपार श्रीनगर बांध अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न तालिका में ही अब तक पूरा होना अंकित था। झगड़े वाले लगभग एक मील के टुकड़े में मिट्टी का काम अपूर्ण पड़ा है ।

*९५––श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)––क्या सरकार को ज्ञात है कि श्रीनगर तूतीपार बांध और तत्सम्बन्धी रेगुलेटरों का कार्य बड़ी मन्थर गति से चल रहा है ?

श्री राममूर्ति––उन रेगुलेटरों के अतिरिक्त जिनमें कि लोहे के फाटक लगने हैं सब रेगुलेटर पूरे हो चुके हैं । रेगुलेटरों का कार्य मन्थर गति से नहीं चल रहा है और दिये गये समय की तालिका के अनुसार है ।

आजमगढ़ जिले में पकड़ीताल- ड्रेन- योजना

*९६––श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)––क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि पकड़ी ताल (तहसील घोसी, जिला आजमगढ़) के अतिरिक्त बरसाती पानी के निकास के हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति––घोसी तहसील जिला आजमगढ़ में पकड़ी ताल के बरसाती पानी के निकास हेतु पकड़ीताल-ड्रेन-योजना बनायी जा रही है ।

दोहरीघाट पम्प नहर से सिंचाई का कार्य आरम्भ होना

*९७––श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)––क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "दोहरीघाट पम्प नहर" से सिंचाई का काम कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति––दोहरी घाट पम्प नहर से १९५८–५९ की रबी की फसल से सिंचाई प्रारम्भ होने की आशा है ।

देवरिया जिले में सिंचाई में सुविधा

*९८––श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले की कितनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा हो चुकी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी भूमि की सिंचाई और करने की व्यवस्था का आयोजन है ?

श्री राममूर्ति––प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में ५८,९०१ एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचन सुविधा प्रदान की गई तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३१,६०० एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचन-सुविधा पहुंचाने का आयोजन है ।

*९९––श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)––उक्त अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिये पानी किन-किन स्रोतों द्वारा पहुंचाया जा सकेगा ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६३ नलकूपों द्वारा सिंचन सुविधा प्रदान की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३१,६०० एकड़ की सिंचाई के लिये १७ मील लम्बी प्रशाखा (chanrel) नारायणी गंडक पोखरा नहर से और ७१ नलकूपों के निर्माण का आयोजन है।

झांसी पोलीटेक्निक स्कूल की इमारत न बन सकना

*१००---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी पोलीटेक्निक स्कूल की इमारत के बनने का काम अभी तक क्यों आरम्भ नहीं हुआ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट मय पोलीटेक्निक झांसी की इमारत के जो सेंट्रल रेलवे की भूमि में स्थित है, निकट भविष्य में सेंट्रल रेलवे को हस्तान्तरित कर दिये जाने का प्रस्ताव है। अतः झांसी पोलीटेक्निक की इमारत के बनाने का कार्य स्थगित है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस हस्तांतरित किये जाने का क्या कारण है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जिस भूमि पर यह भवन बन रहे थे, वह भूमि रेलवे की है। जिस समय यह बिल्डिग बननी शुरू हुई उस समय कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन बाद को रेलवे वालों ने आपत्ति की कि यह जमीन हमारी है। इसलिए भवन निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया। अब इस संबंध में लिखा-पढ़ी चल रही है कि वह भूमि और भवन भी रेलवे को हस्तांतरित कर दिये जायं।

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस टेक्निकल स्कूल के लिए कहीं दूसरी जगह स्थान प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है कि रेलवे कालोनी से दूर जमीन लेकर वहां इस स्कूल को स्थापित किया जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी तक यह स्कूल कहां लग रहा है?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, शुरू में जवाब में बतला दिया गया है, फिर भी मंत्री जी उसे जरा स्पष्ट कर दें।

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो प्रश्न के उत्तर में ही बताया गया है कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पोलिटेक्निक स्कूल, झांसी जो सेंट्रल रेलवे भूमि पर स्थित है, वह सेंट्रल रेलवे को हस्तांतरित किया जाने वाला है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल के लिये जो नयी जगह प्राप्त करने की कोशिश हो रही है तो कितनी जगह प्राप्त की जा रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

नलकूप संख्या २२ देवरिया रामनाथ की गूलों में खराबी की शिकायत

*१०१---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल नं० २२ देवरिया रामनाथ को पक्की गूल में क्या खराबी है कि मौजा अमेठी एवं देवरिया रामनाथ की अधिक भूमि में सिंचाई नहीं हो रही है और इस ट्यूबवेल की उपयोगिता कम हो गयी है?

श्री राममूर्ति---नलकूप संख्या २२ देवरिया रामनाथ की पक्की गूलों में कोई खराबी नहीं हुई है और इस नलकूप की उपयोगिता ही कम हुई है।

अलीगढ़ जिले में नगला सरताज और सुहावली ग्रामों के बरसाती पानी को निकालने की योजना

*१०२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की तहसील सिकन्दराराऊ में नगला सरताज और सुहावली गांवों के बीच जो बरसाती पानी भर जाता है और फसलें सब मारी जाती हैं वहां एक नाला निकालने का सर्वेक्षण कब हुआ था ?

श्री राममूर्ति—ग्राम नगला सरताज और सुहावली का बरसाती पानी निकालने के लिये दो योजनाएं बनाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) नगला सरताज का बरसाती पानी निकास की योजना।
(२) सुहावली ग्राम के पानी के निकास की योजना।

नगला सरताज नाले के बनाने का सर्वेक्षण मई १९५६ में हुआ था। सुहावली नाले पर सर्वेक्षण कार्य प्रगित पर है।

*१०३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उक्त नाले की खुदाई आरम्भ होकर फिर बन्द हो गई थी और अब इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—नगला सरताज नाला तैयार किया जा चुका है, सुहावली नाले का सर्वेक्षण हो रहा है और प्रोजेक्ट एस्टीमेट तथा भूमि लेने का कार्य पूरा होने पर नाले का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

*१०४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बम्बा सुहावली में जो २ मील ६ फर्लांग पर तथा २ मील २ फर्लांग पर कुलाबे लगाये गये थे वे ८ अप्रैल, १९५७ को क्यों उखाड़ लिये गये और अब पुनः कब लगेंगे।

श्री राममूर्ति—फसल रबी १३६४ के लिये दो अस्थाई कुलाबे स्वीकृत किये गये थे। वे माह अप्रैल, १९५७ में हटा दिये गये हैं। अगर जरूरत पड़ी तो यह फिर लगा दिये जायेंगे

इटावा जिले में सिलायता के समीपवर्ती ग्रामों में सिंचाई का कष्ट

*१०५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला के ग्राम सिलायता तथा उसके आस-पास के गांव की काश्त की सिंचाई के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है और वहां से ठीक तीन मील पर नहर से सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति—इटावा जिले का ग्राम सिलायता, रजबहा हरनपुर से लगभग दो मील की दूरी पर स्थित है। सिलायता तथा उसके समीपवर्ती ग्राम जसोहन, झबरापुर व सकतपुर के कुछ भाग में नहर द्वारा सिंचाई होती है, परन्तु अधिकतर भाग नहर के कमाण्ड के बाहर है और इस क्षेत्र को नहर के कमाण्ड में लाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह यमुना के कटानों से भरा हुआ है।

*१०६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार सिलायता ग्राम तक बम्बा लाने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—उक्त क्षेत्र में नहर का बम्बा लाना सम्भव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र यमुना के कटानों और नालों आदि से भरा हुआ है। यमुना के निकट कुछ क्षेत्र समतल अवश्य हैं, परन्तु नीचा होने के कारण यह बरसात में यमुना के पानी में डूब जाता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सिलायता ग्राम और आसपास के समतल ग्राम हैं और वहां आसानी से कमांड लिया जा सकता है क्या उसको लेने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य अलग लिखकर भेजेंगे तो मालूम कर लेंगे और अगर पानी अवेलेबिल होगा तो जरूर ले लिया जायगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सिलायता क्षेत्री यमुना जी के कटान के बारे में, जिसके लिए सिंचाई मंत्री जी ने कहा है, पहले सर्वे हो चुका है या सिंचाई विभाग से लिख दिया गया है इसीलिये उन्होंने ऐसा कहा है ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास विभाग से जो इत्तिला आई है उसका मैंने जिक्र कर दिया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर वह किसी प्रकार कमांड में नहीं आया तो वहां एक ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अभी तो सर्वे की बात है, लेकिन अमूमन हम ट्यूबवेल वहीं लगाया करते हैं जहां १०-२० ट्यूबवेल्स की योजना बनायी जाय, क्योंकि एक आध ट्यूबवैल के लिये बिजली पहुंचाने में तो बेइन्तिहा खर्च होता है और उतना लाभ नहीं हो पाता है ।

बस्ती जिले के नेउरा बांध की खराब हालत

*१०७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास बस्ती जिले की नवगढ़ तहसील के कूंडा नदी के (दाहिनी तरफ) इलाका नेउरा के पुराने बांध के बारे में कोई शिकायत आयी है ? वह क्या है ? सरकार ने उसके संबंध में क्या किया ?

श्री राममूर्ति---जी हां, कूंडा नदी के दायें किनारे पर नेउरा इलाके में अंग्रेज जमींदारों द्वारा निर्मित बांध जिसमें कि दो टूटे-फूटे रेगुलेटर हैं, बहुत ही खराब स्थिति में है और इस बांध की मरम्मत भी अति आवश्यक है । यह बांध गोवर्धनपुर बोध के नाम से पुकारा जाता है ।

एक तखमीना १,९४,३१० रु० का बनाया गया था और राजकीय बाढ़ निरोध बोर्ड की प्राविधिक उप-समिति (Technical Sub-Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पुराने बांध की मरम्मत से सम्बन्धित होने के कारण और बाढ़ के नवीन कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत नहीं हुआ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए और सरकार की दी हुई सूचना के अनुसार कि दो रेग्यूलेटर्स की हालत बहुत खराब है और बांध की मरम्मत की भी अति आवश्यकता है, सरकार इस पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, विभाग के सामने ऐसे बहुत से जरूरी काम हैं जिनका जिक्र है, लेकिन दिक्कत रुपये की है । रुपया बहुत कम है, हो सकता है इस साल काम न हो सके ।

फतेहपुर जिले में बनने वाली इलाहाबाद ब्रांच नहर की भूमि में कुंओं का मुआवजा देने का आश्वासन

*१०८---श्री रघुनाथ सहाय यादव (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि फतेहपुर जिले में प्रस्तावित नहर (इलाहाबाद ब्रांच) के रास्ते में जो कुएं बने हैं उनके निकट भविष्य में व्यर्थ हो जाने पर किसानों का जो नुकसान होगा उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री राममूर्ति---जो कुएं जमीन पर पड़ेंगे जो कथित नहर के निर्माण के हेतु हस्तगत की जायेगी उनका मुआवजा कुएं के मालिकों को लैन्ड एक्जीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत दे दिया जायगा जो कुएं ऐसी भूमि के बाहर पड़ेंगे उनका नुकसान देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि काश्तकार अगर चाहें तो ऐसे कुओं से सिंचाई के लिये पानी नहर निकल जाने के बाद भी ले सकते हैं। नहर से पानी लेना उनके लिये अनिवार्य नहीं है ।

फतेहपुर जिले में नलकूप निर्माणार्थ परीक्षण

*१०९—श्री रघुनाथ सहाय यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल जब फतेहपुर में एक स्थान पर फेल हुआ तो उस स्थान के निकट ही फिर उसके लिये क्यों परीक्षण किया गया ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर जिले में चार नलकूप बनाने का प्रस्ताव था। इस सम्बन्ध में बोरिंग करने के लिये सात स्थान उपयुक्त समझे गये। पहले स्थान पर बोरिंग असफल होने पर पास के दो स्थान छोड़ दिये गये और चौथे स्थान पर बोरिंग की गई जो पहले स्थान से लगभग २ १/२ मील दूर था। चौथे स्थान पर भी सफलता न मिलने पर पांचवें व छठें स्थान को छोड़ कर सातवें स्थान पर बोरिंग की गई जो चौथे से लगभग ३ १/२ मील दूर था। चौथी बोरिंग सातवें स्थान से लगभग ९ मील की दूरी पर की गयी।

इससे विदित है कि नलकूप परीक्षण पास-पास नहीं किया गया।

ब्रजमनगंज तथा कम्पियरगंज केन यूनियन के अन्तर्गत ईख उत्पादकों का बकाया

*११०—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्रजमनगंज केन यूनियन के अन्तर्गत ईख उत्पादकों का पावना केन यूनियन के जिम्मे १९५५-५६ तथा १९५६-५७ का कितना बकाया अब तक पड़ा हुआ है जो किसानों को नहीं दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मांगी गई सूचना नीचे दी हुई है:—

वर्ष	बकाया
१९५५-५६	एक हजार बीस रुपये और पांच नये पैसे।
१९५६-५७	तीन हजार दो सौ छब्बीस रुपये और सत्तावन नये पैसे।

*१११—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ब्रजमन गंज और कम्पियरगंज केन यूनियन में १९४७ से अब तक खोई हुई पुर्जियों का बकाया कितना-कितना सन्वार पड़ा हुआ है जो अब तक भुगतान नहीं किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ब्रजमन गंज और कम्पियरगंज केन यूनियनों में सन् १९४७ से अब तक की पुर्जियों का जो धन बकाया है उसके सन्वार आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हुए है। इन आंकड़ों में खोई हुई पुर्जियों के धन के आंकड़े शामिल हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बकाया धनराशि का पेमेंट समय पर क्यों नहीं कर दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह पेमेंट अपनी इच्छा के मुताबिक गन्ना उत्पादक समय-समय पर लेते रहते हैं। यह बकाया रुपया खासतौर से उन गन्ना उत्पादकों का है जिन पर यूनियन का कर्जा है। इसलिये उस रकम का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वहां की यूनियन के कर्मचारी रुपया इसलिये रोके रहते हैं कि जब कुछ पैसा पाते हैं तब पेमेंट करते हैं ? क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस तरह की शिकायतें सरकार के पास नहीं आयीं।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४६ से सन् १९५७ तक के जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, तो इन दस वर्षों के बीच खोई हुई पुर्जियों का जो बकाया है वह किस कारण से अभी तक अदा नहीं किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिन गन्ना उत्पादकों का वह रुपया बकाया है उनकी ओर से सही हिसाब यूनियन को नहीं दिया गया होगा जिसकी वजह से यह बकाया है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों की ओर से सही हिसाब नहीं दिया गया होगा इसकी वजह से या किसी कारण से यह बकाया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—किसान अपनी सहूलियत के मुताबिक पुर्जियां दिया करते हैं और पुर्जियां भी उन्हीं से खो जाया करती हैं । इस कारण से उसमें विलम्ब होने की गुंजाइश है ।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दस वर्षों के बीच केन डेवलपमेंट के अधिकारियों ने इस बात की छानबीन की है या नहीं कि इसका क्या कारण है कि इतने दिनों में बकाया का भुगतान नहीं हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वे तो अपनी तरफ से बराबर कोशिश करते रहते हैं ।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि पुर्जिय खो गयीं, तो उस पुर्जी की एक डुप्लीकेट कापी यूनियन के दफ्तर में भी तो रहती है और नान-पेमेंट रजिस्टर में उसका नाम दर्ज रहता है । तो आज तक क्यों नहीं एकाउण्ट फार हो सका जब कि डुप्लीकेट कापीज दफ्तर में मौजूद थीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—किसानों ने उन पुर्जियों को ढूंढ़ने की कोशिश नहीं की होगी ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कर्त्तव्य किसानों का ही होता है कि वह पुर्जी ढूंढ़ने जायं अथवा केन डेवलपमेंट अधिकारियों का भी यह कर्त्तव्य होता है कि यदि उनके रुपये का भुगतान १० रोज से रुका हुआ है तो उसका भुगतान जल्दी किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिससे खो जाय वह तलाश करे ।

श्री प्रताप सिंह—क्या यह सही है कि जो रुपया बकाया किसानों को नहीं दिया गया है वह केन डेवलपमेंट अधिकारी की अनियमितता के कारण हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आपने कहा कि रुपया उनका बाकी है कि जिन पर कर्जा है, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने लोगों को कर्जा काट कर रुपया दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

मिर्जापुर जिले की सदर तहसील में बजहाग्राम के नाले से किसानों को नुकसान

*११२—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की सदर तहसील में बजहाग्राम के नाले के पानी के ठीक से न निकलने की वजह से प्रत्येक वर्ष कई सौ एकड़ भूमि जल-मग्न रहती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

आजमगढ़ जिले में मौहला गढ़वाल तथा हाहानाला बांधों में ली गयी भूमि का मुआवजा न मिलना

*११३—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घोसी और सगड़ी तहसीलों (आजमगढ़) में किसानों की कितनी जमीन सरजू नदी के किनारे के बांध के लिये ली गई है ?

श्री राममूर्ति—कुल २९३·७७८ एकड़ जमीन बांधों के लिये ली गई थी । मौहला गढ़वाल बांध के लिये २३४·६११ एकड़ तथा हाहानाला बांध के लिये ५९·१६७ एकड़ ।

*११४—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—जो उपर्युक्त जमीन ली गयी है उस पर कब मिट्टी पड़ गयी थी और सारी जमीन का कितना लगान होता है और उसका कितना मुआवजा हुआ ?

श्री राममूर्ति—हाहानाला बांध का कार्य जनवरी, १९५५ में तथा मौहला गढ़वाल बांध का कार्य नवम्बर, १९५५ में आरम्भ हुआ था । मौहला गढ़वाल बांध में जो जमीन घिरी हुई है उसका लगान ६८३ रु० ११ आ० ३ पा० है वह पिछले दो सालों में अदा किया जा चुका है । हाहानाला बांध का लगान नहीं दिया गया है ।

मुआविजा देने का रुपया ठीक-ठीक मालूम नहीं है और वह लैंड एक्वीजीशन के बाद ही मालूम होगा ।

*११५—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या मिट्टी पड़ने के बाद भी उस जमीन का लगान वसूली अभी तक हो रही है और उस जमीन का मुआविजा अब तक किसानों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि पहिले कहा गया है जमीन का लगान दिया जा चुका है । मुआविजा अभी तक नहीं दिया जा सका है ।

आजमगढ़ नगर को टोंस नदी की बाढ़ से बचाने की योजना

*११६—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगर को टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के लिये कौन-कौन सी योजनायें कितनी-कितनी लागत की सम्प्रति चालू हैं तथा विचाराधीन कौन-कौन हैं ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ नगर को बचाने के लिये टोंस नदी के वर्तमान बांध को मजबूत किया जा रहा है । इस योजना पर जुलाई, १९५७ तक ६५ प्रतिशत कार्य हो चुका है तथा इस कार्य की लागत ३,०६,००० रु० है ।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त टोंस नदी के वर्तमान बांध को सिधारी तक बढ़ाने की योजना पर विचार हो रहा है । वर्तमान बांध को बढ़ा देने पर आजमगढ़ नगर का अधिकांश भाग बाढ़ से सुरक्षित रहेगा । चूंकि यह योजना अभी विचाराधीन है तथा उसका आगणन बनाया जा रहा है अतः कार्य की अनुमानित लागत अभी नहीं बताई जा सकती ।

रजबहा कोतवालपुर व फीरोजपुर को नहर जमन पूर्वी लोअर डिवीजन मुजफ्फरनगर से पानी न मिलने की शिकायत

*११७—श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजबहा कोतवालपुर व रजबहा फीरोजपुर नहर जमन पूर्वी लोअर डिवीजन मुजफ्फरनगर के आखीर पर मई व जून मास में पानी बिलकुल नहीं पहुंचा ?

श्री राममूर्ति—जहां तक फीरोजपुर रजबहा का सम्बन्ध है, कृषकों के कई बार अनुचित रूप से कुलाबों से सिंचाई करने के कारण अन्त तक पानी न पहुंच सका और जिन दिनों पहुंचा भी तो कम मात्रा में ।

कोतवालपुर रजबहा में मई के प्रथम सप्ताह में पानी आखिर तक पहुंचा, परन्तु दूसरे सप्ताह में गर्मी अधिक पढ़ने के कारण पानी की मांग बहुत बढ़ गई और पानी की कमी रजबहा के आखिर में रही। जून के प्रथम सप्ताह में उक्त रजबहा के अन्तिम भाग की सफ़ाई करायी गयी और फिर २० जून से पानी आखिर तक अच्छी मात्रा में पहुंचा।

श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उस क्षेत्र के जिन किसानों ने नाजायज तरीके से सिंचाई की थी, उनके लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—इसका ब्यौरा मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पानी की कमी से किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिये वह क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति—फसल का कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन फसल सूखी नहीं। जहां तक सवाल के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, वहां पर अगर अच्छी सफाई लोग अपनी गूलों की कर लेते हैं तो पानी अच्छा पहुंचा करता है। कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि जब दरिया में पानी कम रहता है, उस समय पानी कम आता है।

माइनर पिलाना नहर जमन पूर्वी लोअर डिवीजन मुजफ्फरनगर में पानी न आने की शिकायत

*११८—श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माइनर पिलाना नहर जमन पूर्वी लोअर डिवीजन मुजफ्फरनगर ९ से १४ जुलाई, १९५७ ई० के चालू सप्ताह में दो दिन के लिये बन्द रक्खा गया ?

श्री राममूर्ति—जी हां। पिलाना माइनर पर पिछले सप्ताह में सम्पूर्ण सींच पूरी हो चुकी थी।

श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस हफ्ते रजबहा बन्द रहने से जो पानी की कमी हुई उसके लिये किसानों ने दरख्वात दी कि पानी दिया जाय और रजबहा बन्द न किया जाय ?

श्री राममूर्ति—रजबहा केवल २ दिन बन्द रहा।

श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि क्यों रजबहा बन्द रहा ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य मेरे पास लिख कर भेज देंगे तो मैं ब्यौरेवार सूचना मंगा कर उनके पास भेज दूंगा।

लखनऊ में डी० सी० बिजली का वोल्टेज

*११९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ नगर में डी० सी० बिजली का वोल्टेज आमतौर से बहुत कम रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार को ज्ञात है कि अब बिजली का वोल्टेज लखनऊ में कम नहीं रहता।

*१२०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि सरकार ने बिजली कम्पनी को इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत टेस्टिंग स्टेशन कायम रखने से छूट दे दी है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

बरेली जिले की आंवला तहसील में बने नलकूप

*१२१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो नलकूप तहसील आंवला जिला बरेली में बनाये जाने वाले थे उनकी तादाद क्या थी और क्या वह बन गये ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—तहसील आंवला में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन २० नलकूप बनने वाले थे और वे जिन गांवों में बन कर तैयार हो गये हैं, उनके नाम ये हैं :—

किदाना, चांजरी, कौसरी. गलरिया, सिहोलिया विशारतगंज, बेहटा बुजुर्ग, चन्दनपुर, गैंची, गुरगांव, गरवा, व्याधन खुर्द, उसंता, उरला, सचारनगर, पिपरया, सिसोला, भडानी, महोलिया उत्तर और महोलिया दक्षिण।

*१२२—श्री नत्थूसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन नलकूपों से गांव को पीने का पानी दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२३—श्री नत्थूसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि बिहारीपुर व बल्लिया नलकूप नहीं बनाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इन गांवों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूप बनाने पर विचार किया जावेगा।

शुगर केन रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐण्ड परचेज ऐक्ट के अन्तर्गत गन्ना अबवाब की वसूली

*१२४—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—उत्तर प्रदेश शुगर केन (रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐन्ड परचेज) ऐक्ट, सन् १९५३ के लागू हो जाने के बाद अब तक केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष में कितनी चीनी मिलों के विरुद्ध गन्ना का दाम और गन्ना का अबवाब वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की और उससे कितनी रकम वसूल हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश शुगर केन (रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐन्ड परचेज) ऐक्ट, १९५३ की धारा १७ के मातहत केन कमिश्नर को केवल गन्ने के दामों के बकाया के लिए फैक्टरियों के विरुद्ध रिकवरी सार्टिफिकेट जारी करने का अधिकार था और इस अधिकार का जो उपयोग अब तक किया गया और जो रकम वसूल हुई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। जहां तक Cess का प्रश्न है जब भी चीनी मिलों पर अधिक बकाया हुआ, केन कमिश्नर सम्बन्धित जिलाधीशों को वसूली के लिए लिखते रहे। सन् १९५६ में यू० पी० शुगर केन सेस ऐक्ट के मातहत केन कमिश्नर को सेस के बकाया के लिए भी रिकवरी सार्टिफिकेट जारी करने का अधिकार मिला। पर उस समय हाई कोर्ट द्वारा लगाये गये वसूली रोकने के आदेश लागू थे, इस कारण केन कमिश्नर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। हाई कोर्ट के उक्त आदेश रद्द होने के बाद से अब तक सेस के बकाया को किस्तों में वसूल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही उस पर फैसला हो जायगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५–७६ पर)

*१२५--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--उक्त अधिनियम के अनुसार केन कमिश्नर को जो सूद छोड़ देने का अधिकार प्राप्त है उस का प्रयोग किस मिल के हक में किया गया और उस से कितनी रकम सूद की छूट किस मिल को मिली ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पिछले चार वर्षों में केन कमिश्नर ने किसी मिल को उक्त अधिनियम के मातहत सूद की कोई छूट नहीं दी।

*१२६--श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)--गन्ना अबवाब की रकम पिछले किस वर्ष की कितनी बकाया अब तक मिलों पर है और बकायादार मिलों से वसूल न होने का कारण क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सेस की बकाया १५-७-५७ तक-

वर्ष	बकाया लाख रुपयों में
१९५१-५२	२.६०
१९५२-५३	६.९९
१९५३-५४	३.४५
१९५४-५५	१६.४९
१९५५-५६	९७.०७
१९५६-५७	३६३.५२
योग ..	४९०.१२

ऊपर दिये गये आंकड़ों से यह मालूम होगा कि Cess का ज्यादा बकाया १९५५-५६ और १९५६-५७ सीजनों का ही है और उसका कारण वही हाई कोर्ट के वसूली रोकने वाले आदेश हैं, जिनका जिक्र प्रश्न १२४ के उत्तर में किया गया है। इसके पहले का बकाया केवल उन्हीं मिलों का है जिन की माली हालत बहुत खराब रही है। इन फैक्टरियों में खड्डा, पडरौना और कठकुइयां खास तौर से उल्लेखनीय हैं और इन्हीं तीन मिलों के ऊपर पिछले सीजनों का २०.४१ लाख रुपया बकाया रहा है। इन मिलों को Authorised Controllers की देख-रेख में रखना पड़ा है और जब इस पर भी हालत ठीक नहीं हुई तो इन मिलों को नीलाम कर देना पड़ा।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--[१६ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में बिजली देने की योजना

२--श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली शहर तथा देहात में कब तक बिजली आ जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रायबरेली शहर में बिजली का पावर हाउस बन रहा है और आशा है कि शीघ्र ही वहां बिजली उपलब्ध हो जायगी। पावर हाउस बन जाने के पश्चात् रायबरेली जिले में बछरावां, महाराजगंज, सलोन और जायस कस्बों में भी बिजली मिल सकेगी।

३--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

कानपुर जिले में देर से तथा लगातार वर्षा होने के कारण फसल की बरबादी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव मेरे पास श्री राम स्वरूप वर्मा का इस प्रकार का आया है। "कानपुर जिले में देर से वर्षा आरम्भ होने के कारण खरीफ की फसल १० प्रतिशत से कम बोयी गयी है। तत्पश्चात् लगातार वर्षा होते रहने के कारण बोयी हुई फसल भी प्रायः नष्ट हो गयी और ज्वार, बाजरा, तिल्ली, धान, आदि फसल नहीं बोयी जा सकी, जिसके कारण जिले के लोगों एवं जानवरों का, खरीफ की फसल के अभाव में, जीवन संकटापन्न स्थिति में हो गया है। अतएव उपरोक्त अभाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें एक जिले में पानी कम बरसा उससे क्या परिणाम हुआ यह दिया है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही आप से कहा था कि अधिक वर्षा से जो कुछ चीज हुई या बाढ़ें आयीं, इस पर बहस के लिए ६ तारीख मुकर्रर है। उस सिलसिले में यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सकता है। वैसे इस प्रस्ताव में सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं बताया गया है कि सरकार ने कोई बात नहीं की उदाहरणार्थ बीज नहीं दिया या ऐसी ही कोई और बात नहीं की है। इसमें सिर्फ यह है कि पानी नहीं बरसा और इस कारण बीज बोया नहीं जा सका, या अतिवृष्टि हुई इसलिए नहीं बोया जा सका। ऐसी अवस्था में यह कामरोको प्रस्ताव अवैध हो जाता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं यह चाहता था कि अगर मन्त्री जी कुछ स्पष्टीकरण कर दें, तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—अगर मंत्री जी के पास कोई सूचना आई हो और वह देना चाहें तो दे सकते हैं, किन्तु माल मंत्री हैं नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कल दे दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—६ तारीख को तो वह देंगे ही।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त-भूमि) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ जुलाई, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १ अगस्त, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २७ अगस्त, १९५७, को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन, (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १ अगस्त, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ अगस्त, १९५७, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ अगस्त, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्रममंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७७–८२–पर।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्रममंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३–८८ पर।)

श्री अध्यक्ष—यह तारीख ३१ को मेरे पास आ गया था, ३१ तारीख उसकी मियाद थी और मैन्युस्क्रिप्ट है। वह टेबिल पर रखा है, उसे छपवाकर बाद में बंटवा दिया जायगा।

†उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—इस विधेयक के लिये ४ बजे तक का समय निश्चित है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के संबंध में सदन में शायद ही कोई मतभेद होगा। अभी ३, ४ दिन हुए, हमने बजट स्वीकृत किया ह। खर्च करना मंजूर किया है तो फिर उस खर्च के साथ-साथ आमदनी की बात भी सोचना आवश्यक हो जाता है। प्रादेशिक सरकार के पास ऐसे बहुत कम साधन हैं जिनसे कि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। जो दो चार गिने गिनाये साधन हैं, उनमें से एक यह भी है। बहुत ज्यादा वृद्धि इसके द्वारा नहीं हो सकती फिर भी ऐसे जमाने में जब कि हमको बहुत ही ऐसे खर्चों के लिये रुपये की जरूरत है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाय वह अच्छा ही होगा।

इस विधेयक के सम्बन्ध में दो प्रकार की आशंकाएं हो सकती हैं। एक तो यह कि इससे स्पोर्ट्स में कुछ कमी हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों को इसका विश्वास दिलाता हूं कि स्पोर्ट्स के ऊपर इसका बुरा असर होने वाला नहीं है। एक तो हमारा दस्तूर यह है और वह दस्तूर कायम रहेगा कि जहां कहीं टूर्नामन्ट्स, स्पोर्ट्स संस्था दंगल होते हैं, जहां चार आने से कम का टिकट होता है वहां पर इस किस्म की चीजों से हम टैक्स लेते ही नहीं। चार आने से ऊपर जो टिकट होता है उस पर साढ़े बारह प्रतिशत लेते हैं। इसलिये टिकट बढ़ने बढ़ाने का सवाल ही नहीं होता। यू० पी० स्पोर्ट्स कौंसिल से संबद्ध जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन पर एक साल के लिये यानी ३० अप्रैल, १९५७ तक कुछ भी न लेना तय किया गया था। बाद में यह मियाद और भी एक साल के लिये बढ़ा दी गयी। अब ३० अप्रैल, १९५८ तक कुछ नहीं लिया जायगा। यदि भविष्य में उचित समझा गया तो गवर्नमेंट ऐसी रियायत और भी दे सकती है।

एक आशंका यह हो सकती है कि सिनेमा रोजगार का नुकसान होगा। जहां तक सिनेमा रोजगार का सम्बन्ध है, सिनेमा चलाने वाले केवल २–३ सौ होंगे। यदि केवल इन २–३ सौ आदमियों के नुकसान की बात होती तो कोई चिन्ता की बात न थी, लेकिन सिनेमा के व्यापारी चाहें थोड़े हों, लेकिन देखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और निश्चय ही गवर्नमेंट

---

‡२८ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को उनका ख्याल करना चाहिये। मनुष्य के जीवन में मनोरंजन की भी बहुत आवश्यकता होती है और पहले के मुकाबले में आज मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है। पहले तो साल में २–४ रामलीला इत्यादि से काम चल सकता था। जो बहुत से मेंटल डिजीजेज के जानकार हैं, वे जानते हैं कि आज का जीवन दूसरे किस्म का हो गया है। आजकल के जीवन में नरवस स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे कान इस प्रकार के शब्द सुनने के लिये नहीं बने हैं जिस प्रकार के शब्द हमें सुनायी पड़ते हैं, हमारी आंखें इस प्रकार का प्रकाश देखने के लिये नहीं बनीं जिस प्रकार का प्रकाश हम देखते हैं। जिस प्रकार की चिन्तायें मनुष्य को रहती हैं, उस प्रकार की चिन्ताओं को मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो भी इस प्रकार के पेथोलोजिस्ट हैं वे ऐसा समझते हैं कि आज के जमाने में तबियत को हल्का करने के लिये मनोरंजन के साधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मनोरंजन के बहुत से साधन हो सकते हैं, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि गरीब आदमियों के लिये इससे सस्ता और कोई साधन नहीं है। यह दूसरी बात है कि सिनेमा में जो फिल्म्स आती हैं वे कैसी होती हैं, वह प्रदेशीय सरकार का विषय नहीं है, केन्द्र से उसका सम्बन्ध है कि फिल्म्स किस प्रकार की हों और किस प्रकार का सेंसर मुनासिब होगा, लेकिन यह सही बात है कि उससे सस्ता दूसरा साधन नहीं है। इसके साथ-साथ शिक्षा का भी वह साधन है, डाक्यूमेंटरी फिल्म्स से ज्ञान की वृद्धि होती है। हम नहीं चाहते कि लोगों से यह मनोरंजन के साधन छिन जायं और हमारा तो विश्वास है कि इस टैक्स के बाद भी हमारे यहां उन साधनों के खत्म होने की सम्भावना नहीं है।

सब से पहले हमारे यहां यह टैक्स सन् १९३७ में लगाया गया था और उस के बाद सन् १९४७ में यह टैक्स एक दम दुगुना हो गया था। उस वक्त भी कुछ ऐसा खयाल हुआ था कि शायद इस का असर यह होगा कि कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो या असन्तोष हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उस का ठीक उल्टा हुआ। जिस वक्त यह टैक्स बढ़ाया गया उस वक्त इस मद की आय ८ लाख १४ हजार १३७ रुपया थी जो सन् १९४७ में बढ़ कर ३६ लाख २८ हजार ६२२ हो गयी। तो आप देखें कि टैक्स दुगुना होने पर भी ८ लाख से ३६ लाख आय हो गयी। मैंने सन् १९४७ की बात इसलिये बताई, क्योंकि सन् १९४७ में २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और उस समय आशंका हुई थी कि शायद सिनेमा का रोजगार कम हो जायगा और हमारी आय घट जायगी, लेकिन वह बढ़ कर १९४७ में ३६ लाख २८ हजार ६२२ हो गई और पिछले साल वह बढ़ कर ९५ लाख ५९ हजार ८१२ रुपए हो गयी। इस तरह से वह ३६ लाख से ९५ लाख हो गयी और अब करीब-करीब हम इस टैक्स को ड्योढ़ा करने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी विश्वास है कि इससे हमारी आय नहीं घटेगी और उसके माने यह होंगे कि सिनेमा पर इतना बोझ नहीं है कि जिससे मनोरंजन के साधन कम हो जायं या रास्ता बन्द हो जाय। इस बात को मैं मानता हूं कि टैक्स इतना नहीं बढ़ाना चाहिये कि जिससे कोई काम बन्द हो जाय, जैसे ५ आने के अगर ५ रुपया कर दें तो वह बर्दाश्त नहीं हो सकेगा और उस का बुरा असर पड़ेगा, लेकिन यह टैक्स उस दर्जे का नहीं है। इस टैक्स से मोटे तौर पर हम यह आशा करते हैं कि हमारी आय ४० लाख के करीब बढ़ जायगी। इसलिये इस विधेयक के जल्द स्वीकार होने की जरूरत है, क्योंकि एक-एक दिन में १० हजार ९ सौ रुपये का नुकसान हो रहा है, जितने दिन की देर होगी उतने १० हजार ९ सौ रुपये का रोजाना नुकसान होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा और अन्त में जिस विधेयक पर विचार हो रहा है, उसे सदन स्वीकार करेगा।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १२ सितम्बर, सन् १९५७ तक देवे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री को सुनने के बाद मेरा बहुत सा भार हलका हो गया परन्तु इस समय मैं आप के द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि यह विधेयक जो हमारे सामने उपस्थित किया गया है इसका उद्देश्य केवल यह है कि एन्टरटेनमेंट और बेटिंग के सम्बन्ध में जो कर हमें मिल रहा है, जिसका हवाला बजट में दिया हुआ है, उस इरादे की पूर्ति के लिये यह बिल लाया गया है।

(इस समय १२ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री सुल्तानआलम खां पीठासीन हुए।)

यहां पर इस समय यह कहना सर्वथा उचित होगा कि जिस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीज पढ़ी थी तो उस समय उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जिसके विषय में मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। मैं मजबूर हूं कि हिन्दी की कापी मेरे पास नहीं है नहीं तो मैं हिन्दी में ही पढ़ देता। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह फरमाया था कि :—

"The House will see from the above that great care has been exercised in selecting measures of new tanation to see that no undue hardship is caused to any section of the community and that the burden of the taxes is distributed over classes which are best in a position to bear it."

"The actual burden of the taxation measures in question upon each individual person will also not be large and al though the aggregate amount which will become available to the State Government is not large either."

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री का यह कहना था कि यह जो कर लगाया जा रहा है और जो कि करों की वृद्धि की जा रही है उससे वह साल में २० लाख रुपये की आमदनी की उम्मीद करते हैं और आइन्दा ४० लाख रुपये की आमदनी उससे होने वाली है। अब मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या लखनऊ शहर में जो तांगा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूर हैं, जिनको खाना एक वक्त मिलता है, लेकिन मानव स्वभाव में बहुत सी निर्बलताएं होने के कारण मजबूर हैं, उनके वशीभूत हो कर वह खाना भले ही एक वक्त त्याग कर दें, लेकिन सिनेमा जाना उनके लिये लाजमी और जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में क्या वह तांगे वाले, रिक्शे वाले और मजदूर जिन पर आप ५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर रहे हैं वह इस टैक्स को बर्दाश्त कर पायेंगे? क्या सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में कहीं यह भी दिखाया जा सकता है कि आप उन पर कर की वृद्धि करें, जिनके पास खाने का साधन नहीं है? क्या आज उत्तर प्रदेश में वह लोअर मिडिल क्लास नहीं है, मैं अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, वे भी सिनेमा जाते हैं, उनके लिये यह टैक्स क्या इतना भार न होगा जो उनके लिये असह्य हो। मैं आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि बजट स्पीच के दौरान में जब उन्होंने यह कहा था तो क्या उनकी समझ में यह बात नहीं आयी थी कि यह लोअर मिडिल क्लास जिनको कहते हैं, इस टैक्स का भार सहन कर सकते हैं? किस आधार पर यह टैक्स उन पर भी लगाया जा रहा है? अगर आप को ४० लाख रुपये की आमदनी की जरूरत थी और २० लाख इस साल उम्मीद करते हैं, अगर यही करना था, तो उत्तर प्रदेश में आटोक्रेसी का तो नामोनिशान नहीं है, अब तो एक तबका है अपर मिडिल क्लास, उनसे आप जो चाहत ले लेते।

यही नहीं, जो यह विधेयक है इसमें किसी भी श्रेणी का व्यक्ति इस कर के भार से मुक्त नहीं है। मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री ने यह फरमाया कि मनोरंजन भी आवश्यक

वस्तु है। लोग यह समझते हैं कि यह नेसेसिटी नहीं है, जीवन की आवश्यक वस्तु नहीं है। अतः इस पर सरकार जितना चाहे कर लगा सकती है। अगर यह नेसेसिटी आफ लाइफ नहीं है, अगर आप इस को लग्जरी भी मानते हैं तो यह तस्वीर का दूसरा पहलू है, जिस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है। मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस मुल्क के लिये ही नहीं बल्कि भौतिकवाद में जो मुल्क बहुत अग्रसर हैं अमेरिका वगैरह, वहां नर्वस डिसआर्डर जितना है, उतना किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलेगा। अमेरिका में न्यूरोसिस से बीमार होने वाले लोगों की तादाद क्या है, उसको सुन कर लोग यहां भयभीत हो जायंगे। आज जो भौतिकवाद से ऊब रहे हैं वह आध्यात्मवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर अमेरिका से हालीवुड चला जाय तो मैं समझता हूं कि वहां ऐसा बड़ा एपेडेमिक हो सकता है शायद जिस को लोग सम्हाल न सकें।

आज जब कि कुछ केन्द्रीय सरकार की कृपा से, कुछ प्रदेशीय सरकार की कृपा से और कुछ आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां, मस्तिष्क पर इतना बोझ डाले हुए हैं, तब मनोरंजन एक आवश्यक वस्तु हो जाती है वे बेचारे जो कि सुबह चार बजे से ले कर दस बजे रात तक रिक्शा चलाते हैं, उनके लिये भी घंटे, दो घंटे के मनोरंजन की आवश्यकता प्रतीत होती है। मैं यह नहीं कहता कि आप ४० लाख की आमदनी न कीजिये, लेकिन यह भी तो सोचिये कि इसका असर किस पर पड़ने वाला है। यह कह देना कि बजट में पास कर चुके हैं तो उसके लिये तो केवल इतना कहना काफ़ी है कि आप बहुमत में हैं, जो चाहे कर सकते हैं और पारित करने के उपरान्त इस तर्क के आधार पर आप कहना शुरू करें कि इसको तो सम्मानित सदन पास कर चुका है, अतः इसके विरोध में कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि यह मनगढ़ंत बात होगी। सरकार को सोचना होगा कि यह कर उनसे लिया जाय जो देने के काबिल हों। मान्यवर, यह अवश्य चाहूंगा और इसके सम्बन्ध में मैंने संशोधन भी दिया और समयानुसार सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह ऐसी वस्तु है, हम उन पर भी कर लगाते चले जा रहे हैं, एक सिद्धान्त की बात है, जिस पर सरकार को यह सोचना होगा कि कर किनसे लिया जाय। आप अगर सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसाइटी के नाम पर सब पर कर लगाते हैं तो कहीं यह होता है कि जिन पर कर लगाना चाहिये वे छूट जाते हैं और जिन पर नहीं लगना चाहिये उन पर लग जाता है, यह सरकार की अनुकम्पा है, जो सरकार के कृपापात्र हैं वे बच जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री को टैक्सेशन की अगर जरूरत हो तो उसका डिस्ट्रिब्यूशन ईविन होना चाहिये।] अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टैक्सेशन की पालिसी सर्वथा अनुचित है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और जो मैंने १२ सितम्बर तारीख रखी है वह इस लिये रखी है कि समय ज्यादा खराब न हो। अगर आप समय में कमी करना चाहें तो कर दें। यदि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहें तो उस में भी मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह चीजें ऐसी हैं कि सेकिण्ड रीडिंग में इनको दूर कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप देखेंगे कि आर्टिकिल १९९ संविधान का यह बतलाता है कि यह बिल, मनी बिल है और जो मनी बिल हैं उन को आप सेलेक्ट कमेटी में तो भेज सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेज सकते, क्योंकि मनी बिल काउन्सिल में नहीं जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप अगर अपना अमेंडमेंट रखना चाहें तो सेलेक्ट कमेटी के लिय रखिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मुझे स्वीकार है, यह संशोधन कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—तो आप का अमेंडमेंट अमेन्डेड रहेगा और उसमें "ज्वाइंट" का शब्द नहीं रहगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस उक्ति से सर्वथा सहमत हूं कि आज के संघर्षशील युग में, चिरंतन और नये प्रवाहों क युग में, मनोरंजन की आवश्यकता मानव समुदाय को निरंतर बुद्धिमान रूप में आवश्यक है। मैं सिद्धान्ततः मनोरंजन कर के लगाये जाने से सहमत हूं और यह मानता हूं कि आज की टैक्सेशन पालिसी में एन्टरटेनमेंट टैक्स का अपना एक स्थान है, लेकिन इस विधेयक के स्वरूप को मैं इस प्रकार से देखना उचित समझता हूं कि जिस सिद्धान्त को हम मानते हैं वह सिद्धान्त व्यवहार रूप में सही प्रकार प्रयुक्त होता है या नहीं। एंटरटेंमेंट टैक्स आज भारत के प्रत्येक राज्य में लगाया जा रहा है और विभिन्न दरों से और विभिन्न प्रकारों से लगाया जा रहा है। जो आंकड़े मेरे पास हैं वह यह स्पष्ट करते हैं कि इस एंटरटेंनमेंट टैक्स का उपभोग भी दो प्रकार से होता है। कुछ राज्यों में तो एंटरटेन्मेंट टैक्स लगाने का अधिकार लोकल बाडीज के हाथ में है। वहां की म्युनिसिपैलिटीज या लोकल बोर्ड्स, सिटी बोर्ड्स वही एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती हैं और इस प्रकार क राज्य मध्यभारत, हैदराबाद, राजस्थान और ट्रावनकोर, कोचीन हैं कि जहां पर राज्य एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाता, बल्कि लोकल बाडीज एन्टरटेनमेंट टैक्स लगाती हैं। इसी कैटेगरी में मद्रास, आन्ध्र और मैसूर राज्य भी आते हैं जहां कि एन्टर-टनमेंट टैक्स राज्य सरकार वसूल करती है, लेकिन सारी वसूली को वह लोकल बाडीज को दे देती है। इनके अतिरिक्त और जितने दूसरे राज्य हैं उनमें राज्य सरकार ने स्वतः इस टैक्स को वसूल किया है और अपनी आमदनी में शामिल किया है और उनमें हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी है।

पहला प्रश्न हमारे सामने उठता है कि आया हम एंटरटेनमेंट टैक्स को स्वतः लगायें या लोकल बाडीज को इसके लगाने का अधिकार दे दें। इस प्रश्न का एक सरल रूप यह भी हो सकता है कि क्या यह संभव है कि हम स्वतः इस टैक्स को वसूल करके फिर लोकल बाडीज को यह रुपया दे दें। यह दो प्रश्न उठते हैं। मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये भी और प्रदेशीय सरकार के लिये भी देना आवश्यक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने यह निश्चय क्यों किया कि वह एंटरटेनमेंट टैक्स को स्वतः लगाये और लोकल बाडीज को इसके लगाने की अनुमति न दे। यह हो सकता है कि सरकार इसमें यह कहे कि लोकल बाडीज अपने ढंग से रेट लगाती हैं और उससे जनता को अधिक परेशानी होती है और आखीर लोकल बाडीज को तो सरकार भी ग्रान्ट देती है, लेकिन आज जब कि हम यह देखते हैं कि फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लोकल बाडीज के पास अपने साधन बहुत कम हैं, अपने रिसोर्सेज बहुत कम हैं और हर समय उनको अपने फाइनेंसेज को सुधारने के लिये, अपने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिये, अपने हाउसिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम को सुधारने के लिये सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। तो क्या जिस प्रकार हम यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन ऐक्ट के अन्तर्गत सारी रिसीट्स को यू० पी० रोड फंड में इकट्ठा कर देते हैं और यू० पी० रोड फंड के दो हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा तो रोड ग्रान्ट के रूप में म्युनिसिपल बोर्ड्स वगैरह को दे देते हैं और दूसरा पी० डब्ल्यू० डी० के हाथ में आ जाता है, तो क्या उसी प्रकार हम यह नहीं कर सकते कि एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स से जो आमदनी होती है उस को हम एक नानलैप्सेबिल फंड में जमा कर दें और उस धनराशि से जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं, जहां कि बड़े-बड़े सिनेमाघर हैं उनको बड़ी-बड़ी धनराशि दे दें। इससे एक ओर तो राज्य सरकार के ऊपर जो बोझ है, क्योंकि अन्तोगत्वा राज्य सरकार को ही उनकी तमाम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ह और उसी क ऊपर यह भार पड़ता है, तो एक ओर तो उसके ऊपर यह भार नहीं पड़ेगा, उसका बोझ हल्का होगा और दूसरी ओर.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह ओरिजिनल बिल नहीं है, यह अमेंडिंग बिल है। तो इसके जो इब्तदाई उसूल हैं उन पर न जायं बल्कि अमेंडमेंट पर अपने को कनफाइन रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह अमेंडिंग बिल अवश्य है, लेकिन यह जितनी ओरिजनेलिटी पुराने बिल की है उन सब को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का बिल है और टैक्स के रेट बदल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—इसके रेट को इसके अन्दर बढ़ाने का सवाल है और कुछ नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप की जो रूलिंग है वह पहली दी हुई स्पीकर साहब की रूलिंग से भिन्न है, फिर भी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने तो आपको सिर्फ मशविरा दिया है। आप अपनी स्पीच जारी रखिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस अमेंडिंग बिल को लाते समय, मुझे यह भय है कि, टैक्सेशन एनक्वायरी कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में नहीं रक्खा गया। श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान टैक्सेशन एनक्वायरी कमीशन की सिफारिशों की ओर जो पेज ११०, १११, ११२, ११३ पर दी गयी हैं दिलाना चाहता हूं, जिनमें कि कमीशन की स्पष्ट राय है कि एंटरटेनमेंट टैक्स को एक स्लेब बेसिस पर न लगा कर परसेंटेज बेसिस पर लगाना चाहिये। मैं आप की आज्ञा से, उन सिफारिशों को पढ़ना चाहता हूं :—

"While we do not recommend any specific rates on an all-India basis, we are of the opinion that the rates of entertainment duty should be fixed on a percentage basis."

मैं अनुवाद कर रहा हूं—"जहां हम अखिल भारतीय आधार पर कोई स्पष्ट रेट नहीं लगाना चाहते वहां हमारी यह भी राय है कि इंटरटेनमेंट ड्यूटी एक परसेंटेज के आधार पर लगायी जानी चाहिये"।

"To enable a certain degree of differenciation to be made in the percentage rates applicable to different classes of tickets, however, the percentages may be graded on a very broad basis, i. e., the percentage scale may be split up into a few percentage grades; we suggest that there should not be more than three grades. A percentage system with only a small number of grades is necessary for flexibility as against the rigidity with which the system works at present in many States."

"जो प्रतिशत के सिस्टम की व्यवस्था है, जिसमें कि कम श्रेणी के ग्रेड्स हैं, वह एक प्रकार का लचीलापन देती है जो कि राज्य सरकार की वर्तमान शक्ति नियमों में है उसके विपरीत जाती है।"

तो, श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स के रेट्स हैं—जो पहले भी थे और इस संशोधन विधेयक के द्वारा अब भी हैं—वे इसी प्रकार के हैं जिनको हम स्लैब रेट्स कह सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं माना है कि नये रेट्स के अनुसार वे पुराने रेट्स को डेढ़ गुना करने जा रहे हैं। पहले जहां ३ आने के टिकट पर १ आना एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था वहां अब वह डेढ़ गुना हो जायगा। जो पहले साढ़े ५ आने का टिकट था इस ऐक्ट के बाद वह टिकट साढ़े ६ आने का हो जायगा। जहां टिकट पहले ८ आने का था और टैक्स मिला कर १० आने लिये जाते थे वहां अब वह १ रुपये पर बिकेगा। जहां टिकट पहले १ रुपये १० आना का मिलता था वहां अब वह ढाई रुपये में मिला करेगा। इस प्रकार अलग-अलग डेढ़ गुनी वृद्धि उनकी दरों में हो जायगी। तो इसीलिये टैक्सेशन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एनक्वायरी कमीशन ने इसी खतरे की बात कही है कि सिनेमा दिखलाने वाले अगर टिकटों के दर को कम भी करना चाहें तो जहां तक टैक्स का सवाल है उस में कोई कमी नहीं होगी और सिनेमा देखने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। इस सम्बन्ध में भी टैक्सेशन एनक्वायरी कमीशन ने मिसाल दी है, उसे भी मैं पढ़ देता हूं :—

"If, when purchasing power falls, the exhibitor wishes to reduce the price with a view to stimulating demand, he finds that while his price goes down, say, from Re. 1 to 12 annas the tax thereon remains at the same level, viz., 5 annas. In effect, therefore, the State does not share in the loss on the individual ticket involved in the process of adjustment to a lower level of prices."

यानी अगर कोई एग्जीबीटर दरों को कम करना चाहे तो राज्य के टैक्सेज में कमी नहीं होती, राज्य नुकसान का भागी नहीं होता। राज्य वृद्धि में तो भागी अवश्य हो जाता है, लेकिन घाटे के समय किसी नुकसान का भागी नहीं होता।

फिर एक बात और भी है। टिकट रेट्स जो हैं, वह भी हर जगह एक से नहीं हो सकते और न होने चाहियें। जैसे मुफस्सिल टाउंस में, जो लखनऊ में रेट्स हैं वह बनारस में या लखनऊ के किसी कस्बे या सबर्ब में न हों, या आजमगढ़ शहर में न हों, या देवरिया में न हों, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होते हैं और कभी-कभी ऐसा हो जाता है या हो सकता है कि एक शहर में विभिन्न सिनेमाओं में विभिन्न रेट्स हैं।

सिनेमा भी दो प्रकार के हैं। एक तो वह, जो कि परमानेंट सिनेमाज हैं और दूसरे वह जो कि टूरिस्ट हैं जिन्हें केवल ६ महीने का लाइसेंस मिलता है और ६ महीने के बाद वह दूसरे स्थान में चले जाते हैं। तो स्लैब रेट सिस्टम जो है, उससे मैं समझता हूं कि सरकार को भी नुकसान है, एग्जीबीटर्स को भी परेशानी है और जो जनता सिनेमाओं में मनोरंजन के लिये जाती है, उस को भी ठीक प्रकार से राहत नहीं मिलती।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम मनोरंजन कर में वृद्धि करेंगे तो इससे हमें अवश्य लाभ होने वाला है, नुकसान नहीं। इस सम्बन्ध में मैं एक तथ्य की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब उन्होंने सन् १९४७ में मनोरंजन टैक्स को बढ़ाया तो वह देखेंगे कि १९४७-४८ के बाद, १९५१-५२ और १९५१-५२ के बाद आज तक जितनी टैक्स से आमदनी सरकार को हुई है, उसमें घटोत्तरी हुई है या तो एडमिस्ट्रेशन स्लैक रहा है और ठीक प्रकार से एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल नहीं किया गया या सिनेमा देखने जाने वालों में कमी हो गयी है, कोई न कोई कारण है जिस की वजह से सन् १९५१-५२ की तुलना में आज एंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली में कमी हो रही है। इस सम्बन्ध में मेरे पास मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पेज ११७ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कि मंथली एवरेज दिया हुआ है। इनकम फ्राम एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स। १९५१-५२ में आप देखेंगे कि ७,८३,००० रुपया वसूल हुआ। उसके बाद के सालों में, जब कि सिनेमा बढ़े, टूरिस्ट सिनेमा बढ़े, मंथली औसत घट कर के १९५५-५६ में ७,४४,००० रुपया रह गया। १९५२-५३ में वसूली हुई ६,९२,००० रुपया, १९५३-५४ में ६,३५,००० रुपया ; १९५४-५५ में ६,७१,००० रुपया।

तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि या तो ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो या सिनेमा देखने जाने वालों की कमी हो गयी हो। जहां सिनेमाओं के बढ़ने की बात मानते हैं वहां एवरेज में कमी हुई है, तो इस पर भी हमें विचार करना होगा कि इसका क्या कारण है। मेरा प्रस्ताव है कि अगर स्लैब रेट के बजाय परसेंटेज बेसिस पर कर दिया जाय तो ज्यादा आसानी होगी। इस विधेयक में एक धारा है जिसमें सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ३-४

प्रकार से टैक्स वसूल कर सकती है ---या तो टिकट लगा कर, या कुल जितनी वसूली होती है उसका एक हिस्सा लेकर। लेकिन जो वसूली परसेंटेज के हिसाब से करेगी, वह भी इन्हीं स्लैब रेट से करेगी। तो मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में स्लेब रेट के अनुसार एंटरटेनमेंट टैक्स न लगाया जा कर जिस प्रकार से परसेंटेज बेसिस पर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने सजेस्ट किया है, उस प्रकार से लगाया जाय। तीन तरह का उन्होंने बताया है, जिससे छोटे शहरों में भी आसानी हो, उस में लचीलापन रहे और परसेंटेज रेट के आधार पर हमारे प्रदेश में लगाया जाय। यह मेरा सुझाव है।

इसके साथ ही साथ, मैं एक खतरे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में दूसरे राज्यों के रेट्स को भी देखा है। मुझे यह कहते दुःख होता है कि हमारे राज्य के एंटरटेनमेंट टैक्स के रेट्स इस समय हिन्दुस्तान भर में सब राज्यों से ज्यादा हैं। जो मौजूदा रेट्स हैं, वह भी देश में सब से ज्यादा हैं। हमारे रेट्स की तुलना केवल बम्बई राज्य से की जा सकती है। यानी बम्बई और उत्तर प्रदेश में सब से ज्यादा एंटरटेनमेंट टैक्स के रेट्स हैं। दूसरे राज्यों में इनके मुकाबले में बहुत कम हैं। जैसे मद्रास है, दिल्ली है जहां कि यू० पी० की तरह से बड़े-बड़े टाउन्स हैं, वहां भी बहुत कम रेट्स हैं। मैं नहीं जानता कि वहां की राज्य सरकारें कितना बढ़ाने जा रही हैं। लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारे यहां कोई इस प्रकार के रेट्स न हों, जिससे फिल्म्स एंक्वायरी कमेटी ने जो खतरा बतलाया था, वह हमारे सामने आये। यह सिनेमा अपने से प्रोड्यूसिंग सेंटर्स नहीं हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हैं, प्रोड्यूसर्स अलग हैं और उनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो फिल्म एंक्वायरी कमेटी की सिफारिशों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमारे देश में जो फिल्म्स उद्योग हैं, अगर उसमें रुकावट पैदा होती है तो बड़ी दिक्कत होगी। उसे इंटरनेशनल कम्पटीशन भी करना पड़ता है, जैसे अमेरिका है, जापान है तो हमें उस कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान फिल्म्स एन्क्वायरी कमेटी की ओर ले जाऊंगा जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बिठाई थी, जिसमें उसने यह सिफारिश की थी कि जहां तक हो सके राज्य सरकारों में एक ही रेट्स रखे जायं। यह न हो जैसे अपने यहां तीन रुपये के टिकट पर डेढ़ रुपया लिया जा रहा है, बम्बई में १२ आने हो, दिल्ली में ८ आने हो और मद्रास में दो रुपये हो, इससे एक संतुलन प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी फिल्म्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान में रखने की कृपा करें और स्पष्ट करें कि जो परसेंटेज बेसिस का सुझाव इसने दिया था और टैक्सेशन कमीशन ने माना था उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया।

एक खतरा मैं और भी देखता हूं। इस विधेयक में जैसा कि लिखा गया है, एन्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट की धारा ३ में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वे यह हैं कि "ओन कमेंसमेंट आफ दिस ऐक्ट" यानी जिस तारीख से यह लागू किया गया उस दिन से लागू होगा और माननीय मुख्य मंत्री जी इसके संशोधित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। मैं धारा ३ को पढ़ दूं :--

"There shall, from the date the Act comes into operation, be levied and paid to Government an Entertainment Tax at the following rate namely....."

अगर ऐक्ट में "कम्स इंटू आपरेशन" यह नहीं अमेंड किये गये और रेट्स बढ़ गये तो उस तारीख से माने जायंगे जिस तारीख से यह ऐक्ट लागू हुआ। मैं मूल अधिनियम की धारा ३ की ओर ध्यान दिलाऊंगा। मैं चाहूंगा कि इस तरह से संशोधित किया जाय कि जिस दिन से संशोधित ऐक्ट आपरेशन में आये। उस तरह से हो जाने में तो रिट्रास्पेक्टिव एफैक्ट पड़ जायगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चौथी कठिनाई इस विषय में आती है कि कितनी छूट दी जाय और कितनी न दी जाय। इस सम्बन्ध में दो श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। एक प्रोफेशनल कैटेगरी और दूसरी नान-प्रोफेशनल कैटेगरी। इसकी सिफारिश थी कि नान प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट जितने हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हों या सांस्कृतिक हों, वह सब ऐक्जेम्प्ट कर दिये जांय और ऐक्ट में इसको रख दिया जाय कि जितने नान प्रोफेशनल एन्टरटेनमेंट हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जायगा। इस प्रकार की कोई व्यवस्था इस संशोधन विधेयक में नहीं की गयी। मैं चाहूंगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की उस सिफ़ारिश को माना जाय और नान प्रोफ़ेशनल एन्टरटेनमेंट जितने हैं उन सब को इस संशोधन विधेयक द्वारा ऐग्जेम्प्ट किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं, लेकिन इस उक्ति के साथ कि इसे मेरी विचारधारा और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफ़ारिशों के साथ संशोधित और परिमार्जित किया जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कि मनोरंजन का आज के समाज में एक विशिष्ट स्थान है और उस विशिष्टता को स्वीकार करते हुए हमें समाज में इस तरह के साधन और इस तरह का वातावरण भी तैयार करना चाहिये जिसमें सभी लोग उस मनोरंजन से लाभ उठा सकें, लेकिन जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह उन भावनाओं के प्रतिकूल है और खासतौर से उस समय जबकि हमारे वित्त मंत्री जी वित्तीय बजट सदन में प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने यह बताया था कि हमारे प्रदेश की औसत आमदनी बढ़ रही है। मैं भी यह समझता था कि उस लाइट में अगर यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया होता तो मैं भी उसका समर्थन करता, लेकिन मैं अपने देश के प्रधान मंत्री का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट के अन्दर यह बता दिया कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कुछ प्रदेश की औसत आमदनी के सम्बन्ध में बताया वह गलत है, बल्कि इस प्रदेश के लोगों की औसत आमदनी पहले से गिर रही है। तो ऐसी हालत में अगर हम यह टैक्स बढ़ाने की कोशिश करें तो जो हमारे निम्न और मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके ऊपर टैक्स का और ज्यादा बोझ पड़ जायगा, क्योंकि आजकल वही लोग इस तरह के मनोरंजन के साधनों से लाभ उठाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायगा जहां पर इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जायगा और उसके बाद ही हम किसी अच्छे फ़ैसले पर पहुंच सकेंगे।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि हम हर एक तहरीक की मुखालिफ़त करें और न अपोजीशन की यह ड्यूटी है कि कितनी ही अच्छी बात कही जाय उसकी भी मुखालिफत की जाय। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे हमें लाभ होगा। खासतौर से देश के चरित्र का मामला हमारे एकोनामिक क्वेश्चन से बहुत ऊंचा है। मेरी तो शुरू से यह दरख्वास्त रही है और मैंने सदन में कई दफा यह अर्ज भी किया है कि टैक्स किसान और मजदूर से हटा कर शराब पीने वालों पर लगाया जाय, टैक्स सिनेमा देखने वालों पर लगाया जाय, टैक्स सिगरेट और बीड़ी पीने वालों पर लगाया जाय, ताकि देश के चरित्र का निर्माण हो और हमारे मजदूर और किसान टैक्स से बचें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की यह ख्वाहिश है कि १० लाख नहीं १० करोड़ का टैक्स ऐसी चीजों पर लगाया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि काम करने वाले मजदूर या किसान को बाद में किसी ऐसे मनोरंजन

की जरूरत है जिससे उसके चरित्र का पतन हो और उसे ऐसा मनोरंजन मिले जिसमें अश्लील गाने हों। मेरे लाखों ऐसे साथी हैं, बल्कि मैं लाखों कह कर कम का प्रयोग कर रहा हूं, २० लाख से ज्यादा ऐसे साथी हैं जो सिनेमा देखना पाप समझते हैं। मजहबी तौर से गुनाह समझते हैं। वह लोग न कभी बीमार होते हैं और न कभी उनको इंजेक्शनों की जरूरत होती है। देश का करोड़ों रुपया आज इंजेक्शनों में बरबाद हो रहा है। हम उसको बचा सकते हैं कम से कम २०,००,००,००० रुपये का फायदा होगा और अगर सिनेमा और कोटोजम को बंद कर दिया जाय। वनस्पती घी भी इसी तरह की बुराई है। उस पर टैक्स लगाया जाय। हमारे बापू ने कई बार कहा था कि जिस प्रकार जाली रुपया बनाने वालों को सजा मिलती है उसी प्रकार जाली घी बनाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिये। यंग इंडिया में उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है। सिनेमा के लिये बापू जी का खास हुक्म था कि सिनेमा एक्टरों और एक्ट्रेसों को किसी अच्छे काम में लगाया जाय। आज देश के स्वास्थ्य को बचाने के लिये, देश की नैतिकता और अखलाक को बचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि सिनेमा देखने वालों के ऊपर, सिनेमा चलाने वालों के ऊपर टैक्स लगाया जाय। अगर हम अपने अखलाकी मियार से इस चीज को देखें, अपने नैतिकस्तर, मारेल स्टैन्डर्ड, भारतीय संस्कृति और हिन्दुस्तानी तमद्दन से देखें तो उसके हिसाब से इन सिनेमा ऐक्टरों और एक्ट्रेसों के लिये जो सजा है वह यह कि इन लोगों को, जो इस तरह से खुले में नाचा और गाया करते हैं, आधा जमीन के अन्दर और आधा ऊपर गाड़ कर शिकारी कुत्तों से उनको फड़वाया जाय, उनको लाल लोहे के गर्म तख्तों पर लिटा कर खत्म किया जाय। देश का चरित्र आर्थिक प्रश्न के बनिस्बत ऊंचा है। अगर हम आज देश का निर्माण नहीं कर सकते, तो कभी नहीं कर सकेंगे। आज की यह बेला है जब कि सुधार संभव है। जो हमारा आदर्श है— "आत्मन्येवात्मना तुष्ट :" उसका अर्थ यह है कि किसी बाहरी मनोरंजन की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य अपने कार्य में दिलचस्पी रखे तो उसे किसी बाहरी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मनोरंजन तो उद्यानों में होता है, बागों में होता है, ओस, फूल, वेद के वाक्यों, मजहबी कानूनों और धार्मिक विचारों में, मजहबी आयतों में होता है, जिन से कि मनुष्य का कल्याण होता है। आज जरूरत यह है कि हम इन अच्छी और खूबसूरत बातों को देखें और पहचानें। इकबाल ने लिखा है :

"फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर,
मगर देखी न इस आईने में अपनी अदा तूने ।।"

आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग देखें कि हमारे अन्दर कौन सा सौन्दर्य का चश्मा बह रहा है और हम किस तरह से अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। आज जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है उसका हम स्वागत करते हैं और मैं अपने साथियों से जो अपोजीशन के सदस्य हैं, उन से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रस्ताव को अनअपोज्ड पास होने दें। इसमें किसी तरह की मुखालिफत नहीं होनी चाहिये ।

श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आलोचना करने का एक फैशन सा हो गया है। चाहे कितना ही अच्छा विधेयक आये उसकी आलोचना करना कुछ आवश्यक सा हो गया है। आलोचना करते समय कम से कम इस बात का तो ध्यान अवश्य होना ही चाहिये कि हम कम से कम अच्छी बात हो तो आलोचना न करें।

जहां तक टैक्स का सवाल है, जब कपड़े पर, साबुन पर, सेल्स टैक्स लगा तो बड़ी आवाजें उठाई गईं कि यह आवश्यक वस्तुयें हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिये। परन्तु जब एंटरटेनमेंट पर टैक्स बढ़ाने का सवाल आया तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी आलोचनाएं होने लगीं। क्या मैं आलोचकों से यह पूछ सकता हूं कि सिनेमा पर टैक्स बढ़ने से भी क्या जीवन की किसी आवश्यक वस्तु पर टैक्स बढ़ता है? आज हम देखते हैं कि सिनेमाघरों में अधिकतर तांगेवाले, इक्केवाले और निम्नश्रेणी के मजदूर आदि जाते हैं और मैं नहीं समझता

[श्री बुलाकी राम]

कि वह वहां जा कर पेट भर लेते होंगे या अपने जीवन की कोई आवश्यक वस्तु पा लेते होंगे, सिवाय इसके कि वह अपना शौक पूरा करें। इसके अलावा सिनेमाघरों में कुछ और होता देखा नहीं गया है ।

फिर भी अगर सिनेमा के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है तो उसकी आलोचना होती है। कहा जाता है कि मजदूर वर्ग मर जायेगा और इक्के तांगे वाले मर जायेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि जब जब सिनेमा के ऊपर टैक्स बढ़ा है, तब तब हमारी आमदनी बढ़ी है और सिनेमा देखने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अगर आप इस बात को देखें कि पहले कितने सिनेमा देखते थे और अब कितने सिनेमा देखते हैं तो आपको संख्या में डयोढ़ा अन्तर जरूर दिखाई देगा और यह दूने तक भी हो सकता है। इसलिये हमको इस टैक्स के ऊपर किसी तरह से एतराज नहीं करना चाहिये ।

आज हम चाहे रुपये के हिसाब से या सैकड़ा के हिसाब से टैक्स लगायें इसमें कोई अन्तर नहीं आता है। इन दोनों हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं नजर आता है। अन्य राज्यों में म्युनिसिपैलिटिज द्वारा यह टैक्स लगाया गया है और हमारे यहां सरकार ने लगाया है इस पर एतराज किया गया। यह तो अपने अपने राज्य की बात है। वहां की प्रथा और है और हमारे यहां की प्रथा दूसरी है। इससे हमारे टैक्स के ऊपर किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता ।

जहां तक सिनेमा व्यवसाय के मन्द पड़ जाने की बात कही गयी, मैं समझता हूं, सिनेमा व्यवसाय में कोई कमी नहीं हो सकती और न वह मन्द पड़ सकता है, बल्कि जितना अधिक टैक्स लगाया जायगा उतना ही सिनेमा व्यवसाय, मेरा विश्वास है, आगे बढ़ेगा और फिल्म्स अच्छे बनेंगे। उनको यह डर रहेगा कि अगर अच्छे फिल्म्स तैयार करके जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किये गये तो शायद देखने वालों की कमी हो जाय। इसलिये सिनेमा व्यवसाय के कम होने की भी कोई सम्भावना नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो संशोधन माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बोलनेवाला भी नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं देख रहा हूं कि इस विधेयक के जो सिद्धांत हैं, उनके सम्बन्ध में कोई विशेष मतभेद नहीं है । माननीय नारायणदत्त जी ने कई मौलिक प्रश्न यहां पर उठाये कि एन्टरटेन्मेन्ट और बेटिंग टैक्स को वसूल करने का काम म्युनिसिपल बोर्ड को दे देना चाहिये, लेकिन जैसा कि आपने स्वयं कहा कि यह सवाल इस वक्त नहीं उठ सकता। यह सवाल सन् १९३७ में उठ सकता था, जबकि यह बिल पहले पहल यहां पर आया था। आज तो उस कानून के एक अंश पर थोड़ा सा संशोधन करने के लिये यह रखा गया है। इसलिये मैं उस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना अनावश्यक समझता हूं ।

यह जो टैक्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया, हमने भी उसको देखा है । टैक्स इन्क्वायरी कमेटी के सदस्यों ने अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से यह जान सकते हैं कि हमारे लिये क्या तरीके अच्छे हो सकते हैं। १९३७ से अब तक २० वर्ष का अनुभव है । हम सिनेमा चलाने वालों के तरीके को भी जानते हैं और यहां जनता के तरीके को भी जानते हैं। उसको बदलकर एकाएक कोई नया तरीका चलाना और वह भी थोड़े दिनों के लिये, यह सब को कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इसलिये हम ऐसा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहते। नारायण दत्त जी ने ऐसा भी कहा कि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग

रेट्स नहीं होने चाहिये। लेकिन हम मजबूर हैं कि इस प्रकार से करना बड़ा कठिन है। अगर हम चाहते हैं कि एन्टरटेनमेन्ट और बेटिंग टैक्स २ पैसा या ४ पैसा लगायें तो सारी स्टेट्स बैठकर आपस में राय करें यह नहीं हो सकता। सभी स्टेट्स इस वक्त अपनी आवश्यकता के अनुसार टैक्स लगाती हैं। उत्तर प्रदेश में एक बात और है कि यहां पर एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर बहुत हैं जो एन्टरटेनमेन्ट पर ज्यादा खर्च करते हैं। हमारे प्रदेश में जितने सिटीज हैं उतनी और किसी प्रदेश में नहीं हैं यह भी जिक्र हुआ कि १९४७ में टैक्स बढ़ाया गया तो आमदनी कम हो गयी। एक बड़ी मुसीबत है और एक आध बार पहले भी मैं उसकी शिकायत कर चुका हूं कि किसी चीज को वे पढ़ते हैं तो आधा पढ़ कर ही रुक जाते हैं। शुरू से जो टैक्स था और आज की जो हालत रही उसको ही मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। सैकड़े की फिगर्स छोड़ कर मैं पढ़ रहा हूं:

सन्	टैक्स (हजारों में)
४२–४३	८१४
४३–४४	१,८१४
४४–४५	२,२३६
४५–४६	२,५९०
४६–४७	२,७२२
४७–४८	३,६२८
४८–४९	६,०१७
४९–५०	६,९६७
५०–५१	७,९२४
५१–५२	८,५४६

टैक्स बढ़ने के चार साल तक बराबर कोई कमी का असर नहीं हुआ। अगर टैक्स का असर हुआ होता तो फौरन अगले साल ही होना चाहिये था।

५२–५३	७,७९८
५३–५४	७,२१७

इन दो सालों में आमदनी कम हुई है और यह कमी इस वजह से मालूम होती है कि गेहूं और दूसरी अन्य खाने की चीजों का भाव बढ़ गया था इसीलिये इन दो सालों में टैक्स में कमी हुई। लेकिन इसके बाद फिर बढ़ने लगा।

५४–५५	७,७७०
५५–५६	८,६८२
५६–५७	९,५५९

इसलिये यह कहना कि टैक्स बढ़ने का बुरा असर हुआ, मुनासिब नहीं है।

हमारे एक मित्र ने यह प्रस्ताव किया कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय। उन्होंने तांगे और इक्केवालों की बड़ी हिमायत की, यह ठीक है कि गरीबों की हिमायत होनी चाहिये लेकिन उस हमदर्दी में एक बात बड़ी भयानक वे कह गये कि वे बेचारे गरीब दिन भर मेहनत करते हैं और रात को खाने के बाद सिनेमा देखते हैं। लेकिन हम यह नहीं चाह सकते कि वे खाना न खायं। हम चाहते हैं कि वे खाना खायं क्योंकि खाने के स्थान पर एंटरटेनमेन्ट का कोई स्थान नहीं है। जहां तक रियायत का सवाल है, जो रिआयत उनको आज है वह ज्यों की त्यों रहेगी, यानी दो आने तक उनको माफ है और अब नये सिक्कों में १२ पैसे तक सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। जितना अब माफ है उतना ही नये कानून में भी माफ रहेगा। आज भी जहां दो आने की टिकट है वहां वे बिना टैक्स दिये देख सकते हैं।

माननीय तिवारी जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि फिल्म्स इन्क्वायरी कमेटी ने एक्जेम्प्शन स्वीकार किया था लेकिन हमारे कानून में वह नहीं है। यह सारे कानून का

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

संशोधन तो है नहीं। यह तो रेट बदलने की जो बात पुराने कानून में है, उसी का यह संशोधन है। आप पुराने कानून की दफा ६ को पढ़ें उसमें यही नहीं है कि एक्जेम्प्शन हो, बल्कि उसमें दो चीजें हैं—एक एक्जेम्पशन और दूसरा रिफंड। यानी अगर गलती से कोई रुपया वसूल कर लिया जायगा तो वह रिफंड भी हो सकता है। इसलिये हमारे कानून में उन सब बातों को स्वीकार कर लिया गया है जिन बातों को फिल्म्स इंक्वायरी कमेटी ने माना था। इसलिये मुझे आशा है कि मेरे इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १२ सितम्बर सन् १९५७ तक देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १—३

उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

यू०पी०ऐक्ट संख्या ८,१९३७।

यू० पी० एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को संशोधित करने का

विधेयक

यू०पी०ऐक्ट संख्या ८,१९३७।

यह इष्टकर है कि यू० पी० एंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू०पी० ऐक्ट संख्या ८,१९३७ की धारा ३ का संशोधन।

२—यू० पी० एंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द—

"Is two annas, but does not exceed three annas.	One anna.
Exceeds three annas, but does not exceed four annas.	One anna six pies.
Exceeds four annas, but does not exceed eight annas.	Two annas six pies.
Exceeds eight annas, but does not exceed rupee one.	Five annas.
Exceeds rupee one, but does not exceed rupees two.	Ten annas.
Exceeds rupees two, but does not exceed rupees three.	One rupee.

Exceeds rupees three, but does not exceed rupees four.	One rupee eight annas.
Exceeds rupees four, but does not exceed rupees five.	Two rupees four annas.
Exceeds rupees five, but does not exceed rupees six and annas eight.	Three rupees.
Exceeds rupees six and annas eight, but does not exceed rupees ten.	Four rupees, eight annas.
Exceeds ten rupees, for every five rupees or part thereof in excess of the first ten rupees.	Three rupees in addition to the payment on the first ten rupees."

निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय

"Is 12 nP but does not exceed 19 nP ..	10 nP
Exceeds 19 nP but does not exceed 25 nP	15 nP
Exceeds 25 nP but does not exceed 50 nP	25 nP
Exceeds 50 nP but does not exceed Re 1 ..	50 nP
Exceeds Re. 1 but does not exceed Rs. 2..	Re. 1
Exceeds Rs. 2 but does not exceed Rs. 3 ..	Rs. 1·50
Exceeds Rs. 3 but does not exceed Rs. 4 ..	Rs. 2·25
Exceeds Rs. 4 but does not exceed Rs. 5 ..	Rs. 3·50
Exceeds Rs. 5 but does not exceed Rs. 6.50	Rs. 4·50
Exceeds Rs. 6·50 but does not exceed Rs. 10	Rs. 6·50
Exceeds Rs. 10, for every five rupees or part thereof in excess of the first ten rupees	Rs. 4 in addition to the payment on the first ten rupees."

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ की धारा ४ का संशोधन ।

(१) उपधारा (१) में शब्द "Stamped with an impressed embossed, engraved or adhesive stamp (not before used) issued by Government for the purposes of revenue and" **निकाल दिये जायं ।**

(२) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(2) Government may, on such conditions as may be prescribed, require the proprietor to pay the amount of the entertainment tax due either :

(*a*) by stamping the tickets with an impressed embossed, engraved or adhesive stamps (not before used)

issued by the Government for the purposes of revenue and denoting that the proper entertainment tax payable under section 3 has been paid,

or

(*b*) in accordance with returns of the payments for admission to the entertainment and on account of the tax,

or

(*c*) by a consolidated payment of a percentage, to be fixed by Government, of the gross sum received by the proprietor on account of payments for admission to the entertainment and on account of the tax,

or

(*d*) in accordance with results recorded by any mechanical contrivance which automatically registers the number of persons admitted."

(३) उपधारा (३) निकाल दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—इस पर माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी का एक संशोधन आया है जो वक्त के अन्दर नहीं आया है और जिस के द्वारा उन्होंने यह चाहा है कि खंड २ में १० नये पैसे के स्थान पर ६ नये पैसे, १५ नये पैसे के स्थान पर ९ नये पैसे, २५ नये पैसे के स्थान पर १६ नये पैसे और ५० नये पैसे के स्थान पर ३१ नये पैसे रख दिये जांय। मैं सदन से जानना चाहूंगा कि किसी माननीय सदस्य को इस संशोधन के लेने में ऐतराज तो नहीं है ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—यह श्रीमन्, समय के बाहर आया है इसलिये इस के लिये जाने पर एतराज है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, इसके लिये ४ बजे तक का समय निश्चित है, कौन सी आफत है जो इसका विरोध किया जा रहा है ? आप स्वयं इस पर विचार कर लें कि जब यह एक ही संशोधन है और ४ बजे तक का समय भी है तो क्यों न इसको लिया जाय। विरोध के क्या माने हैं ?

श्री अधिष्ठाता—हमारी नियमावली का रूल ११२ ऐसा है कि अगर किसी माननीय सदस्य को ऐतराज हो तो संशोधन नहीं लिया जा सकता, इसलिये अब मजबूरी है और यह नहीं लिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यहां का कनवेन्शन रहा है कि इस तरह से अगर संशोधन आ जाय तो उसे ले लिया जाता है और मान लिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—अब तो इस पर फैसला दिया जा चुका है ।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

मेम्बरान को यह जरूर याद होगा कि बजट स्पीच में गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया था कि जो ड्यूटी २५ फीसदी की बिजली पर लगी हुई है उसमें गवर्नमेंट पांच फीसदी की कमी कर देना चाहती है और जहां पर नौ आने कीमत है उस नौ आने की वजाय छः आने कर देना है। यह बिल मैंने इसलिये पेश किया है कि जो ऐक्ट है इसके मुताल्लिक उसमें यह संशोधन किया जाय कि गवर्नमेंट को इस संशोधन के जरिये से यह अख्तियार होगा कि उस २५ फीसदी में से जितना भी जिस वक्त चाहें अपने नोटिफिकेशन के जरिये से घटा दें। उस वक्त मैंने फीसदी कहा था। लेकिन गवर्नमेंट को अख्तियार हो जायगा कि २५ फीसदी से बढ़े नहीं, लेकिन २५ फी सदी के अन्दर अन्दर जितना चाहे घटा दे और ९ आने के वजाय ६ आने उसकी जगह हो जायगा। इससे ज्यादा बिल और कुछ नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, यदि मुझे आज्ञा हो तो भाषण दूं।

श्री अधिष्ठाता—अगर आप आपना संशोधन पेश करना चाहें तो पेश कर दें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मुझे इजाजत दे दीजिये कि मैं बोल लूं।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा तो आप बोल सकते हैं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में जहां तक माननीय वित्त मंत्री हमको सुविधायें दे रहे हैं हम उसके लिये आभारी हैं और उनको इसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ इस में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान आप के द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, आज यह ठीक है कि वह जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सवाल है २५ फीसदी से २० फीसदी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी करना चाहते हैं। लेकिन इस विधेयक को देखते हुये इस के उद्देश्य और कारण को पढ़ते हुये तो यह स्पष्ट है कि, मैं आपकी आज्ञा से पढ़े दे रहा हूं। "राज्य के औद्योगिक विकास के हित में, औद्योगिक व्यवसायों द्वारा उपभुक्त बिजली पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी २५ प्रतिशत से कम करके २० प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है।"

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं लंच के पूर्व यह कह रहा था कि मंत्री जी ने जो कुछ सुविधायें दी हैं उनके लिये हम आभारी हैं। इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अब तक २५ फीसदी थी अब उसको घटाकर २० फ़ीसदी कर रहे हैं। जहां तक डोमेस्टिक परपजेज का सवाल है आज तक ९ आने जब बिजली की प्राइस रहती थी तो टैक्स लिया जाता था और जब उससे अधिक कीमत होती थी तब ड्यूटी नहीं चार्ज करते थे, नहीं तो कम रहने पर एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी ली जाती थी और उस हिसाब से ली जाती थी कि वह पहुंच कर ९ आने हो जाय। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि चार्जेज इतने अधिक हैं। यह ठीक है कि एक कदम मंत्री जी ने उठाया है जिस से एक सहूलियत मिलेगी। लेकिन मैं आप के द्वारा उनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर इस सहूलियत में कुछ इजाफा हो सकता तो बहुत ही अच्छा होता। इसके संबंध में यह भी कहना होगा कि जब हम सेकेन्ड फ़ाइव ईयर प्लान के प्रारम्भिक काल में हैं तो उस समय इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये आज ड्यूटी २०फीसदी कर रहे हैं यह भी बहुत ही अधिक है। माननीय मंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिये कि एलेक्ट्रिसिटी की कास्ट आफ़ मैन्यूफ़ैक्चर पर इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है तो काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये भी हमें विशेष रूप से

†३० अगस्त, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

ध्यान देना होगा कि कहीं इस ड्युटी से किसी प्रकार का बुरा असर उन पर न पड़े। श्रीमन्, मैं इसके सम्बन्ध में टैक्सेशन एनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के पेज ५२७ की ओर मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं और आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

"In regard to rates of the duty the main considerations are—

(1) on lights and fans the rates should be reasonably low,

(2) on other domestic appliances, they should be lower; and

(3) on industrial consumption they should be lowest of all; and in fact extremely low.

"There are certain Industries where the powar costs constitute a substantial item of the cost of manufacture. The rate of levy has to be specially low for them. For cottage and small scale industries specially low rates (or even exemption) would be justifiable in order that these may adapt themselves to improve methods of production."

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इसका हिन्दी में अनुवाद बता दें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—जी हां, मैं आप की आज्ञा से किये देता हूं।

ड्यूटी के सम्बन्ध में जो खास बातें देखनी हैं वह यह हैं। पहली तो यह कि पंखे पर और बिजली पर इसकी दर कम होनी चाहिये। और घरेलू चीजों के ऊपर और भी कम होनी चाहिए। औद्योगिक कंजम्पशन के लिये जो बिजली ली जाय उसके सम्बन्ध में इसका यह कहना है कि सबसे कम होनी चाहिये और बहुत सी ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि पावर के खर्चे की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर काफी असर पड़ता है, उनके लिये रेट बहुत ही कम होना चाहिये। छोटे और घरेलू उद्योग धन्धों के लिये विशेष रूप से बहुत थोड़े रेट्स होने चाहिये और हो सके तो वह एक तरीके से मुस्तसना भी होने चाहिये। यही इस रिपोर्ट का अभिप्राय है।

तो इन सिद्धान्तों के देखते हुये जहां तक इंडस्ट्रियल परपजेज का सवाल है उनका यह कहना है की बहुत सी जगह तो एग्जम्पशन भी होना चाहिये। यह हो सकता है कि बहुत सी जगह सरकार मुनासिब न समझे, तो वहां न करे। और पंखे, लाइट और घरेलू चीजों के लिये बहुत ही कम, नामिनल रेट्स होने चाहिये। इन सब चीजों को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि जो सहूलियत दी जा रही है, मैं उसका एहसान मानता हूं, एहसान फरामोशी नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि जितना किया जा रहा है वह मौके को देखते हुये काफी नहीं है। डोमेस्टिक परपजेज के लिये अगर छः आने से चार आने तक की लिमिट रखी गयी होती तो बहुत अच्छा होता और जहां पर यह २५ प्रतिशत है, यह ठीक है कि उसको घटाकर २० प्रतिशत किया जा रहा है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक को पढ़ देना चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य और कारण है उसमें यह स्पष्ट है, वह कहते हैं कि एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी २५ प्रतिशत से कम करके २० प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। लेकिन साथ ही साथ विधेयक जो है उसमें यह लिखा जाता है कि लगाई गई दर पर उस दर के हिसाब से जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके समय समय पर नियत करे और जो लगाई दर के २५ प्रतिशत से अधिक न होगी आगणित की जायगी।

इसके माने यह हुये कि अब तक २५ परसेंट पर कम्यूटेड होता था। अब माननीय मंत्री महोदय के कहने के माने यह हैं कि उसका मैक्सिमम है २५ परसेंट, जब कि उद्देश्य विधेयक का जो है उसमें यह बिलकुल साफ है कि सरकार निश्चयात्मक रूप से उसको २० प्रतिशत करना चाहती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई वजह ऐसी नहीं मालूम होती है कि इस जगह आप २५ प्रतिशत रखें यानी सबजेक्ट टु ए मैक्सिमम आफ २५ परसेंट। मैं आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस जगह आप को २० ही करना चाहिये था, हालांकि मुझे तो शिकायत उस २० पर भी है। लेकिन आपने एक सिद्धान्त मान लिया कि हम २० रक्खेंगे तो उसके बाद यह अधिकार अपना सुरक्षित रखना उचित नहीं मालूम होता और न उसके लिये

कोई खास वजह ही मालूम होती है । मैं मानता हूं कि विधेयक अपनी जगह पर कहता है कि २० फीसदी सरकार करना चाहती है लेकिन पावर भी अपने पास २५ प्रतिशत तक सुरक्षित रखना चाहती है यानी किसी भी स्टेज पर जब वह चाहें, तो २५ परसेंट रिआयत जो दी है, उसे हटा ले । मैं साफ तौर से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि निश्चयात्मक रूप से अगर सरकार उसे २० फीसदी रखना चाहती है तो ऐक्ट में भी २० फीसदी कर दे ।

बिजली एक ऐसी चीज है जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चाहे घरेलू उद्योग धन्धे हों, चाहे किसी प्रदेश या देश के विकास हेतु हो, तो उस पर इस तरह से कर लगाना जिससे भविष्य में आगे चल कर आपके पूरे नक्शे पर असर पड़ता हो, मैं इसको बुद्धिमानी नहीं मानता । मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इससे सरकार को २५ लाख रुपये का नुक्सान होता है, लेकिन इस सबके बावजूद भी ये गलतियां हो गई । किस वजह से हुई ? क्या मंशा थी ?

जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप की चल रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब कि आप इस मुल्क में लाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड आफ लिविंग में आप जब कि वृद्धि करना चाहते हैं, इन सब चीजों को देखते हुये ऐसी आवश्यक वस्तु की दर आप इस रूप से रखिये, उसकी कीमत ऐसी होनी चाहिये, ड्युटी उस पर इतनी कम होनी चाहिये जिस से कि बिजली प्रत्येक मनुष्य को उपलब्ध हो सके या फायदा उससे उठाया जा सके ।

शहरों के अलावा देहातों में भी सरकार का बहुत से उद्योगों को चलाने का इरादा है । जब देहातों में इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये बिजली दी जाती है या डोमेस्टिक परपजेज के लिये दी जाती है तो इनरेट्स को देखते हुये और बिजली लगवाने में जो इनीशियल एक्सपेंडीचर पड़ता है उसको देखते हुये देहात के लोग उसका फायदा उठा नहीं पायेंगे । अगर मंत्री महोदय इस पर भी प्रकाश डालें कि आइन्दा चल कर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक परपजेज के लिये बिजली का क्या हिसाब किताब इस प्रदेश में हो सकेगा, क्या.क्या सहूलियतें वे दे सकेंगे, तो हम समझ सकेंगे कि सरकार क्या कर रही है और ये चीजें जिन्हें सरकार देहात में पहुंचाना चाहती है वे वहां पहुंच सकेंगी या नहीं पहुंच सकेंगी । शहरों की तो दूसरी परिस्थिति है । पान वाला या छोटी दूकान वाला भी पड़ोस की देखा, देखी लगाये हुये हैं लेकिन देहातों में यह बात नहीं है । अगर देहातों में आप चाहते हैं कि लोग अपने जाती इस्तेमाल के लिये बिजली को अपनावें तो ६ आने पर भी ड्युटी नहीं लगानी चाहिये और मैं समझता हूं कि ड्युटी किसी भी सूरत से १० फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । यदि इससे अधिक होती है तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश को महान क्षति पहुंच सकती है । रुपये के प्रबन्ध के लिये एक सोर्स को टैक्स करने के लिये हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री जी यह तकलीफ गवारा न करें जो कमी और भी की जा सकती है उसका खमियाजा किस तरह से पूरा किया जा सकता है लेकिन मैं उनसे यह जरूर इस्तदुआ करूंगा कि अब आप इसको सोचें और बिजली की कीमत और ड्युटी जो इस प्रदेश में अब भी अधिक है, उसको देखते हुये मैं आपके द्वारा उनसे अनुरोध करूंगा कि ध्यानपूर्वक इस पर विचार करें ताकि हमको और क्या-क्या सहूलियत दे सकते हैं । यही मुझे कहना है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को लाने के लिये धन्यवाद देता हूं । आज से ६ वर्ष पहले जब कि वित्त मंत्री महोदय ने एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी का बिल इस सदन में उपस्थित किया था, तो उन्होंने विचार प्रकट किया था कि इसके द्वारा सरकार को जो आमदनी होगी उससे इस प्रदेश में बिजली के प्रसार के लिये योजना बना कर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का प्रयास करेंगे । इन ६ वर्षों में हमारे प्रदेश में बिजली के विस्तार के लिये जिस तरह की योजनायें बनीं और जिस तरह पर लोगों ने विद्युत का प्रयोग करके उद्योग धन्धे बढ़ाने की कोशिश की और जिस तरह की उन्हें सफलता मिली, उसका बहुत कुछ श्रेय वित्तमंत्री को है ।

[श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा]

इस विधेयक में वित्त मंत्री ने जो मांग की है , मैं आशा करता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य उस मांग की सराहना करेगा। वित्त मंत्री जी की मांग यह है कि उनको यह अधिकार मिले कि जो एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी उन्होंने आज से ६ वर्ष पहले २५ प्रतिशत लगायी थी, अब आज उसे २० प्रतिशत करना चाहते हैं और २० प्रतिशत से भी कम करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। वह इस बात का द्योतक है कि वह यह सोच रहे हैं कि इस ड्युटी को वह कुछ और भी कम करेंगे। सचमुच इस देश के उद्योग धन्धों के विस्तार के लिये और महंगी से दबी हुई जनता के लिये जो कुछ भी थोड़ा पैसा इस विद्युत् के टैक्स से आदमी की पाकेट में बच जायगा, वह उसके निर्वाह के कार्य में आयेगा ।

विद्युत का प्रसार जिस तरह से इस प्रदेश में बढ़ा है , उसी हिसाब से कुछ कल कारखाने भी बढ़े हैं। इस प्रदेश के ३६ कस्बों में बिजली के प्रसार करने की घोषणा वित्त मंत्री महोदय ने की थी और हम देख रहे हैं कि पिछले दो ढ़ाई वर्षों में उन कस्बों में बिजली ले जाने के लिये प्रयास भी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कठिन कार्य है, जिन जगहों पर बिजली न पहुंची हो वहां बिजली को आसानी से पहुंचाया जाय। सरकार के सामने कठिनाइयां हैं उन मशीनों को लाने में कठिनाइयां हैं जिनके द्वारा हमारे बिजलीघरों में बिजली की शक्ति बढ़ायी जा सकती है और उन्हीं कठिनाइयों के कारण मैं देखता हूं कि अभी तक इन ३६ कस्बों में से किसी भी कस्बे में बिजली नहीं पहुंची है। "देर आयद दुरुस्त आयद" उर्दू की इस मसल के अनुसार अगर देर हुई है और अब भी बिजली मिले , सस्ती मिले तो लोगों को जो शिकायत है वह दूर हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि यह मांग जो वित्त मंत्री जी ने २० परसेंट की ड्युटी करने के लिये और उससे कम का अधिकार प्राप्त करने के लिये रखी है उसको चारों ओर से समर्थन प्राप्त होगा।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये जो ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं उनमें भी चालू करने के लिये , विद्युत शक्ति देने के लिये , इस प्रदेश में सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। इस माननीय सदन में शिकायतें हुईं कि इतने नल-कूपों को बिजली नहीं मिल रही है। अब यदि उनको बिजली मिलेगी और सस्ती मिलेगी , ड्युटी कम लगी हुई मिलेगी तो उसका काफी प्रयोग हो सकेगा। अक्सर काश्तकार इन नलकूपों से पानी इस लिये नहीं लिया करता था क्योंकि उसे बिजली महंगी पड़ती थी और यों कहना चाहिये कि कुछ कंजूसी के साथ सिंचाई के वास्ते वह अपने नलकूप से पानी लिया करता था। जब बिजली का कर घटेगा तो निश्चित रूप से सिंचाई की मात्रा बढ़ेगी और जब सिंचाई की मात्रा बढ़ेगी तो मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के अन्न की उपज भी बढ़ेगी और जो कमी इस प्रदेश में अन्न की हो रही है , उसकी पूर्ति हो सकगी।

यह एक ऐसा कदम माननीय वित्त मन्त्री उठा रहे हैं कि यह हमारी खाद्य समस्या के हल करने में सहायता करेगा। बिजली की ड्युटी कमकर देना इस ओर सच्चा कदम है। आज हमारे छोटे उद्योग धंधों के लिये जो बिजली मिलती है वह एक तरह से मंहगी पड़ती है, बड़े उद्योग धंधों के लिए तो बहुत सस्ती पड़ती है। मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मन्त्री से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस रेट में बड़े उद्योग धंधों को बिजली दी जाती है उसी रेट में अगर हमारे छोटे उद्योग धंधों को बिजली मिलने लगेगी तो वह हमारे प्रदेश में फलेंगे फूलेंगे और जो हमारे यहां बेकारी है, गरीबी है और कमियां हैं, वह दूर हो सकेंगी। यह एक बहुत बड़ी सहायता होगी जब लोगों को सस्ती बिजली मिलने लगेगी।

देहातों के लिए बिजली की योजना है। कस्बों में लोगों ने ऐसी मशीनें मंगवा ली हैं जो बिजली से चलती हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने कामज बनाने के लिए कारखाने बनाये हैं। जब आयल इंजिन से उनको काम चलाना पड़ता है तो वह बहुत महंगा पड़ता है। यदि हम उनको सस्ती बिजली दे सकेंगे तो हमारे प्रदेश में हाथ का बना हुआ कागज अच्छा और सस्ता मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त साइकिल के कल पुर्जों के बनाने के लिए आयल

इंजिन को इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वह महंगे पड़ते हैं। यदि उन्हें बिजली मिल जाय तो हमें कल पुर्जे भी सस्ते मिलने लगेंगे। आज जनसाधारण के लिए साइकिल बहुत जरूरी सवारी हो गयी है। इसलिए अगर साइकिल के कल पुर्जे सस्ते मिलने लगेंगे तो एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हो जायगी।

इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि कानपुर में जो केसा का बिजली का कारखाना है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बिना उपयोग में लाये पड़ी रहती है। उस कारखाने के जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने एक योजना बनायी है कि जिस समय शहर के दूसरे हिस्से में बिजली कम खर्च हो उन घंटों में छोटे-मोटे कारखानों के लिए बिजली दी जा सके। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से जो अतिरिक्त बिजली है, उसके इस्तेमाल के लिए एक अच्छी सी योजना तैयार की जाय और इस तरह से कानपुर जिले को जो कानपुर शहर के कारण पिछड़ा हुआ है और हमारे छोटे उद्योग-धंधे बड़े उद्योग-धंधों के कारण पनप नहीं पाते हैं, उनको सहायता मिलेगी और उजड़े हुए गांवों में जब बिजली का सम्पर्क हो जायगा तो छोटे-मोटे कारखाने चलने लगेंगे और लोगों को काम मिलने लगेगा। इन शब्दों के साथ विद्युत की दर कम करने के लिए और कम करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के इस प्रयास की सराहना करता हूं कि वह हमारे ग्रामीण जनता की झोपड़ियों में जहां कि अंधेरा रहता है, वहां विजली पहुंचाना चाहते हैं। श्रीमन्, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां पर तीन महीने काम करने के बाद किसान इस तरह से रहता है कि अधिकतर उसको काम नहीं मिलता है। खेती में हम अभी तक इतना विकास नहीं कर सके हैं इसलिए उद्योग-धंधों के द्वारा ही हम देश की तरक्की कर सकते हैं। बड़े-बड़े उद्योग-धंधे बिजली से चलते हैं। श्रीमन्, दूसरे प्रान्तों को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बम्बई में एक पैसा दो यूनिट पर टैक्स लिया जाता है और मैसूर में १० प्रतिशत् है। हमारा प्रान्त औद्योगीकरण के मामले में मैसूर और बम्बई से बहुत पीछे है। यहां के केवल ४ प्रतिशत लोग उद्योग-धंधों में लगे हुए हैं। तो जिस प्रान्त में केवल ४ प्रतिशत लोग ही उद्योग-धंधों में लगे हों, वहां पर इन्डस्ट्रियल परपजेज के लिए २० प्रतिशत का टैक्स लगाना, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा है। अगर हमें उद्योगों को आगे बढ़ाना है तो बिजली पर, जिस से उद्योग-धंधे चलते हैं, कम से कम टैक्स लगाना होगा। श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से गवर्नमेंट आफ इण्डिया टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है--

"A duty on electricity hinders the development plan of an industrial concern".

श्री अधिष्ठाता--इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री प्रताप सिंह--हिन्दी में इसका अर्थ यह है कि बिजली पर टैक्स लगाने से उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर हम अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं तो वह उद्योगों को आगे बढ़ा कर ही कर सकते हैं। लेकिन जिससे हमारे उद्योग-धंधे चलते हैं, यानी बिजली पर अगर टैक्स ज्यादा हो जायगा तो फिर हम औद्योगीकरण का विकास नहीं कर सकते।

इस टैक्स का श्रीगणेश सन् १९३२ में बम्बई से हुआ। तभी से उत्तर प्रदेश में भी यह टैक्स लगाया गया है। सन् १९३२ से सन् १९४८ तक किसी भी स्टेट में इन्डस्ट्रियल परपजेज के लिए बिजली पर टैक्स नहीं लगता था, केवल डोमेस्टिक कन्जम्प्शन पर ही लगाया जाता था। उसके बाद सन् १९४९ में बम्बई ने उसको बढ़ा कर इन्डस्ट्रियल परपजेज पर भी लगाया। इस संशोधन विधेयक द्वारा हमारी सरकार २५ प्रतिशत के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए २० प्रतिशत करने जा रही है। इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने कहा,

[श्री प्रतापसिंह]

मैं भी यही समझता हूं, कि इसको घटाकर १० प्रतिशत कर दिया जाय जिससे हमारे उद्योगों का विकास हो सके।

दूसरे अगर हम मूल ऐक्ट को और इस संशोधन विधेयक को देखें तो इनमें एग्जेम्पशन की बात कहीं नहीं कही गयी है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी एग्जेम्पशन के लिए कहा है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जायगा।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जितने भी चैरिटेबिल इन्स्टीटचूशन्स हैं, स्कूल हैं, लड़कों के छात्रावास हैं, अस्पताल हैं, उन पर यह टैक्स न लगाया जाय। इसके अलावा जहां पूजा होती है, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजा हो, वहां पर बिजली पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

सदन की इत्तिला के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैसूर में डोमेस्टिक कन्जम्पशन पर बिजली पर टैक्स नहीं लगता।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि जहां पर गरीब हरिजन लोग रहते हैं या जो मजदूर बस्तियां हैं, जिनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है उनसे भी यह टैक्स न वसूल किया जाय।

एक चीज यह भी है कि आज हम बिजली को गांवों में ले जाना चाहते हैं, लेकिन डोमेस्टिक कन्जम्पशन पर टैक्स है। तो एक ओर सरकार बिजली का प्रचार करना चाहती है और चाहती है कि अधिक से अधिक लोग बिजली का इस्तेमाल करें और दूसरी ओर अगर हमने डोमेस्टिक कन्जम्पशन पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया तो मैं समझता हूं कि लोग अपने गांवों में बिजली ले जाना पसन्द नहीं करेंगे। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन गांवों में वह बिजली का प्रचार करना चाहते हैं उन में इस प्रकार बिजली पर टैक्स लगाने से प्रचार नहीं हो सकता है। मुझे इस सिलसिले में एक बात याद आती है कि जब टोमाटो जिसे हम टमाटर कहते हैं, यहां इस देश में पैदा किया गया तो लोगों को वह मुफ्त बांटा गया, किन्तु लोगों ने उसे लेना पसन्द नहीं किया। अगर हम देहातों मे बिजली बढ़ाना चाहते हैं तो हमको डोमेस्टिक परपजेज के लिए टैक्स लेने की बात नहीं करनी चाहिए। इससे बिजली का प्रचार नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात यह है कि बिजली के जो रेट्स हमारे प्रदेश में हैं वह एक सा नहीं हैं। आज पीलीभीत में ८ आना यूनिट का रेट है और यह मैं समझता हूं कि प्रदेश में सबसे अधिक रेट है। इन में एक युनिफार्मिटी होनी चाहिए ताकि जनता को यह शिकायत न रहे कि हमसे बिजली के ज्यादा रेट लिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त अगर हम सच्चे मानों में बिजली से अपने गृह-उद्योग चलाना चाहते हैं, औद्योगिक विकास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देहातों में उद्योग-धंधे बढ़ें तो हमको जो इन्कम ग्रूप वालों पर कम से कम टैक्स लगाना चाहिए और कम से कम रेट पर देहातों में बिजली देनी चाहिए। कम से कम, जैसा कि मैंने पहले बतलाया, पब्लिक इन्स्टीटचूशन्स, पब्लिक प्लेसेज, छात्रावास तथा चैरिटेबिल जितनी भी जगहें हों उनसे बिजली का टैक्स न लिया जाय और उनको एग्जेम्प्ट किया जाय।

श्री कैलाशकुमार सिंह (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं वित्त मन्त्री जी को इस बात पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज प्रदेश के औद्योगीकरण को मद्देनजर रखते हुए एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी २५ फीसदी से २० फीसदी घटाने के लिए यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है।

इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि हमारा देश जो कि कृषि प्रधान है और जिसमें किसानों के लिए काम करने का वक्त साल में ज्यादा से ज्यादा ३ या ४ महीने का होता है, और उनका बहुत सा समय खाली रहता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको सस्ती से

सस्ती बिजली छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिए देनी है। आज जो यह कमी की गयी है उससे मेरे ख्याल में गांव के लोगों को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। बहुत बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स जो हैं उन्हीं को इससे कुछ लाभ होने की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि अगर आज आप बिजली के रेट्स देखें तो इन्डस्ट्रियल लोड पर १ आना ९ पाई फी यूनिट लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त साढ़े तीन पाई फी यूनिट सर-चार्ज लगाया जाता है और उसके ऊपर २५ पर सेंट ड्यूटी लगायी जाती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि २५ फीसदी को २० फीसदी कर देने से कितना लाभ होगा जब कि हम साढ़े तीन पाई फी यूनिट सरचार्ज भी लेते हैं। यह सरचार्ज कौन सी बला है कि जो इसके साथ लगा दी गयी है। अगर आपको १ आना ९ पाई के बजाय बिजली के रेट्स बढ़ाने ही हैं तो आप २ आना आधा पाई कर दीजिये, इसको अलहदा-अलहदा रखना, एक मुगालते में चलना है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जा सकती। यह एक अच्छी बात है जब कि कम से कम देश के औद्योगीकरण को देखते हुए २५ फी सदी से २० फीसदी ड्यूटी की गयी है या की जाने वाली है जैसा कि इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही साथ यह भी हमें देखना पड़ेगा कि बिजली हम जितनी सस्ती से सस्ती मुल्क में दे सकें, अपने सूबे में दे सकें, उतना ही ज्यादा हम उद्योग-धंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। ज्यादा तेज बिजली देने से औद्योगीकरण में उतना जल्दी विकास नहीं हो सकता है जितना कि हम चाहते हैं। बिजली के बड़े-बड़े प्लान्ट लगाये जा रहे हैं और बिजली पैदा करने की बात की जा रही है। इसके साथ-साथ हमें यह भी जरूरत महसूस होती है कि देश का रेवेन्यू, अपने प्रान्त का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें सरचार्ज लगाना पड़े या ड्यूटी लगाना पड़े, लेकिन सब बातों को देखते हुए बिजली एक ऐसी इन्सान की जरूरत की चीज हो गयी है कि जितनी जायज सस्ती से सस्ती हम कर सकते हैं उतना जरूर करनी चाहिए। मेरा यह सुझाव माननीय मन्त्री जी की सेवा में है कि जो यह २५ फीसदी से २० फीसदी की गयी है, वह अगर उचित समझा जाय, तो आइन्दा चलकर और कम करने की कोशिश करें। बिजली को जितनी सस्ती हम दे सकते हैं उतना ही देश में जल्दी इन्डस्ट्रियल डेवेलप्मेंट कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि ऐग्रीकलचरल लोड पर जो बिजली खर्च की जाती है उसके लिए इस बिल में कोई प्राविजन नहीं किया गया है, जैसे कि ट्यूब वेल हैं। ट्यूब वेल पर सूबे में काफी बिजली खर्च होती है, लेकिन उस पर भी २५ फीसदी ही पड़ती है। अभी मुझे बतलाया गया है कि मुफ्त है, लेकिन उस पर जो सरचार्ज है वह ज्यादा है। खेती के लिए जो कुएं हैं उन पर ज्यादा बिजली खर्च होती है उस पर सरचार्ज को माफ होना चाहिए। यही सुझाव मुझे आपकी सेवा में रखना था।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त-मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल पर जहां तक दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण है, वह तो माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के विचारों से जाहिर हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस पर अपना संशोधन नहीं पेश किया है। इससे यह जाहिर है कि वह इसके उसूलन् विरोध में नहीं हैं बल्कि वह इन सब बातों से ऐग्री करते हैं। उनको अगर कुछ इस में विरोध है तो वह विरोधी पक्ष में बैठने के नाते से ही है, जिसके कारण वह विरोध करना जरूरी समझते हैं और २, ३ बातों की तरफ उन्होंने माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान खींचा है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने इस बात पर खुशी जाहिर की है और इस बात का समर्थन किया है कि जो ९ आना से घटाकर ६ आना किया गया है और २५ फीसदी से २० फीसदी की गयी है। इस बात को देखते हुए यह बिल बिना किसी विरोध के पास हो जाना चाहिए था किन्तु जहां तक मैं माननीय सदस्यों के विचारों को समझा हूं उससे यह जाहिर होता है कि वह यह चाहते हैं कि जो उद्योग के विकास के लिए बिजली दी जाती है उसका रेट ज्यादा है जिसकी वजह से औद्योगिक विकास जल्दी होने की सम्भावना नहीं है।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने जो २५ फी सदी से २० फी सदी बिजली की ड्यूटी इन्डस्ट्रियल परपजेज के लिए करने का प्रस्ताव किया है उसका मतलब यह है कि इससे औद्योगीकरण को सहारा मिले। प्रताप सिंह जी ने एक लिस्ट गिनायी, हरिजनों के लिए, मजदूरों और अस्पतालों के लिए और जाने क्या-क्या उन्होंने बताया, और कहा कि इनके लिए बिजली मुफ्त होनी चाहिए। बिजली पैदा करने पर खर्चा होता है, और वह दूसरों को उनकी सुविधा के लिए दी जाती है। यह कोई कारण नहीं है कि एक हरिजन को सरकार मुफ्त बिजली दे और मैं या और कोई जो उसे न इस्तेमाल करे वह उससे वंचित रहे। सुविधा देने के बदले में सरकार पैसा लेती है। माफी का कोई आधार नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इन्डस्ट्रियल परपजेज के लिए और कन्जम्पशन के लिए रेट हमारे यहां अधिक और बम्बई में कम हैं और मैसूर में १० परसेंट उन्होंने बतलाया। उन्होंने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से पढ़कर बताया। परन्तु उन्होंने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की फ़ाइन्डिंग्स को नहीं देखा। बिजली की आमदनी भी उनको देखनी चाहिए। बिहार का, उन्होंनेकहा कि वहां कम है। तो बिहार में बिजली के टैक्स से आमदनी भी २०८ लाख रुपया है, यह साल १९५४-५५ का है, वेस्ट बंगाल में १०६ लाख है और उत्तर प्रदेश में केवल ८० लाख रुपया सरकार को मिलता है।.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य यह बतलावें कि वह किसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—टैक्सेशन इन्क्वायरी की रिपोर्ट जो उन्होंने पढ़ी उसका जिक्र कर रहा हूं। मैंने जो आंकड़े दिये हैं उनसे यह साफ जाहिर है कि बिजली से सरकार को वहां अधिक आय होती है। वहां काफी लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं। वहां बिजली पैदा करने की कीमत भी कम है। लेकिन यहां अभी ऐसी बात सम्भव नहीं है।

इसी तरह से छूट का मुकाबला करना कोई वाजिब मुकाबिला नहीं था। अगर उनकी बात मान भी ली जाय तो इसके मानी यह हैं कि कल उन्हीं की ओर से पुकार होगी कि अधिक से अधिक गांवों में बिजली पहुंचायी जाय। अगर एक ओर रेट घटाया जाय और दूसरी ओर सरकार से यह मांग की जावे कि वह अधिक तार या लाइन लगावे, और बिजली अधिक फैलावे तो सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है। इसलिए उनकी दलील उचित नहीं थी। मेरा ख्याल है कि उसे सरकार मान भी नहीं सकती है, क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं। काम पैसे से होता है। जनता से पैसा आता है और उसी के हित में लगाया जाता है। जैसे सूरज समुद्र से बादल के रूप में पानी खींचता है और अगर १ घड़ा खींचता है तो ४ घड़े बरसा देता है, उसी तरह से सरकार ४ जगह से बिजली का टैक्स लेती है और १० जगह उससे बिजली देती है।

जहां तक घटोत्तरी की बात है वह अभी तक २५ फीसदी थी। उसे अब सरकार २० फी सदी कर रही है। अवधेशप्रताप सिंह जी ने इसमें एक शंका उत्पन्न की कि टेक्निकल डेफिनिट बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि २० फीसदी के साथ क्या जरूरत है कि मंत्री जी २५ फी सदी मैक्सिमम का भी अधिकार ले रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार ने स्वयं ही २० परसेंट रखा है, इसकी विरोधियों की ओर से कोई मांग नहीं थी। तो फिर माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी यह कैसे सोचते हैं कि सरकार उसके खिलाफ चली जावेगी? अगर सरकार ऐसा अधिकार ले रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार ने ही अपनी तरफ से यह मूव किया है। अवधेशप्रताप सिंह जी की ओर से २० फीसदी का, प्रतास्व नहीं आया है। यह इसलिए रखा गया है कि उद्योग बढ़े। मैं नहीं सोच सकता कि सरकार इसे मिसयूज करेगी। यह बिल सरकार जनता के हित में और औद्योगीकरण के हित में लायी है। अगर इतना फैलावे का अधिकार सरकार को दिया जाता है तो इसमें विरोधी पक्ष के लिए या अवधेशप्रताप सिंह जी के लिए कोई घबराने की बात नहीं है।

एक दूसरे सदस्य ने कहा कि सरकार इस तरह से मुगालते में डाल रही है। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। सरकार का दृष्टिकोण साफ है। मुगालते में लाने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यह बात रखी तो गांवों की तरफ बिजली नहीं जायगी और वहां कोई बिजली नहीं लेगा। मैं समझता हूं कि इसी सदन में माननीय सदस्यों का समय-समय पर दृष्टिकोण रहता है और सवालों के जरिये से विचार रखे जाते हैं कि बिजली की जरूरत को लोग इतना महसूस करने लगे हैं कि जिस क्वार्टर से देखिये, चाहे वह इन्डस्ट्री हो या प्राइवेट कन्जम्पशन की बात हो, बिजली के इस्तेमाल करने की जनता की आदत सी पड़ गयी है। अधिष्ठाता महोदय, मैंने देखा है कि माननीय मन्त्री जी की यह मजबूरी हो जाती है कि वे सवाल का यह जवाब दें कि वे उन सारी मांगों को पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मीन्स लिमिटेड हैं। ऐसी हालत में जब कि उत्तर प्रदेश में घटोत्तरी २५ प्रतिशत से २० प्रतिशत कर दी गयी है और ९ आना से ६ आना घटोत्तरी कर दी गयी है तो यह दलील नहीं ठहरती कि लोग बिजली को न लेंगे और लोग इस्तेमाल करने में हिचकेंगे। मैं तो समझता हूं कि यह तो उत्तर प्रदेश के बिजली के इस्तेमाल करने वालों के हित में ही है कि उनका रेट नीचे आ रहा है, उन्हें सहूलियत दी जा रही है। माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने इसको महसूस किया और मन्त्री जी के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। इसलिए इसमें मुगालते में लाने की कोई बात नहीं है। अब मैं अधिक न कह कर यह चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य इसको जल्दी से जल्दी पास कर दें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मैं इस बिल पर बोलने की इच्छा नहीं रखता था किन्तु अभी सरकार की ओर से जिन माननीय सदस्य ने भाषण दिया उससे मुझे प्रेरणा मिली। उनकी तरफ से हमेशा यही शब्द कहे जाते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग केवल विरोध करने के लिए ही बैठे हुए हैं, उनका काम केवल विरोध ही करना है। श्रीमन्, इसके उदाहरण स्वरूप मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो इसके पहले बिल आया था, सिनेमा आदि पर टैक्स लगाने का, हम लोगों ने उसका अधिक विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि वह जनता के हित के लिए और सरकार के हित के लिए, दोनों के हित के लिए था। उसको निर्विरोध रूप से पास हो जाने दिया। इसके बाद भी बराबर इस प्रकार का लांछन लगाया जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग विरोध ही करते हैं। मैं इसी आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र राज्य में हमेशा विरोधियों की जिम्मेवारी का पक्ष प्रबल होता है और उनका यह कर्त्तव्य होता है कि वह देखे कि सरकार की जो नीति है उसका जनता पर क्या असर पड़ा है और पड़ेगा, इसको वह सदन के सामने स्पष्टरूप से रख दे। किन्तु माननीय रामेश्वर प्रसाद जी, जो मुझसे पहले भाषण कर रहे थे, इस वर्ष सदन के आरम्भ होने से ही उनका यह रवैया रहा है, जिसे गांवों में कहते हैं, मक्खन लगाना। वे सरकार को मक्खन लगाते रहते हैं कि कहीं मंत्री जी नाराज न हो जायं, और इसी उद्देश्य से वे आज तक भाषण करते चले आये हैं।

इस सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है और मैं मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने ९ आने के स्थान पर ६ आने रख दिया और २५ प्रतिशत के स्थान पर २० प्रतिशत रख दिया है। परन्तु टैक्स लगाने की सरकार की जो नीति है.... ..

श्री रामेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो एक नया शब्द इस्तेमाल किया है वह क्या पार्लियामेंटरी है?

श्री अधिष्ठाता---जी हां, वह पार्लियामेंटरी है।

श्री मलिखान सिंह---श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब यह सरकार टैक्स लगाती है तो जो टैक्स देने वाले हैं, उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह यह देखें कि जो पैसा उनसे लिया जाता है, उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग। सरकार की जो एलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में

[श्री मलिखान सिंह]

नीति है उसको जनता जानती है और जनता के नुमाइन्दों का यह कर्त्तव्य है कि वह सदन में उस को स्पष्ट करें।

मैं मैनपुरी एलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के बारे में बताना चाहता हूं। सन् १९५१–५२ में वहां कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर एक एलेक्ट्रिक कम्पनी खोली थी किन्तु वह फेल हो गयी। जो वहां पर कम्पनी वाले विदेशों से ब्वायलर लाये थे वह खत्म हो गये। सरकार ने उनको साढ़े ४ आने के हिसाब से बिजली दी, लेकिन आज वहां पर वही कम्पनी जनता का शोषण करके ८ आना प्रति यूनिट चार्ज करती है और उस पर फिर एक आना टैक्स और लगता है। क्या सरकार स्वयं उसका प्रबन्ध नहीं कर सकती है? वह चार आने की जगह ५ आना चार्ज कर सकती थी, अगर वह अपने हाथ में कम्पनी से उस काम को ले लेती। वहां पर दस हजार किलोवाट का पावर हाउस है, इंजीनियर वहां पर मौजूद है और तमाम सरकार का इन्तजाम है, सब काम मौजूद है, उस बिजली कम्पनी की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा है वह मैं सदन के सामने बतला दूं, वहां पर ६–६ घंटे बिजली गायब हो जाती है, रात भर लोग अंधेरे में पड़े रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी भी बाध्य हो गयी है, लोग प्राइवेट बत्तियां भी नहीं जला सकते, उसके कारण से शहर में बराबर चोरियां होती हैं। जब सरकार एक आना टैक्स लेती है तो वह क्यों नहीं देखती कि इस बिजली कम्पनी के द्वारा क्या तकलीफ जनता को पहुंच रही है और क्यों उसकी व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं चलवाती है? सरकार को इसकी इन्क्वायरी करना चाहिए और अगर मालूम हो कि वह बिजली कम्पनी इस काम के लिए अयोग्य है तो उसको डी० एम० के अन्डर में दे दे और उसे सुपरसीड कर ले, जनता के हित में यही है, कि उसे सस्ती से सस्ती बिजली मिले। अब मैं और अधिक न कहकर एक सजेशन दूंगा कि गांव में जैसे हाथ करघे आदि चलते हैं उन पर बिजली का टैक्स माफ कर देना चाहिए। अगर हमें देश के उत्पदान को काटेज इन्डस्ट्री के द्वारा बढ़ाना है, तो हमें छोटे-छोटे उद्योग धंधों पर से बिजली टैक्स हटा देना चाहिए, जैसे हमारे सार्वजनिक स्थान स्कूल हैं, क्लब हैं मजदूरों की बस्तियां हैं, हालांकि सरकार की ओर से कहा जायगा कि वहां पर व्यवस्था किस प्रकार की जायगी। २ आफिस कायम करने होंगे, मैं कहूंगा कि इस आधार को न लेकर जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, वहां की बिजली को सरकार टैक्स से मुक्त कर दे, इस आधार में सब चीज आ जायगी। बस मुझे इतना ही कहना था।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, इंगलैण्ड का एक शायर हुआ है वर्ड्सवर्थ उसने कहा है कि "वर्ल्ड इज टूमच विद अस" यानी दुनिया हमारे साथ बहुत ज्यादा है। यह ठीक है कि आज साइंस का जमाना है लेकिन अगर आप इंगलैण्ड जैसे तरक्कीयाफ्ता मुल्क की तारीख को पढ़ें तो मालूम होगा कि वहां पर भी एक जमाना था कि जब वहां के लोग इलाज के लिये बैलों के सींग बांधते थे। लेकिन ट्यूडर पीरियड से बराबर इंगलैण्ड तरक्की करता चला गया और आज साइन्स की दुनिया में उस मुल्क ने और दूसरे मुल्कों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। एक वक्त था जब कि भारतवर्ष अपनी रूहानियत के लिये सारी दुनिया में मशहूर था लेकिन आज माद्दियत का जमाना है उसमें हिन्दुस्तान पीछे रह गया और उन योरप के मुमालिक का मुकाबला न कर सका, आज विज्ञान और साइन्स की दुनिया है, साइन्स ने एक बड़ी तब्दीली जिन्दगी में पैदा की है। भारतवर्ष में और पश्चिम में, पूर्व में भी बहुत कुछ साइन्स और विज्ञान का असर हुआ है बल्कि जिन्दगी के बहुत से शोबों में उसका ऐसा असर पड़ा है कि जिन चीजों को पहले हम बुरा समझते थे, सुनना नहीं चाहते थे उनको....

(एक सदस्य द्वारा सदन के बीच से लांघने पर)

श्री अधिष्ठाता––देखिये, जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आप बीच में इस तरह से न आयें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवराज बहादुर--इस दौर से, जिसे हम साइन्स का दौर कहते हैं, अगर हम अलहदा रहना भी चाहें तो आज की दुनिया में रह नहीं सकते। आज की साइन्स, यह बिजली और दूसरी शक्तियां हमारी जिन्दगी का एक ऐसा जुज बन गई हैं कि जिनको हम अपने से पृथक नहीं कर सकते। एक जमाना वह था कि जब यहां पहले पहल रेल आई तो लोग रेल में बैठना बुरा समझते थे, मोटर पर बैठना भी मुनासिब नहीं समझते थे और आज भी ऐसे लोग मिल जायंगे जो इन चीजों पर बैठना गलत समझेंगे, इसलिए कि इसमें कुछ खतरा भी है और इसके साथ-साथ आराम भी है। लेकिन जो काम हम वर्षों में करते थे, महीनों में करते थे दिनों में करते थे, और घंटों में करते थे, वह आज इस साइंस के जरिये से जरा सी देर में हो जाते हैं। हम दरिया गंगा को बड़ा पवित्र मानते थे। तीर्थ स्थानों में जाया करते थे। हमको बड़ा आराम मिलता था। लेकिन आज साइन्स के युग में पानी से बिजली पैदा की गयी, नयी-नयी चीजें सामने आयीं। यह तो मानी हुई बात है कि आज हम अपनी जिन्दगी को साइंस से अलहदा नहीं कर सकते, और यह कहना कि हम दूसरी चीजें इस्तेमाल करेंगे यह नहीं कर सकते। इस सदन में हम बैठे हुए देख रहे हैं कि अगर पुराना नवाबी जमाना होता तो कुछ आदमी हाथ के पंखे झलते होते, कुछ लोग इधर-उधर खड़े होते। आज बिजली के पंखे चल रहे हैं। इसलिए जो हमारे काम करने का तरीका है वह कैसा है? इस पर अगर गौर किया जाय तो यह कोई सरकार या अपोजीशन का सवाल नहीं है। यह नहीं है कि सरकार की तरफ से जो बात आये खामख्वाह उसकी तरदीद या ताईद की जाय। सवाल तो यह है कि हमारी जिन्दगी में जो साइंस की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--सदन में बातें ज्यादा हो रही हैं।

श्री शिवराज बहादुर--आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बिजली से फायदा उठाएं। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग दस साल हो गये। इस जमाने में, मैं यह नहीं कहता कि हमने कोई तरक्की नहीं की है, कोई काम नहीं किया है। देश में तब्दीलियां हुई। जिनको आश्चर्यजनक कहा जा सकता है, वह तब्दीलियां भी हुई। लेकिन तब्दीलियां जिस रफ्तार के साथ होनी चाहिए वह नहीं हुई।

हमारी आबादी का ज्यादातर हिस्सा देहात में है और हिन्दुस्थान की आबादी का लगभग छठा हिस्सा इस प्रान्त में है। साढ़े छः करोड़ की आबादी है। क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन इसमें हम देखें कि कहां तक बिजली से फायदा उठा सके हैं। जो पहले बिजली थी उसकी कीमत में आज इजाफा है। आज टैक्स ज्यादा है। देहातों में नहीं बल्कि कस्बों में भी हम बिजली ले जाने में कासिर रहे हैं। उसके फायदे को भी लोग अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाये हैं। जितनी बिजली हमें आम कर देनी चाहिए, जितनी हमें बिजली अवाम के नजदीक ले जानी चाहिए, जितना उससे फायदा उठा लेना चाहिए था, उतना नहीं उठा सके। हमारी रफ्तार धीमी है। हम सुस्त चाल से चल रहे हैं। "ह्वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे" जब इच्छा होती है तो रास्ता निकल आता है। मैं नहीं समझता कि हमारी गवर्नमेंट के साधन कम हैं और साधन की कमी की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की तबीयत थी, खद्दर में ९४ रुपये की छूट कर दी। हमारे प्रदेश में जहां पर नाना प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, छः-छः साल का टैक्स गांव-सभाओं में वसूल किया जा रहा है। जो चीजें किसान लेने जाता है वह तेज मिलती हैं। उसकी पर्चेजिंग कैपेसिटी कम है। अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल मारी जाती है। कभी वह नहर का मुन्तजिर रहता है, कभी देखता है कि ट्यूबवेल है या नहीं। सिंचाई का इन्तजाम हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं है जो किसान की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि फारेन कंट्रीज में ऐसा है कि अगर जरूरत है तो बिजली के जरिये से बारिश भी करा सकते हैं। आपको मालूम है कि बारिश के पानी से बहुत फायदा पहुंचता है। वहां की साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि अगर अमेरिका में चले जायं तो वहां आम की बेलें मिल जायंगी। जैसे आपके यहां लौकी की बेल मिलेगी, सेम की बेल मिलेगी, इसी तरह से वहां पर

[श्री शिवराज बहादुर]

आप देखेंगे कि आम की बेल मिल जायगी। एक तरफ साइंस ने इस कदर तरक्की की है दूसरी तरफ हम अभी मुन्तजिर हैं कि हम किस सूरत से अपने मुल्क को उस तरफ ले जायं। यह तो मानी हुई बात है कि हम इसमें पिछड़े हुए हैं। यही वजह है कि अगर एक बैलगाड़ी से आपको पांच सौ मील जाना हो तो आप पहुंचेंगे लेकिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप मोटर से जायं, तो जल्द पहुंचेंगे। हवाई जहाज से जायं तो और भी जल्द पहुंच जायंगे। तो जितने हमारे साधन बढ़ते जायंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता जायगा। पुराने जमाने में तख्तों को आरे से चीरा करते थे। साफ नहीं आते थे और देर भी लगती थी। आज बिजली के जरिये से तख्ते साफ और जल्द उतारे जाते हैं। तो चीजों की इतनी आवश्यकता ह। देहातों में भी उनको ले जाने की जरूरत है। पीलीभीत जिले में एक साहब इन्दर सेन जी हैं। उन्होंने अपने देहात में एक कुआं बिजली का बनाया और पुरानी चीजों के जरिये से बिजली बनायी है और अपने मकान में रोशनी भी कर रखी है। ऐसे लोग कोई काम करें उनकी सराहना होनी चाहिये और सरकर को उन्हें इमदाद भी करना चाहिये ताकि इस काम में और भी तरक्की हो सके। मैं मंत्री जी का इस बिल के लिये खैर कदम करता हूं। जो कमी की गई है सराहनीय है लेकिन इसमें और कमी होनी चाहिये ताकि लोग इसका इस्तेमाल अधिक करें और देहातों में भी पहुंचायी जाय, कस्बों में पहुंचायी जाय। क्योंकि अभी तो ऐसी दिक्कत है, देहातों में पहुंची नहीं---

जाम भी मुंह से न लगा था कि छा गई बेखुदी,
यह अजब तरह का कमाल है तेरी चश्म इश्वातराज में।

अभी तो बिजली को आम नहीं कर पाये। हमारा तो यह ऐलान है कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हमें लग्जरी के लिये बिजली की जरूरत नहीं है लेकिन आज-कल इस साइंस के जमाने में जिन्दगी की जरूरियात के लिये तो बिजली मुहैया करनी ही चाहिये। इसकी बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। हमारे लोगों के सामने जो दिक्कतें हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां एक एकड़ में ज्यादा पैदावार हो हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं। तो मैं ज्यादा न कह कर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी जरूरियात जिन्दगी के लिये यह बहुत जरूरी है कि बिजली देहातों में पहुंचा दी जाय, इससे पहले पहुंचा दी होती तो, अच्छा होता, इसको जल्दी पहुंचाया जाय और इतनी सस्ती कर दी जाय कि सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। जब हम ज्यादा फायदा पहुंचावेंगे तो वह खुद ब खुद कहेंगे कि अगर थोड़ा टैक्स बढ़ जाय तो उनको नागवार नहीं गुजरेगा। माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह ठीक है।

(इस समय ३ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए)

अगर १० परसेंट न कर सकें तो १५ परसेंट कर दीजिये और अगर इतना भी न कर सकें तो १८ ही कर दीजिये और वह भी अगर अभी न कर सकें तो हमारी इस राय पर गौर करें और बिजली को आम कर दें। अगर बिजली आम हो जाय तो काटेज इंडस्ट्री में फायदा हो, मुल्क की जरूरियात की चीजें जल्दी और सस्ते दामों पर तैयार हो सकें। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आजकल के जमाने में हमको कोशिश करना है कि हम इसको सस्ता बना दें और इसको प्रचलित कर दें कि इससे हर खासोआम फायदा उठा सके और इस्तेमाल कर सके।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक पेश किया गया है और जिसमें जनता को राहत देने के लिये ड्यूटी में कमी की गई है मैं उसका समर्थन करता हूं। बिजली की उपयोगिता पर विरोधी पक्ष के बन्धुओं ने भाषण किये और उन लोगों की ओर से यह कहा गया कि जितनी कमी की जा रही है यह काफी नहीं है और भी कमी होनी चाहिये। मैं यह कहने के लिये आया हूं कि २५ फीसदी के बजाय २० फीसदी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो कमी की जा रही है यह भी बहुत ही छोटी चीज की जा रही है। हमारे यहां तो हमारे मंत्री महोदय को वह दिन ला देना चाहिए जब कि बिल्कुल बिजली का कोई कर ही किसी को न देना पड़े, बिना कर के ही बिजली सब जगह जला करे। जब तक ऐसा दिन नहीं आयेगा उनका मकसद पूरा नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान जिसको बनाने के लिए यह सरकार बनी हुई है और जिस हिन्दुस्तान के इस राज्य को ठीक करने का बीड़ा यहां की सरकार ने ले रखा है उसको ठीक करने के लिए पहला रास्ता और सब से जरूरी जो रास्ता है वह यह है कि बिजली का उत्पादन इस मुल्क में बढ़े क्योंकि बिजली ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हमारे धन-धान्य सभी में वृद्धि हो सकती है और वह जितनी ही सस्ती होगी उतनी ही हमारे द्वारा उत्पादित की हुई चीजें सस्ती होंगी। इस कारण अधिक से अधिक सस्तापन लाने के लिए और उत्पादन के खर्चे को अधिक से अधिक घटाने के लिए यह आवश्यक है कि बिजली बहुत ही सस्ती हो। जैसी यहां सस्ता करने की कोशिश की गई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वह समय आना चाहिये जब कि और भी बिजली की दर सस्ती हो सके।

हमारे सूबे में सबसे कम उद्योग धन्धे हैं और जो कृषि की अवस्था है वह किसी से छिपी नहीं है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुत सारी सिंचाई की योजनायें चालू की गई हैं और उनको बिजली आज पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो पा रही है। जल्द से जल्द ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि हमारी कृषि से उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं को भी बिजली की सहायता प्राप्त हो सके और सस्ती बिजली की सहायता से अधिक से अधिक गल्ला हमारे सूबे में पैदा हो सके जिससे हमारे सूबे के लोग खुशहाल हो सकें और तरक्की कर सकें। जहां तक उद्योग धन्धों की बात की गयी है हमारे यहां बड़े-बड़े उद्योग धन्धों की तो बात ही क्या है, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे भी बहुत कम हैं और ऐसे छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की आज के युग में आवश्यकता है, जिनको बिजली की शक्ति से परिचालित करके हम अपने में घरों में अधिक से अधिक औद्योगिक वस्तुयें उत्पादित कर सकें। जो चीजें आज हम विदेशों से मंगा रहे हैं उन चीजों को उत्पादित करने के लिये हमें मशीनरी और छोटी-छोटी मशीनरी का इस्तेमाल करना जरूरी है और उनके लिए विद्युत शक्ति की भी आवश्यकता है। यह विद्युत का जो कर घटाया गया है यह इस तरह के जो कारबार हमारे प्रदेश में चल रहे हैं उन सबको इससे सहायता पहुंचेगी और जनता को हर तरह से उसमें राहत मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस संशोधन बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष के भाई भी अधिक इस पर भाषण करने का मौका न लेकर के इसको जल्द पास करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी यह खबर सब जगह पहुंचे कि हम लोगों ने बैठ कर के बिजली के कर में कुछ कमी कर दी है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिजली के बिल पर बोलने के लिए तो किसी प्रकार भी तैयार न था। परन्तु अपने डिप्टी लीडर के आज्ञा के अनुसार मजबूर होकर मैं आपके सामने कुछ थोड़े से लफ्जों में अर्ज करना चाहता हूं। इस बिजली के बिल पर कोई लम्बी चौड़ी तकरीर करने का तो मेरा मंशा नहीं है.....

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)--क्या कोई माननीय सदस्य मजबूर किया जा सकता है उसके लीडर या डिप्टी लीडर से कि वह यहां भाषण दे ?

श्री अधिष्ठाता--नहीं, कोई मजबूर तो नहीं किया जा सकता है, मगर वह तो उनका कहने का एक तरीका है।

श्री शिवप्रसाद नागर--मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि यह भाषण देने की एक सजावट है जिसको मैंने आपकी खिदमत में पेश किया।

मैं विद्युत् योजना के सम्बन्ध में विस्तार के साथ तो अर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां कड़ुवे तेल और अरंडी के तेल की रोशनी में मैं पैदा हुआ हूं और मिट्टी के तेल की रोशनी में पला हूं। अभी चन्द रोज से वहां बिजली गई है। मेरे यहां जब बिजली गई तो मैंने पूछा कि किस तरह से प्राप्त होगी ? मालूम हुआ कि एक मोटर लगाया जायगा।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

उसमें कुछ नम्बर होंगे। एक घड़ी लगेगी। मालूम यह हुआ कि उसके फीगर्स के ऊपर एक बिल आयेगा और उस बिल के मुताबिक मुझको पेमेंट करना होगा। मैंने पूछा और कुछ लोगों से पता लगा कि इसमें डयूटी लगेगी। मैं यह समझा कि बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से डयूटी लगेगी तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। सब लोग अपनी अपनी डयूटी को अच्छी तरह से अन्जाम देंगे। बाद में बिल आया और पूछा कि बिल के नीचे यह क्या है तो कहा गया कि यही तो डयूटी है जो बिल के नीचे लिखी है। मैंने कहा यह खूब रही कि बिल का पेमेंट भी लें और डयूटी भी लें। जब कुछ जनता बेंचे तो सेल्स टैक्स ले लें और जब सरकार कुछ बेंचे तब डयूटी ले लें। यह देखिये कि, 'लेने के बांट और देने के बांट और'।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी मुल्क में और हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में २५ प्रतिशत डयूटी नहीं पड़ती है। श्रीमन्, मैं इस सम्मानित सदन से, आपके द्वारा, कहना चाहता हूं कि बिजली की योजना से कम से कम इस डयूटी शब्द को हटा दिया जाय तो हमारे प्रान्त की जनता पर बड़ा भारी आभार होगा। या तो बिजली की कीमत ले लें, या डयूटी ले लें। आप चार आना कीमत लेते हैं और २ आना डयूटी दोनों मिला कर कीमत ही छः आना कर दीजिये यह डियुटी तो उसी तरह की बात है जैसे पंडों के फेर में वृन्दावन में होता है। मैं एक बार वृन्दावन गया। मुझसे कहा कि दर्शन कीजिये। मैंने कहा यह क्या है तो बताया कि यहां पर कृष्ण जी खेले थे, इतने पैसे चढ़ा दीजिये। आगे चला, पूछा यह क्या है तो मालूम हुआ कि यहां पर कृष्ण जी ने मक्खन चुराया था, इतने पैसे चढ़ा दीजिये। आगे पूछा यह क्या है तो पता चला कि यहां पर राधिका के साथ कृष्ण जी नाचे थे, इतने पैसे चढ़ा दीजिये। तरह-तरह की बातें एक ही चीज में वहां बताई गईं। इसी तरह से बिजली में भी दर्सियों चीजें पैदा की जा रही हैं। उसके लिये इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाया जाय, खर्चा बढ़ाया जाय और हमारे सामने तरह तरह की उलझनें पैदा की जायं। जो कंज्यूमर है, वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। बिल आता है तो अंग्रेजी में होता है। पता नहीं चलता कि क्या क्या देना है और क्या क्या लेना है? किसी दूकानदार पर या घर वाले के पास बिल आया और कोई बाबू जी निकले तो उनसे पूछा कि इसमें क्या लिखा है? बाबू जी बहुत सीधे और सज्जन हुए तो बता दिया कि यह लिखा है और अगर सूटेड बूटेड और ज्ञान वाले हुए तो कह दिया कि हमको फुर्सत नहीं। बिल में चार, पांच चीजें जब ऐड कर दी जाती है तो कंज्यूमर कन्फ्यूज हो जाता है। बिजली का कितना पैसा है, मीटर का किराया कितना है, डयूटी कितनी है, इस प्रकार चार पांच आइटम्स उसमें होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि जो कुछ लगाना हो एक तरफ से लगा दें, एक रेट में लगा दें।

एक बात और कहना चाहता हूं। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों के लिये अलग-अलग रेट्स हैं। डोमेस्टिक में खाने-पीने, पढ़ने लिखने, गुसलखाने, रसोई, पाखाने में बिजली कंज्यूम होती है। उसका रेट सब से ज्यादा है और इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये कम। अगर दोनों का रेट एक कर दें तो क्या मुसीबत है? ऐसा करने से जो एक कन्फ्यूजन है वह दूर हो जायगा। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि फैक्ट्स फाईंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि बम्बई में १ आना ३ पाई, वेस्ट बंगाल में १ आना २ पाई, मदरास में १ आना ८ पाई, बिहार में १ आना १० पाई, पंजाब में १ आना ८ पाई डयूटी पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में २ आना ५ पाई डयूटी पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का कंज्यूमर सब से ज्यादा रईस है, सब से ज्यादा पैसे वाला है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कंज्यूमर का वे प्रोत्साहन बढ़ायें, हिम्मत अफजाई करें और इस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का भी रेट कम करके इन्डस्ट्रियल कन्ज्यूमर्स के बराबर करने की कृपा करें। मेरी राय तो यह है कि डयूटी के नाम को ही इसमें से निकाल दें, उसका पैसा रेट में जोड़ दें, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाय। श्रीमन्, मुझे इस बात का सख्त विरोध है कि यह डयूटी लगायी जाय और डयूटी के साथ कोई एक और आइटम इसमें जोड़ दिये जायं। एक आइटम केवल रेट का ही होना चाहिये।

सवाल एक और है कि जब इस मामले में पूछ-ताछ होती है तो हमारे मंत्रिगण का जो उत्तर होता है, माशाअल्लाह, क्या अर्ज करूं! माननीय सदस्य तो स्वयं रोज सुनते हैं, उनको बताऊं क्या? पूछा जाता है कि फलां जगह रोशनी कब पहुंचेगी, तो जवाब मिला कि "जब बल्ब लग जायंगे"। जब सप्लीमेंटरी किया गया कि बल्ब कब लग जायेंगे? तो जवाब दिया कि "जब तार लग जायंगे।" पूछा गया कि तार कब लग जायंगे? तो बताया गया कि जब "खम्भे गढ़ जायंगे" और खम्बे कब लग जायंगे? उत्तर मिलता है "जब टाटा कम्पनी सप्लाई करेगी।" इसके बाद हम नहीं समझ पाते कि यहां से कौन सा सन्देशा लेकर जायं और कौन सी बात जनता को बताएं? यदि जनता पूछे कि "ड्यूटी" क्या होती है, तो पता नहीं क्या अंट-शंट जवाब मिलेगा। जब हम लोग ही नहीं समझ पायेंगे तो जनता को क्या समझायेंगे? तो हम यह सुझाव रखते हैं और यह मोटी अक्ल की बात है टेक्निकल बात क्या है, ड्यूटी क्यों लगती है इन सब बातों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिये ४ आने लिए जायं, ५ आने लिये जायं, या ६ आने मुकर्रर कर दीजिये लेकिन एक रेट एक आइटम कर दिया जाय। एक दरख्वास्त में यह करूंगा कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल को एक रेट से कर दीजिये।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि मुझे आपने यहां बोलने का समय दिया है, और वित्त मंत्री जी ने जो यहां पर बिल प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं और उनको धन्यवाद देती हूं।

वैसे तो बिजली सम्बन्धी बहुत सी जगहों और जिलों में उन्नति हो चुकी है और जैसा कि हमारे प्रताप सिंह जी ने कहा है, कि बिजली के कर और टैक्सेज जगह-जगह पर कहीं ज्यादा हैं और कहीं कम हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितनी भी जगहें गिरी हुई और पिछड़ी हुई हैं उनके सम्बन्ध में तो कम से कम मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन जगहों के टैक्सेज को कम जरूर कीजियेगा। जैसा कि हमारे टिहरी गढ़वाल में है, वहां बिजली तो पहुंच गयी है लेकिन टिहरी बाजार में ही है, उस बिजली के द्वारा हमारे गांव वालों को और बाजार वालों को कुछ भी फायदा-नहीं है, जब कि सरकार का उसमें बहुत सा खर्चा हो भी रहा है। तो मेरे आप से दो एक सुझाव यह हैं कि आपका हमारे यहां बिजली देने का विचार है तो आप इस तौर से दीजिये कि जिससे सभी को लाभ हो, क्योंकि खर्चा तो आपको वैसे हो ही रहा है। बिजली के द्वारा हमारे प्रदेश में बहुत सी जगहें उन्नत हो चुकी हैं और जहां उन्नति हुई है वहां टैक्स भी कम हैं, और जिन जगहों पर टैक्स ज्यादा हैं वहां उन्नति नहीं हो पायी है। तो मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनकी और विशेष तौर से ध्यान दें कि हमारे यहां भी बिजली की जो खूबियां हैं वह प्राप्त हों, उसकी जो रोशनी हो, वह हमारे यहां भी पहुंचे, उसकी किरणें हमारे गांव में पहुंचें, उन लोगों को भी पता चले कि हमारा देश आजाद हुआ है और हमको उससे क्या मिला है।

मैंने जब अपने जिले में, अपनी पट्टी में दौरा किया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि हमारे प्रदेश में बहुत सी जगहों पर, बहुत सी पट्टियों में ऐसे लोग भी हैं जिनको इतना भी मालूम नहीं है कि हमें आजाद हुए १० साल हो गये हैं और हम किस ओर चल रहे हैं और हमारे प्रदेश के पड़ोसी के देश और प्रदेश कैसी उन्नति कर रहे हैं और हमको किस प्रकार से उन्नत बनना है। मुझे इस बात को देख कर बड़ा दुःख हुआ है कि हमारे गढ़वाल में बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहां आजादी रूपी किरण अभी तक पहुंच ही नहीं पायी है। मेरा सरकार से और मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप हमारे गढ़वाल में, टिहरी में, बिजली के द्वारा जितनी उन्नति हो सकती है उतनी जल्दी से जल्दी आप कराने की कृपा करें।

बस, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके लिये उनको बधाई

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज प्रथम बार विरोधी दल की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दी जा रही है और मैं देखता हूं कि जो हमारे विरोध में हैं वह प्रसन्न हैं। सदैव ही सरकार और कांग्रेस के सदस्य हम लोगों पर लांछन लगाते रहते हैं कि हम किसी बात का समर्थन नहीं करते हैं। श्रीमन्, जो अच्छी बात है उसका समर्थन करने के लिये हम लोग यहां आये हैं। जो ठीक है उसको ठीक कहेंगे। आज वित्त मंत्री जी ने जो २५ प्रतिशत से २० प्रतिशत रखा और ९ आने से ६ आने रखा है, उसके लिये प्रसन्नता भी है और वह बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी है कि इससे समस्या हल नहीं हो जाती है। हमारे देश में आज गरीबी है और कुटीर उद्योगों की बहुत कमी है और इस निर्माण के युग में जब कि बिजली एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है तब भी आज टैक्सों का बोझा बहुत ज्यादा है उसके लिये हमारी प्रार्थना सदैव ही यह रहेगी कि टैक्स कम किया जाय। मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से उन्हें कठिनाइयां होंगी परन्तु एक बात अवश्य है कि आविष्कार अवश्यकता की जननी है। जब किसी चीज का आविष्कार हो जाता है और वह घर-घर स्थान प्राप्त कर लेता है तो ऐसे स्थान पर ठीक प्रकार से हर व्यक्ति को साधन प्राप्त न हों तो बेकारी आ जाती है।

इस विभाग के सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। पारसाल इटावा जिले में सरकार की ओर से आदेश हुये कि पावर कनेक्शंस दिये जायेंगे, रुपया जमा कर दिया जाय। लोगों ने काफी रुपया हजार, दो हजार, चार हजार, जैसा भी हुआ, जमा कर दिया। परन्तु डेढ़ दो साल हो गये लेकिन किसी तरह का कोई उत्तर नहीं मिला। जब वहां के इंजीनियर से पूछा जाता है तो जवाब आता है कि सरकार से मंजूरी नहीं आई। तो ऐसी व्यवस्था के होने से गरीबों को और गरीब करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है। गरीबों ने इस अंदाज से इस अनुमान से कि अब पावर कनेक्शन मिलने वाला है, रुपया जमा कर दिये हैं तो रुपया उधार लेकर या अन्य प्रकार से प्रबन्ध करके मशीनें खरीद लीं और इतनी देर होने के बावजूद पावर कनेक्शन नहीं दिया गया और उनकी मशीनें बेकार पड़ी हैं। यह विचारणीय विषय है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे साथ ही साथ चूंकि हम जनता की ओर से प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, इसलिये हम सरकार से हर उस चीज के लिये जिससे जनता को तकलीफ हो दूर करने को कहेंगे। तो टैक्स के बारे में जो सरकारी बेंचेज की ओर से यह कहा जाता है कि चूंकि विरोध करना है इसलिये इतना कम कर देने पर भी विरोध होता है, यह बात जंची नहीं। वस्तुतः जैसा कि हमारे एक साथी ने बतलाया, भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में इतना अधिक टैक्स बिजली पर नहीं लगता। यह बात आंकड़ों से साबित हो जाती है। फिर आज के इस युग में जब कि हमारी होड़ विदेशों से चलती है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो गया है और हम आज एक सीमित दायरे के अन्दर में नहीं रह पाते। तो ऐसी स्थिति में जब कि हर कार्य में बिजली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसका सस्ता होना आवश्यकीय है। आज हमारे प्रदेश में ८० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति खेती पर निर्भर हैं और सिंचाई आदि की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है जिससे उनकी निर्धनता सहस्त्रों वर्षों से चली आती है। इसलिये यह आवश्यकीय है कि ठीक प्रकार से सिंचाई आदि के साधन जुटाये जायं और उन साधनों को जुटाने में बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बिजली नहीं पहुंची है और सिंचाई करने के लिये इंजन से चलने वाले ट्यूबवेल लगाये गये हैं। उनका पानी इतना मंहगा पड़ता है कि किसान ठीक प्रकार से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और वे ट्यूबवेल बेकार हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि गांव गांव में बिजली पहुंचती है और ट्यूबवेल उससे चलते हैं तो उपज अधिक होती है जिसके फलस्वरूप किसान की गरीबी दूर होती है। इसलिये शहरों की अपेक्षा देहात में बिजली अधिक पहुंचानी चाहिये क्योंकि देहातों में उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। साथ ही साथ चूंकि देहात के गरीब किसान उतना अधिक टैक्स नहीं दे पाते और बिजली अब एक लाजरी

भी नहीं रही है बल्कि आवश्यकीय हो गयी है। ऐसी स्थिति में जितना टैक्स का बोझा कम हो जाय उतना ही अच्छा है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज विरोधी दल ने भी इस विधेयक का स्वागत किया और माननीय वित्त मंत्री को बधाई दी है। मैं समझता हूं कि आज यह पहला मौका है जब कि विरोधी दल ने अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर से अन्जाम दिया। बहुत से भाषणों से मुझको यह भी महसूस हुआ कि जो बहुत सी बातें यहां बहस के दौरान में कही गयीं उनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था। यदि इस प्रकार का कोई विधेयक आया होता कि ड्यूटी किस पर लगाई जाय तो उस समय हमारे सदस्य उस मसले में जाते कि ड्यूटी लगे और किस प्रकार लगाई जाय और किस पर न लगाई जाय और कितनी लगाई जाय। यह तो बहुत छोटा सा दो क्लाज का विधेयक है। एक तो यह है कि जो हमारी एग्जेम्शन की लिमिट थी ९ आने की, अब उसको घटा कर ६ आने कर दिया जाय और दूसरे यह कि जो २५ परसेंट की ड्यूटी थी उसको घटा दिया जाये। २० परसेंट की बात कही जाती है, यद्यपि २० परसेंट की ही बात नहीं है। इसमें तो यह है कि सरकार को इसका अधिकार होगा कि २५ परसेंट से ज्यादा नहीं और उससे कम समय-समय पर जैसी स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर हो विज्ञप्ति करा कर ड्यूटी कम कर सकती है। इस कमी का स्वागत करते हुये कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह हमारे देश की गरीबी का पूर्णरूपेण हल नहीं है। मैं जानता नहीं कि किसने इस बात का दावा किया कि इस ड्यूटी को कम करने के बाद या एग्जेम्शन लिमिट को घटाने के बाद हम तमाम समस्याओं को हल करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात है कि एक बोझ था उसको कुछ हद तक जरूर कम करने की कोशिश की गयी है।

कुछ भाइयों ने इस बात की भी मांग पेश की कि गांव-गांव में बिजली पहुंचानी चाहिये। कुछ भाइयों ने यह भी कहा कि दूसरी स्टेट्स में इतनी ड्यूटी नहीं है। मैं उनकी बात को मान सकता हूं। मेरा यह ख्याल है कि हमारे प्रदेश में बिजली का प्रसार बम्बई वगैरह के मुकाबिले में बाद को हुआ। अगर आप प्रदेश के पिछले इतिहास को देखें तो हमारे पास जितने सीमित साधन थे उनके हिसाब से हमने बिजली के मामले में काफी प्रगति की है। विभाग की कमियों की ओर संकेत किया गया। वह हो सकती हैं, मगर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले १० साल में हमारे प्रदेश ने बिजली के मामले में काफी प्रगति की है। ट्यूबवेल्स की बात कही गई। जहां तक मेरी मालूमात है, आजादी के बाद हमारे प्रदेश में लगभग ३,४०० ट्यूबवेल बनाये गये है और मैं समझता हूं कि इन में बहुत कम ऐसे ट्यूबवेल्स होंगे कि जहां बिजली नहीं पहुंच पायी है। यह दूसरी बात है कि हम कुछ जगह कुछ बिजली न दे पाये हों, लेकिन उसको देने की हमारी बराबर चेष्टा रही है। हमारे भाई जानते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी योजना रिहन्द डैम की है, रामगंगा प्रोजेक्ट और यमुना हाइड्रो स्कीम भी चलने वाली है। तो सरकार भी इस बात की ओर जागरूक है और उसकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सारे प्रदेश में एक बिजली का नेट-वर्क, ताना बाना-सा बिछ जाय और कोने-कोने में बिजली पहुंच जाय। जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पढ़ा होगा वह जानते हैं कि उसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि बहुत से कस्बों में और कई सौ गांवों में इन चार पांच सालों में बिजली पहुंच जाय। एक साहब ने कहा कि लोगों पर बड़ा भारी बोझ इसका पड़ता है। मैं यह समझता हूं कि अगर हम आंकड़ों को लें और देखें कि इसका बोझ किस वर्ग पर पड़ता है तो हमको इस बिजली के विधेयक पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये, खासकर सोशलिस्ट भाइयों को, जो समझते हैं कि समाजवाद उन्हीं की ठेकेदारी है, कम से कम आपत्ति नहीं करनी चाहिये। हमारे एक साथी ने कहा कि जहां डीजिल से ट्यूब वेल्स चलते हैं वहां के किसानों की मांग रहती है कि वे बिजली से चलाये जायं, इस कारण कि उसका चार्ज पहिले के मुकाबिले कम पड़ता है। यह ठीक है, उसका हम प्रबंध कर रहे हैं। ड्यूटी

[श्री नवलकिशोर]

घटाई जाने की बात कही गई, सो ड्यूटी भी घटाई गई है परन्तु यदि हम २० प्रतिशत कर रहे हैं तो वह कहते हैं कि १० प्रतिशत होनी चाहिये, यदि १० प्रतिशत करते तो वह कहते कि दो प्रतिशत रहनी चाहिये। यदि वह दिन आय जाय कि ड्यूटी लगानी ही न पड़े तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन जो वस्तुस्थिति है उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि जो कमी की गई है वह स्वागत की बात है। मेरे एक भाई ने इस बात की शिकायत की कि यूनीफार्म रेट्स नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहां कई सिस्टम काम करते हैं। हाइडल में कास्ट आफ प्रोडक्शन कुछ आती है और थरमल में कुछ और। इसके अलावा थरमल की कास्ट आफ प्रोडेक्शन जगह-जगह पर वैरी करती है। उसके बहुत से कारण हैं जिनमें मैं इस समय नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है उसी हिसाब से रेट्स भी निश्चित किये जाते हैं। तो उनमें यूनिफार्मिटी कई सिस्टम के होते हुये नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि यह विधेयक अधिक वाद-विवाद की चीज नहीं होना चाहिये। हर सदस्य यह जानता और मानता है कि हम जितनी भी जीवन की आवश्यक वस्तुयें हैं उनको जितना सस्ते से सस्ता बना सकें उतना ही अच्छा है, हमको बनाना चाहिये, किन्तु इस समय इस सम्बन्ध में इतना ही हो सका है कि कुछ बोझ को हल्का किया जाय। इस विधेयक में इतनी ही बात है और इससे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने की खास बात है और उसके लिये जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा, हमारे वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि इस बहस को इसी दायरे में सीमित रखते हुये हमारे माननीय सदस्य इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करने की कृपा करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब चेयरमैन साहब, मैं मेम्बरान का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस बिल की ताईद की है और यह चाहा है कि यह बिल पास हो और इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी मुहब्बत से मुझको इस बिल के लाने पर बधाई दी है। मैंने जो बहस सुनी है उस पूरी बहस का जवाब देने की जरूरत नहीं समझता हूं। उनमें से २,१ बातें जो खास बिजली के सम्बन्ध में की हैं, उन्हीं के बारे में अर्ज किया चाहता हूं। बिजली सस्ती हो, सही है। बिजली के रेट्स हमारे प्रदेश में और जगहों से ज्यादा हैं, यह गलत है। ऐसी जगहें भी हैं जहां से हमारे यहां रेट्स कुछ ज्यादा हैं और ऐसी जगहें हैं जहां कम हैं। जहां से ज्यादा समझे जाते हैं उसमें एक फर्क है और वह फर्क यह है कि बिजली की कीमतों का एक स्लैब होता है। किसी भी एक स्लैब को देखें। बम्बई का कुछ और होगा और यू० पी० का कुछ और होगा, पंजाब का कुछ और होगा, यह बात, जैसा कि मेरे दोस्त माननीय नवलकिशोर ने फर्माया, इस बात पर मुनहसिर है कि किसी जगह पर जेनरेटिंग कास्ट क्या है। बिजली के पैदा करने पर क्या खर्च होता है। वह खर्चा हर जगह एक सां नहीं हो सकता। यह चीज वहां के मुकामी हालत से ताल्लुक रखती है जिसकी मैं इस वक्त तफसील में जाना जरूरी नहीं समझता हूं। उनसे मुतास्सिर होकर वहां की कीमतों में फर्क पैदा होता है। लेकिन फिर भी इसमें शक नहीं है और मैं इस बात को मानता हूं और दिल से चाहता भी हूं कि बिजली की कीमत सस्ती हो। खेती के लिये तो कोई ड्यूटी नहीं लगती है। वह बिलकुल मुस्तस्ना है। ट्यूबवेल का सवाल आता नहीं है क्योंकि वे तो एग्रीकल्चर के लिये पानी देते हैं। जो ट्यूबवेल्स लगाते हैं और उनसे खेतों को पानी देते हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है। इंडस्ट्रियल पर लगती है और उसके साथ ही जो घरेलू खर्च के लिये बिजली होती है उस पर ड्यूटी लगती है जिसके मुताल्लिक यहां पर अर्ज किया गया है कि ६ आना कर दिया जाय।

इंडस्ट्री की तरक्की देने के लिये चाहे वह छोटी हो या बड़ी दुनियां में जिन्दगी की जरूरतों में से बड़ी इंडस्ट्री भी है और छोटी इंडस्ट्री भी है। छोटी इंडस्ट्री हमको ज्यादातर अपने गांवों की हालत ठीक करने के लिये, उनकी माली हालत को तरक्की देने के लिये

चाहिये और बड़ी इंडस्ट्री इसलिये चाहिये कि उनके जरिये से जो माल पैदा होता है उससे कुछ न कुछ हमारे प्रदेश में सामान मुहइया होने लगे और सूबे का उससे फायदा हो। उनको तरक्की देने के वास्ते और लोगों को हिम्मत देने के लिये, कि वे उद्योगधंधे हाथ में लें और उनको चलायें, उनके लिये इस बात की जरूरत है कि बिजली जितनी भी सस्ती हो सकती है उतनी सस्ती उनको दी जाय।

जहां तक कीमत न लेने का सवाल है, जैसा कि मेरे दोस्त ने अभी मेरे जवाब में इरशाद फरमाया, वह सही है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इसके लिये तैयार हूं कि बिजली जिन जिन चीजों के लिये मुफ्त देने की जरूरत समझी जाती हो उनको मुफ्त दी जाय, लेकिन मुझको इस सदन के मेम्बर साहबान के सहयोग और कोआपरेशन की जरूरत है। इस सदन की मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता। बिजली की कीमत घटे, बिजली पर जो बार पड़ता है उसमें कमी हो, इस नीयत से हमें जोर देना चाहिये। गवर्नमेन्ट का इरादा यह है कि वह बिजली की दरों को कम करे और इसीलिये कम करने की बात कही गयी है। गो कि थोड़ा ही कम करने के लिये कहा गया, लेकिन जो इस थोड़ी सी रकम से ही रकम बनती है वह २५ लाख रुपया है। इतनी बड़ी रकम की हमको कमी हो जाती है। मेरा मकसद यह है कि इसमें हाउस के सभी मेम्बरान को इत्तफाक होना चाहिये और वह इत्तफाक इस तरीके से हो सकता है कि इस स्टेट को जितने जायज खर्च की जरूरत है उसको आपस में बैठ कर तय कर लें। मुझ से बात चीत करके, जिस तरीके से भी वे चाहे यह तय कर लें कि इतना रुपया हम इस तरीके से पैदा कर सकते हैं और मैं बिजली की कीमत माफ करने के लिये तैयार हूं, वैसे मेरी नजर में मुफ्त बिजली का बांटना कोई अच्छी चीज नहीं है। किसी कौम या नेशन के वास्ते यह मौजूं बात नहीं है; लेकिन मैं यह एक एक्स्ट्रीम बात अर्ज कर रहा हूं। अपनी ख्वाहिश से अलहदा भी मैं आखिरी हद तक जाने के लिये तैयार हूं। अगर मैं ग़लत होऊं तो मुझको समझा दें और मुझसे समझ लें और अगर किसी बदकिस्मती से मैं उसको न समझूं तो वह मेरी बदकिस्मती नहीं बल्कि आपकी इनायत जरूर है। बिजली की कमेटी के बारे में भी जिक्र हुआ, उसके कुछ क्वोटेशंस भी यहां पेश किये गये। गो उस रिपोर्ट से मुझे इत्तफाक नहीं है, बल्कि खिलाफ ही हूं, लेकिन उसके बारे में कुछ कहना मैं इसलिये नहीं चाहता कि गवर्नमेन्ट को उसे कंसीडर करना है। ऐसी हालत में मेरे लिये यह मुनासिब नहीं है कि मैं उसको दुनियां भर में फैलाता फिरूं। जहां तक कीमत का ताल्लुक है मैंने अपनी बजट स्पीच में यह बता दिया था कि कहां पर रेट्स यहां से ज्यादा हैं और कहां पर कम।

अब जहां तक इस बिजली की ड्यूटी का ताल्लुक है वह बाद में लगायी गयी थी, उसमें जो फर्क दिखता है वह भी इसी लिहाज से दिखता है। मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ स्लेब रहे। ऊपर की इंडस्ट्री के लिये एक, नीचे की इंडस्ट्री के लिये एक और डोमेस्टिक के लिये एक। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है, वह यह कि मैं बिजली के लिये इस स्टेट में कुछ न कुछ कर देना चाहता हूं। जैसा कि कहा गया कि गांव वालों को दिक्कत है तो उनको किस तरह से बिजली आसानी से मुहैया हो सके इसके लिये मैं इस तलाश में हूं कि कोई रास्ता निकल सके। उसके लिये मैंने इस स्टेट के स्ट्रक्चर को जांचने के लिये यू० पी० के एक्सपर्ट्स को ही नहीं बल्कि बाहर के एक्सपर्ट्स को और केन्द्रीय सरकार के एक्सपर्ट्स को भी दावत दी है कि वह आकर यहां के बिजली की कीमतों के स्ट्रक्चर को जांचें और जो सहूलियतें यहां पैदा की जा सकती हैं, उन्हें हमें समझायें और समझने के बाद हमारी और हमारे महकमे की जो गलतियां हैं उन को बतायें ताकि हम उन्हें दूर कर सकें और दूर करने की कोशिश करें। यह थोड़ा सा खुलासा इस बात का है कि जो इस सरकार की पालिसी है और जो मेरे जरिये से चलाई जाती है, लेकिन जो मकसद है वह हमारा और आप का एक है और उसमें हमारा आप से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारी और आप की एक ही ख्वाहिश है। मैं चाहूंगा कि खुदा हमें उस मकसद में कामयाब करे और जो खिदमत आप मुझसे लेना चाहते

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

हैं उसको अन्जाम देने के काबिल मैं होऊं और साथ ही मैं उन तमाम मुश्किलात पर काबू भी पा लूं जो आगे हमारे सामने आ सकती हैं। रही बात ५–१० या ३० परसेंट की। लोगों ने ५ परसेंट की बात कही, ५ परसेंट क्या, हमने तो और भी ज्यादा इस संशोधन में गुंजाइश की है, हमने इस में सिर्फ ५ नहीं लिखा बल्कि यह रखा है कि गवर्नमेन्ट इसमें से जितनी भी कमी कहीं करना चाहे वह एक नोटिफिकेशन के जरिये से कम कर सकती है। इससे २५ परसेंट तक जिस हद तक गवर्नमेन्ट घटोतरी की तरफ जाना चाहे, जा सकती है। अगर ऐसा हम न करते तो जितना भी पांच या दस परसेंट हम रख देते उतना खुद ब खुद कम हो जाता। इसलिये जो गलतफहमी मुअज्जिज मेम्बरान को थी वह अब नहीं रहनी चाहिये और हमें अब समझना चाहिये कि हम एक मकसद के लिये, जनता को आसानी पैदा करने के लिये, एक खिदमत को अन्जाम दे रहे हैं और वही खिदमत इस बिल के जरिये भी होने वाली है।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––इस में दो संशोधन मेरे पास आये थे, एक माननीय अवधेशप्रताप सिंह का था जो कि साढ़े १२ बजे के करीब आया था और दूसरा श्री प्रताप सिंह का था जो १ बजे के करीब आया था। अब चूंकि माननीय वित्त मंत्री को एतराज है कि वह नियम के अनुसार ४८ घंटे पहले नहीं आये हैं, इसलिये मैं उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह––श्रीमन्, हम उन्हें पेश करना ही नहीं चाहते, आप रूलिंग की तकलीफ बेकार फरमाते हैं।

खण्ड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

२––उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ की धारा ३ में:––

(१) शब्द "लगाई गई दर के २५ प्रतिशत के हिसाब से आकलित (Computed) की जायगी" निकाल दिये जांय और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और दिनांक १९ जुलाई, १९५७ से इस प्रकार रखा गया समझा जाय :

"लगायी गयी दर पर उस दर के हिसाब से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके समय-समय पर नियत करे और जो लगाई गयी दर के २५ प्रतिशत से अधिक न होगी, आकलित की जायगी।"

(२) द्वितीय और तृतीय प्रतिबंधकों में संख्या और शब्द "९ आना" के स्थान पर "६ आना" रख दिया जाय और इसे दिनांक १९ जुलाई, १९५७ से रखा हुआ समझा जाय।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश एलक्ट्रिसिटी (डयूटी) अधिनियम, १९५२ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का

उ० प्र० अधि-नियम संख्या ३३, १९५२।

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय।

उ० प्र० अधि-नियम संख्या ३३, १९५२।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा,

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा,

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)]

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता--मुझे एक एलान करना है। विकास व नियोजन स्थायी समिति तथा चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति का निर्वाचन ६ सितम्बर, १९५७ को विधान वाचनालय में ११ बजे से ४ बजे सायंकाल तक होगा।

दूसरी कमेटी बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज है। इसके दो सदस्यों का निर्वाचन भी ६ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे से ४ बजे सायंकाल तक होगा।

तीसरी कमेटी वही अनुदान समिति है। यह जिस वक्त लिस्ट छप रही थी तो उसमें एक गलती हो गयी थी। इस वास्ते इस अनुदान समिति के लिये तीन सदस्यों का निर्वाचन ६ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे से ४ बजे सायंकाल तक होगा।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---प्वांइट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप व्यवस्था देने की कृपा करेंगे। रूल ९५ के प्राविजो के अनुसार यह लाजमी है कि कोई विधेयक जब कि सदन में विचारार्थ लिया जाय तो उसके पहले तीन दिन का हमको मौका मिलना चाहिये। यह विधेयक आज इस सदन में लाया गया है। ऐसी परिस्थिति में न हम इस पर विचार कर सकते हैं और न नियमित है। अतः इस पर विचार न किया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पिछल एजेंडे तो मेरे सामने नहीं हैं जो मैं देख कर यह बतलाऊं कि यह कब से आया है वैसे यह बहुत छोटा सा बिल है इसमें बहस करने के लिये भी कुछ नहीं है। बहुत ही मामूली बात है। अगर फिलवाकय ऐसा है जैसा कि मेम्बर साहब ने इरशाद फरमाया है तब भी मैं अर्ज करूंगा कि ले लिया जाय। कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर ज्यादा हो तो कल तक चला लिया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह प्रस्ताव किया कि इस उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक पर आज विचार किया जाय। श्रीमन्, आप देखेंगे कि आज की कार्यसूची में नम्बर ४ पर यह विधेयक आज ही पुरःस्थापित हुआ है और अभी माननीय सदस्यों को इस पर तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिला है। हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री के विचार में यह कुछ न हो, और यह भी हो सकता है कि हमारे विचार में यह बहुत कुछ हो। यह विचार श्रृंखला तो, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, हाइपाथेटिकल क्वेश्चन। हमें अवसर भी नहीं प्राप्त हुआ है कि हम इस पर विचार कर सकें। आप इसके उद्देश्य और कारण को देखें। उसमें लिखा हुआ है—कतिपय असंगतियां दृष्टिगोचर हुईं। वह असंगतियां क्या हैं? बिना पढ़े नहीं मालूम हो सकतीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे देखकर जो कार्यवाही है इसको आज स्थगित किया जाय और दूसरे दिन एजेंडा के अनुसार इस पर विचार किया जाय। यही परम्परा भी रही है। सरकार इस परम्परा को भंग कर रही है यह देख कर मुझे जरूर आश्चर्य हुआ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने, जनाबआला, महज एक दरख्वास्त पेश की थी और मैंने उस पर कोई ऐसी बात नहीं कही थी। वह तो रजामन्द होने न होने का मामला था। मुनासिब यह है कि छोटा सा बिल है इसको ले लिया जाय। अगर वाकई ऐसा है, जैसा आप इरशाद फरमाते हैं---मुझे मालूम नहीं है, पिछले एजेंडे मैंने नहीं देखे, तो जैसी भी राय निकलती हो वैसा कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अगर कल ले लिया जाय तो, माननीय नारायण दत्त जी तिवारी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---नहीं।

श्री अधिष्ठाता---मैं अच्छा यह समझता हूं कि यह विधेयक कल ले लिया जाय।

कमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ के लिये समय निश्चित करने की प्रार्थना

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ के लिये समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---उसके लिये बातचीत हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, अब यह भी कल ही लिया जाय तो अच्छा हो ।

श्री अधिष्ठाता---देखिये, माल मंत्री जी को आ जाने दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मेरे विचार से सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय क्योंकि इस बिल के आज आने की तो किसी को कल्पना भी नहीं थी, इसलिये बहुत से सदस्य इस बिल को लाये भी नहीं और न ही लाये इससे सम्बन्धित लिट्रेचर। तो एकदम से ले लेना जरा असंगत सा होगा ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---श्रीमन्, मेरी दरख्वास्त है कि उस सूरत में हाउस ऐडजर्न कर दिया जाय ।

लोक लेखा समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अधिष्ठाता---कुछ कमेटीज की घोषणा मुझे करनी है । लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुए हैं---

१---श्री इंदुभूषण गुप्त, २---कुमारी कमलकुमारी गोइंदी, ३---श्री गंगा प्रसाद, ४---श्री गोविन्द सहाय, ५---श्री गोविन्दसिंह, ६---श्री जगन्नाथ प्रसाद, ७---श्री झारखंडेराय, ८---श्री ताराचन्द माहेश्वरी, ९---श्री नारायणदत्त तिवारी, १०---श्री फतेहसिंह राणा, ११---श्री बुलाकीराम, १२---श्री बेचनराम गुप्त, १३---श्री बृजबासी लाल, १४---श्री रामसिंह, १५---श्री रामहेतसिंह, १६---श्री लक्ष्मणराव कदम, १७---श्री वीरेन्द्र वर्मा, १८---श्री शब्बीर हसन, १९---श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव, २०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२ सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

आजमगढ़ जिले के राजकीय खादी केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की केन्द्र-वार सूचना ।

केन्द्र का नाम	स्पिनिंग सुपर-वाइजरों की संख्या	स्पिनिंग गाइड की संख्या	स्थानीय कार्य-कर्त्ताओं की संख्या
	वेतन-क्रम ६५–५–९०–ई० बी०–५–१२० रु०	वेतन-क्रम ३५–१–४० रु०	वेतन-क्रम ३५ रु० प्रति माह
१—जहानागंज ..	१	—	४
२—मोहम्मदाबाद ..	—	१	४
३—घोसी ..	१	१	४
४—मझवारा ..	—	१	४
५—सिधारी ..	१	—	३
६—बिलरियागंज ..	—	१	४
७—भैरोदासपुर ..	—	१	४
८—अतरौलिया ..	१	—	४
९—कोयलसा ..	—	१	२
१०—अहरौला ..	—	१	४
११—ठेकमा ..	—	१	४
१२—मेहनाजपुर ..	—	१	४
१३—बरूआगोदाम ..	—	—	४
१४—कोपागंज ..	—	१	४
योग ..	४	१०	५३

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

गुड़ एवं खंडसारी योजनान्तर्गत जिलों की सूची

१—इलाहाबाद
२—आजमगढ़
३—बदायूं
४—बहराइच
५—बलिया
६—बाराबंकी
७—बरेली
८—बस्ती
९—बिजनौर
१०—देवरिया
११—इटावा
१२—फैजाबाद
१३—गाजीपुर
१४—फर्रुखाबाद
१५—गोंडा
१६—गोरखपुर
१७—हमीरपुर
१८—हरदोई
१९—जौनपुर
२०—कानपुर
२१—लखीमपुर
२२—लखनऊ
२३—मैनपुरी
२४—मथुरा
२५—मिर्जापुर
२६—मुरादाबाद
२७—सीतापुर
२८—शाहजहांपुर
२९—उन्नाव
३०—वाराणसी
३१—एटा
३२—फतेहपुर
३३—सहारनपुर (देवबन्द)
३४—मुजफ्फरनगर
३५—पीलीभीत
३६—आगरा
३७—अलीगढ़
३८—सुल्तानपुर

संसद पुस्तकालय भवन

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

प्रश्न संख्या १११ के उत्तर में कथित तालिका

क्रम-संख्या	नाम वर्ष	नाम यूनियन और बकाया		
		वृजमनगंज	कम्पियरगंज	
		रु०	रु० न० पै०	
१	१९४७–४८	..	..	१७४.४५
२	१९४८–४९	..	..	९८.८४
३	१९४९–५०	..	१९.९८	४०२.६७
४	१९५०–५१			
५	१९५१–५२	..	..	७९.९४
६	१९५२–५३	..	..	२०६.१६
७	१९५३–५४	..	..	१२१.२८
८	१९५४–५५	..	२१२.६१	१४९.८०
९	१९५५–५६	..	१,०२०·०५	३३५.३३
	कुल योग ..		१,२५२.६४	१,५६८.४७

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न १२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर।)

तालिका

Statement showing the details about the factories against whom Recovery certificates have been issued—

Serial no.	Name of factory	Amount recovered (year-wise) (in lac rupees)				No. of certificates issued
		1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	
1	2	3	4	5	6	7
1	Simbhauli	0·96	..	..	..	1
2	Mohiuddinpur	3·41	..	..	..	1
3	Maliana	4·98	..	..	..	1
4	Modinagar	..	..	..	6·66	1
5	Daurala	..	..	..	1·39	2
6	Sakhauti Tanda	..	0·92	..	2·15	3
7	Bulandshahr	..	..	6·22	13·30	6
8	Shamli	3·25	..	2·44	12·32	4
9	Khatauli	4·46	..	2·37	..	3
10	Rohana	..	..	3·40	8·33	5
11	Mansurpur	..	..	9·92	29·38	9
12	Saharanpur	..	..	..	8·90	2
13	Lhaksar	3·32	..	..	3·27	2
14	Deoband	4·19	..	..	11·55	3
15	Iqbal pur	..	..	18·96	16·17	6
16	Bareilly	0·28	5·60	..	10·11	8
17	Baheri	..	..	8·85	..	3
18	Amroha	..	4·56	0·75	7·74	9
19	Belari	..	5·78	2·48	6·58	12
20	Bijnor	..	..	2·58	3·70	3
21	Dhampur	4·47	2·55	10·64	9·70	14
22	Kashipur	..	..	4·07	6·02	7
23	Pilibhit	..	7·66	3·15	14·00	6
24	Rampur	..	..	3·25	..	7
25	Rosa	..	7·29	4·05	13·34	8
26	Aira	..	..	..	2·23	1
27	Maholi	..	1·03	..	5·97	6
28	Biswan	..	..	1·27	..	1
29	Masodha	..	..	..	1·15	3
30	Basti	..	..	..	2·10	1
31	Munderwa	1·98	4·65	..	4·76	4
32	Jarwal Road	2·19	0·17	0·68	..	3
33	Sardarnagar	..	..	1·13	8·91	10
34	Pipraich	2·16	..	3·11	3·97	6
35	Siswabazar	0·96	..	..	2·98	2
36	Anandnagar	..	..	1·34	2·12	7

Statement showing the details about the factories against whom Recovery certificates have been issued

Serial no.	Name of factory	Amount recovered (year-wise) (in lac rupees)				No. of certificates issued
		1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	
1	2	3	4	5	6	7
37	Purtabpur	..	..	2·49	..	1
38	Baitalpur	..	..	10·22	6·48	4
39	Gauribazar	..	..	6·78	..	1
40	Nawabganj	0·03	..	..	..	1
41	Captainganj	0·61	..	4·91	4·14	7
42	Chhitauni	..	..	0·63	..	2
43	Ramkola (P)	3·56	..	1·70	0·41	5
44	Ramkola (K)	..	4·43	2·95	4·17	5
45	Seorahi	..	..	5·91	4·24	5
46	Laxmiganj	..	4·30	..	6·45	4
47	Khadda	14·21	8·92	11·29	25·11	15
48	Padrauna	14·33	19·19	3·18	..	9
49	Kathkuiyan	1·72	12·02	0·78	..	5
50	Deoria	..	3·35	5·91	4·73	17
51	Neoli	..	..	0·90	..	3
	Total ..	75·29	92·42	148·11	174·53	254

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३४ पर)

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को और संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२—इस अधिनियम में—

(१) "कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०।

(२) "हाई कोर्ट" का तात्पर्य है इलाहाबाद में स्थित हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर और इसके अन्तर्गत लखनऊ बेंच भी है।

ऐक्ट सं० ७, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद ११ का संशोधन।

३—कोर्ट फ़ीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे २२ अक्तूबर, १९५२ से रखा हुआ समझा जाय :

Number		Proper Fee
"11. Probate of a will or letters of administration with or without will annexed.	(*a*) When the amount or value of the property in respect of which the grant of probate or letters is made exceeds one thousand rupees; but does not exceed ten thousand rupees.	Two and a half per centum on such amount or value.
	(*b*) When such amount or value exceeds ten thousand rupees, but does not exceed fifty thousand rupees;	Three and one-fourth per centum on such amount or value.
	(*c*) When such amount or value exceeds fifty thousand rupees, but does not exceed one lakh rupees;	Three and three-fourth per centum on such amount or value.

Number		Proper Fee
	(*d*) When such amount or value exceeds one lakh of rupees, but does not exceed two lakhs of rupees;	On one lakh of rupees the fee payable under clause (*c*) and on the remainder five per centum
	(*e*) When such amount or value exceeds two lakhs of rupees, but does not exceed three lakhs of rupees;	On two lakhs of rupees the fee payable under clause (*d*) and on the remainder six and one-fourth per centum.
	(*f*) When such amount or value exceeds three lakhs of rupees, but does not exceed four lakhs of rupees;	On three lakhs of rupees the fee payable under clause (*e*) and on the remainder seven and a half per centum.
	(*g*) When such amount or value exceeds four lakhs of rupees, but does not exceed five lakhs of rupees;	On four lakhs of rupees the fee payable under clause (*f*) and on the remainder eight and one-fourth per centum.
	(*h*) When such amount or value exceeds five lakhs of rupees;	On five lakhs of rupees the fee payable under clause (*g*) and on the remainder eight and three-fourth per centum.
	Provided that when, after the grant of a certificate under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or under the Regulation of the Bombay Code, no. VIII of 1827, in respect of any property included in and estate, a grant of probate or letter of administration is made in respect of the same estate, the fee payable in resepct of the latter grant shall be reduced by the amount of the fee paid in respect of the former grant."	

ऐक्ट सं० ७, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद १२ का संशोधन ।

४—कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की अनसूची १ के अनुच्छेद १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

Number		Proper Fee
"12. Succession certificate under the Indian Succession Act, 1925.	(*a*) When the amount or value of the debt or security or the aggregate amount of the debts or securities to be specified under section 374 does not exceed twenty thousand rupees ;	Two and a half per centum on such amount or value.
	(*b*) When such amount or value exceeds twenty thousand rupees, but does not exceed fifty thousand rupees;	On twenty thousand rupees the fee payable under clause (*a*) and on the remainder three and one-fourth per centum.
	(*c*) When such amount or value exceeds fifty thousand rupees but does not exceed one lakh of	On fifty thousand rupees the fee payable under clause (*b*) and on the remainder three and three-fourth per centum.
	(*d*) When such amount or value exceeds one lakh of rupees but does not exceed two lakhs of rupees; rupees;	On one lakh rupees the fee payable under clause (*c*) and on the remainder five per centum.
	(*e*) When such amount or value exceeds two lakhs of rupees but does not exceed three lakhs of rupees;	On two lakhs rupees the fee payable under clause (*d*) and on the remainder six and one-fourth per centum.
	(*f*) When such amount or value xeceeds three lakhs of rupees but does not exceed four lakhs of rupees;	On three lakhs rupees the fee payable under clause (*e*) and on the remainder seven and a half per centum.
	(*g*) When such amount or value exceeds four lakhs of rupees but does not exceed five lakhs of rupees;	On four lakhs rupees the fee payable under clause (*f*) and on the remainder eight and one-fourth per centum.
	(*h*) When such amount or value exceeds five lakhs of rupees;	On five lakhs rupees the fee payable under clause (*g*) and on the remainder eight and three-fourth per centum.

Number	Proper Fee
Provided that the fee payable in the case of an application under section 376 of the Act shall be as worked out in the following manner—	
(i) Ascertain the aggregate amount of the debts or securities specified already in the certificate and the debts or securities to be specified on the application aforesaid.	
(ii) Calculate the fee payable on this aggregate amount in accordance with the provisions of clauses(*a*)to(*h*)above subject to the condition, however, that in respect of the amount in excess of the amount of debts or securities specified on application under section 372 of the Act the rates in the said clauses (*a*) to (*h*) shall respectively be deemed to be three and three-fourth per centum, four and three-fourth per centum, five and three-fourth per centum, seven and a half per centum, nine and a half per centum, eleven and one-fourth per centum, twelve and a half per centum and thirteen and one-fourth per centum.	
(iii) Out of the total amount of fee so worked out, deduct the court fee already paid for specification of debts or securities on the application under section 372 and on the applications, if any, under section 376 of the Act. The remainder shall be the fee payable on the application under consideration.	
Notes—(1) The amount of a debt is its amount, including interest on the day on which the inclusion of the debt in the certificate is applied for, so far as such amount can be ascertained.	
(2) Whether or not any power with respect to a security specified in a certificate has been conferred under the Act;	

Number	Proper Fee
	and where such a power has been so conferred, whether the power is for the receiving of interest or dividends on, or for the negotiation or transfer of the security, or for both purposes, the value of the security is its market-value on the day on which the inclusion of the security in the certificate is applied for, so far as such value can be ascertained."

कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन।

५—(१) यदि दिनांक २२ अक्तूबर, १९५२ को अथवा तत्पश्चात् वसीयत का प्रमाण-पत्र (probate) अथवा प्रबन्ध-पत्र (letters of administration) के प्रदान के लिये किसी प्रार्थना-पत्र, जिस पर इस अधिनियम द्वारा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० के अनुच्छेद ११ के अधीन देय कोर्ट फीस नहीं दी गई है के सम्बन्ध में उसके हाई कोर्ट में गृहीत अथवा अभिलिखित किये जाने की आज्ञा हो चुकी है तो तत्समय प्रचलित किसी विधि में कोई बात होने पर भी वह अधिकारी जिसका कर्त्तव्य हो कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त अधिनियम के अध्याय २ के अधीन देय शुल्क दे दिया गया है, तथा ऐक्ट की धारा ५ के अधीन अभिदेश किये जाने की दशा में वह प्राधिकारी जिसने न्याय शुल्क देने की आवश्यकता अथवा उसकी धनराशि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय दिया है ऐसे प्रार्थना-पत्र के गृहीत अथवा अभिलिखित करने से सम्बद्ध अपने आदेश अथवा निर्णय का पुनर्विलोकन करेगा तथा उस अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय उस प्रार्थना-पत्र पर ऐसे न्यायशुल्क (कोर्ट फी) की मांग करेगा जिसे वह देय और भुगतान योग्य समझे तथा समनुगामी अवधि पर्यन्त इस प्रार्थना-पत्र पर अग्रेतर कार्यवाहियां (further proceedings) जिनके अन्तर्गत वसीयत का प्रमाण-पत्र (probate) अथवा प्रबन्ध-पत्र (letters of administration) का प्रदान भी है, स्थगित रहेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन मांगे गये न्याय-शुल्क की अदायगी में चूक होने पर, गृहीता अथवा अभिलिखित किये जाने की पूर्व आज्ञा के होते हुये भी प्रार्थना-पत्र पर सब प्रकार से उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी मानो कि वह ऐसा प्रार्थना-पत्र हो जिस पर समुचित न्याय-शुल्क नहीं दिया गया है और यदि वसीयत का प्रमाण-पत्र (probate) अथवा प्रबंध पत्र (letters of administration) पहले से ही दे दिया गया हो तो उपधारा (१) के अधीन देय पाया गया न्याय शुल्क (कोर्ट फी) चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू अथारिटी के प्रमाण-पत्र पर उसी प्रकार किसी कलेक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगी जैसे कि वह माल-गुजारी की बकाया हो।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में यथाप्रवृत्त कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची १ के अनुच्छेद ११ तथा १२ में कतिपय असंगतियां दृष्टिगोचर हुई थीं और इनका ठीक किया जाना आवश्यक है। अनुसूची का वर्तमान अनुच्छेद ११, २२ अक्तूबर, १९५२ से प्रचलित हुआ तथा उसके संशोधन को उसी दिनांक से प्रभावी किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त-मंत्री।

प्रदेश सभा

नत्थी "च"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३४ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

पर

प्रवर समिति की रिपोर्ट

हमें जो कि प्रवर समिति के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ विचारार्थ दिया गया था। हमने उक्त विधेयक के विभिन्न खण्डों पर सविस्तार विचार कर लिया है और अब हम संलग्न विधेयक, जैसा कि हमने उसे संशोधित किया है, की एक प्रति सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

२--प्रवर समिति ने अपनी बैठकें लखनऊ में २९ अप्रैल, १९५७, ४ मई, १९५७, ३ अगस्त, १९५७ और २९ अगस्त, १९५७ को वित्त मंत्री के सभापतित्व में और नैनीताल में १ जुलाई, १९५७ को वित्त मंत्री के सभापतित्व में की।

३--विधेयक के सभी खण्डों पर विचार करने के उपरान्त हमने विधेयक में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की है। वे इस प्रकार है :

विधेयक का खण्ड २--यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिये।

विधेयक का खण्ड ३--यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिये।

विधेयक का खण्ड ४--हमें यह बताया गया था कि इस खण्ड के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा था उसका उद्देश्य संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३-कक के उपबन्धों को इस खण्ड में वर्णित माल पर कर लगाने के राज्य सरकार के अधिकारों से संबंधित उन उपबन्धों के अनुरूप बनाना है जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ में विद्यमान हैं और यह कि उक्त माल पर लगने वाले कर की दरों को बढ़ा कर २ प्रतिशत करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

जब हम विधेयक पर विचार कर रहे थे तो हमें यह सूचित किया गया कि भारत सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर ऐक्ट, १९५६ में कतिपय संशोधन कर दिये हैं, जिसके फलस्वरूप संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट की धारा ३-कक में भी कतिपय आनुषंगिक संशोधन करना आवश्यक हो जावेगा। इसलिये एक अवस्थान (स्टेज) पर हमने यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया था कि विधेयक के खण्ड ४ में ऐसे समुपयुक्त संशोधन किये जायं जिससे कि अधिनियम की धारा ३-कक में भी इन आनुषंगिक संशोधनों का समावेश हो जाय। किन्तु चूंकि भारत सरकार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कुछ और संशोधन करने का विचार कर रही है जिसके फलस्वरूप संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट की धारा ३-कक में भी कुछ और आनुषंगिक संशोधन करने आवश्यक हो जायेंगे, हमने यह सिफारिश नहीं की है। अतः हमारे निश्चित मत में विधेयक का खण्ड ४ वैसे ही रहने दिया जाय जैसा वह है और जब केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट) में और संशोधन, जो कि हमें मालूम हुआ है कि भारत सरकार के विचाराधीन हैं, कर लिये जायेंगे तो संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट की धारा ३-कक में भी और संशोधन किया जा सकता है जिससे कि आनुषंगिक सभी संशोधनों का एकीकृत रूप में उसमें समावेश हो जाये।

विधेयक का खण्ड ५--विक्रय कर आयुक्त, श्री एम० एम० सिद्दीकी ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि इस खण्ड में प्रदर्शित ढंग पर संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट को संशोधित करने की आवश्यकता इस बात के कारण हुई है कि जब किसी फर्म को पुनः संगठित

किया जाता है और पुरानी फर्म के हिस्सेदारों की अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती तो उस दशा में पुरानी फर्म पर लगाया हुआ कर संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट के वर्तमान उपबन्ध के अधीन राज्य को नहीं मिलता। समिति को यह भी बताया गया कि अपने फर्मों को पुनः संगठित करने से विवेक-शून्य व्यापारियों को कर से बचने में सफलता मिलती है। इस बात पर मतैक्य था कि इस प्रकार की कर वंचना (टैक्स इवेजन) का उन्मूलन करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये लेकिन विधेयक के खण्ड ५ के ढंग पर अधिनियम में उपबन्ध रखने के औचित्य के सम्बन्ध में मतभेद था क्योंकि यह आशंका थी कि इस प्रकार के उपबन्ध से फर्मों के पुनः संघटन के वास्तविक मामलों में कष्ट होगा। इस विषय पर बहुत सोच विचार करने के बाद समिति ने यह अनुभव किया कि विधेयक के खण्ड ५ के अन्तर्गत जो उपबन्ध रखने का विचार किया गया है उससे कुछ परिस्थितियों में वास्तविक कष्ट होगा। तदनुसार समिति यह सिफारिश करती है कि विधेयक के खण्ड ५ में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(ग) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि संस्था या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसी संस्था या संघ ने अपना व्यापार हस्तांतरित कर दिया है और पूर्वोक्त रूप में हिस्सेदार अथवा सदस्य द्वारा देय कर उस से नहीं वसूल किया जा सकता है तो उसे पुनःसंघटित संस्था अथवा संघ से वसूल किया जा सकता है। और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब इस प्रकार संस्था अथवा संघ से कर वसूल किया जाय तो ऐसी संस्था अथवा संघ को अधिकार होगा कि वह उस हिस्सेदार अथवा सदस्य से जो मूलतः कर देने का जिम्मेदार था यह कर वसूल कर ले।"

विधेयक का खण्ड ६—हम यह अनुभव करते हैं कि संदेहात्मक मामलों में व्यापारियों से प्रतिभूति मांगने के लिये एक उपबन्ध होना चाहिये, दूसरी ओर इस बात के लिये भी उपबन्ध होना चाहिये कि असन्तुष्ट पक्ष उससे प्रतिभूति मांगने के कर निर्धारक प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण (रिवीजन) करा सके। तदनुसार हममे यह सिफारिश की है कि इस खण्ड के अन्त में इस आशय का प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध जोड़ दिया जाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावित धारा के अधीन दिये गये आदेश से असन्तुष्ट हो तो वह ऐसे आदेश के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर किन्तु प्रतिभूति की धनराशि जमा कर देने के बाद पुनरीक्षक प्राधिकारी के पास पुनरीक्षण (रिवीजन) के लिये आवेदन कर सकता है, जो ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

विधेयक का खण्ड ७—हमने सिफारिश की है कि विधेयक की हिन्दी प्रति में खण्ड७ के उपखंड (१) में शब्द "ऐसे व्यापार के पन्द्रह दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यापार के बन्द होने के पन्द्रह दिन के भीतर" रखे जायं ताकि विधेयक हिन्दी प्रति की भाषा विधेयक की अंग्रेजी प्रति की भाषा के अनुरूप हो जाय।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम	केशव पाण्डे
मदन मोहन वर्मा	सोहनलाल धुसिया
जगदीश शरण अग्रवाल	वीरेन्द्र शाह*
मलखान सिंह	गया बख्श सिंह*

*निम्नलिखित विमति टिप्पणी के अधीन:

खण्ड ६ से सहमत नहीं हैं। बाकी रिपोर्ट पर अपने संशोधन रखने के अधिकार रखते हुये हस्ताक्षर करते हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। प्रवर समिति द्वारा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है और निकाला हुआ विषय कोष्ठकों "[ ]" में है।)

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ५ द्वारा किये गये संशोधन, इस अधिनियम के प्रचलित होने के पहले वाले किसी भी वर्ष के निमित्त कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, चाहे ऐसे कर-निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हैं अथवा नहीं पूर्ण हो गये थे या नहीं पूर्ण हो गये हैं।

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३ का संशोधन।]

[२—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "तीन पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "दो प्रतिशत" रख दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "६ पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन प्रतिशत" रख दिया जाय।]

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-क का संशोधन।]

[३—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (२) में शब्द और संख्या "१ आना प्रति रुपया" के स्थान पर शब्द "छै प्रतिशत" रख दिया जाय।]

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-कक का संशोधन।]

२ [४]—मूल अधिनियम की धारा ३-कक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

कुछ मालों के संबंध में कर की दर तथा अवस्थान (Rate and point)।

३-कक—(१) धारा ३ या ३-क में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित मालों के विक्रय-धन पर, व्यापारी द्वारा उप भोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़ कर, बिक्री कर नहीं लगेगा तथा कर की दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी :

(१) कोयला, जिस के अन्तर्गत कोक अपने सभी रूपों में है।

(२) रूई, अर्थात्, सब प्रकार की रुई (देशी अथवा विदेश से आयात की हुई) अपनी कच्चे माल वाली अवस्था में, चाहे ओटी हो अथवा न ओटी हो, गांठ बनायी गई, दबाई गई लेकिन इसके अन्तर्गत छीजी रूई (Cotton waste) नहीं है।

(३) खालें तथा चमड़े (Hide and skins) चाहे कच्चे हों अथवा परिशोधित अवस्था में हों।

(४) लोहा तथा इस्पात, अर्थात् (क) कच्चा लोहा (Pig-Iron) तथा लोहे का क्षेप्य (Iron Scrap)।

(ख) लोहे की प्लेटें (Iron plates);

सीधे उसी रूप में जिसमें वे रोलिंग मिलों (rolling mills) में बनी हों।

(ग) इस्पात का क्षेप्य (Steel Scrap), इस्पात के पिण्ड (Steel ingots), इस्पात पिण्डक (Steel billet), इस्पात के सींवचे, (Steel bars) तथा सरिया (rods),

(घ) इस्पात की प्लेटें (Steel plates)
(२) इस्पात की चादरें (Steel sheets)
(३) शीट बार्स (Sheets bars) तथा टीन की सरिया (Tin bars)
(४) रोल किये हुए तथा इस्पात के भारी टुकड़े (Rolled and Steel Section)
(५) टूल अलाय स्टील (Tool alloy Steel)

} उसी रूप में बिक्री जिस में कि बेल्लन निर्माण मिलों से सीधे बनते हैं।

(५) पटसन, अर्थात् कोरकोरस (Corchorus), कैपसूलैरिस, तथा कोरकोरस, ओलीटोरियस उपजातियों से निकाले गये रेशे (fibre) तथा हिबिसकस केनापिनस (Hibiscus cannapinus) तथा हिबिसकससब डेरी फेबर एलटिस्मा (Hibiscus Subderi favar altissima) से निकाले गये रेशे जिनको मेस्टा या बिमली (mesta or bimli) कहा जाता है, चाहे उनकी गांठें बनायी गई हों या न बनाई गई हों।

(६) तिलहन (oil-seeds) अर्थात् ऐसे तिलहन जिन से मनुष्यों द्वारा काम में लाये जाने वाले, न उड़ने वाले (Non-Volatile) तेल निकाले जाते हों, या जो उद्योग में अथवा वार्निश, साबुन तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के निर्माण में, अथवा स्नेहन (Lubrication) के लिए प्रयुक्त किये जाते हों, तथा ऐसे उड़ने वाले तेल जो मुख्यतः औषधियों, सुगंधियों शृंगार प्रसाधनों (cosmaties) तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होते हों।

(२) जब तक कि व्यापारी अन्यथा सिद्ध न कर दे, उप धारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त व्यापारी द्वारा की गयी प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता के हाथ की गयी बिक्री समझी जायेगी।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में एक नयी धारा ३-ग का रखा जाना।

३ [५]—मूल अधिनियम की धारा ३-ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३-ग के रूप में रख दिया जाय:

"३-ग—किसी भी विघटित संस्था (firm) इत्यादि के कर का दायित्व—

यदि व्यापारी एक संस्था, अथवा व्यक्तियों का संघ, अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हैं तथा ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया है, तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसे बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिए देय कर इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा (assessed and determined) मानों कि ऐसी बन्दी हुई ही न हो, तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बन्दी के समय ऐसी संस्था का हिस्सेदार, अथवा ऐसे संघ अथवा कुटुम्ब का एक सदस्य रहा हो, तो वह ऐसी बन्दी के होते हुए भी ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर का भुगतान करने के निमित्त पृथक्-पृथक् अथवा संयुक्त रूप से कर देने का उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसा कर-निर्धारण बन्दी (discontinuance) के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही एक व्यापारी हो।

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त रूप में हिस्सेदार अथवा सदस्यों द्वारा देय कर जब उनसे न वसूल किया जा सके तो वह कर-निर्धारण के समय पुनःसंघटित संस्था अथवा संघ से वसूल किया जा सकता है।]

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि संस्था या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है अथवा ऐसी संस्था या संघ ने अपना व्यापार हस्तान्तरित कर दिया है और पूर्वोक्त रूप में हिस्सेदार अथवा सदस्य द्वारा देय कर उससे नहीं वसूल किया जा सकता है तो उसे पुनः संघटित संस्था अथवा संघ से वसूल किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब इस प्रकार संस्था अथवा संघ से कर वसूल किया जाय तो ऐसी संस्था अथवा संघ को अधिकार होगा कि वह उस हिस्सेदार अथवा सदस्य से जो मूलतः कर देने का जिम्मेदार था यह कर वसूल कर ले।

स्पष्टीकरण—किसी संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन (dissolution) अथवा पुनः संघटन (reconstitution) अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार की स्थगनबन्दी समझी जायगी।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन।

४ [६]—मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(६) कर-निर्धारक अधिकारी जहां पर राजस्व की सुरक्षा के निमित्त उसे ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को रजिस्टर्ड करने के लिए अथवा उस के ऐसे रजिस्ट्रेशन को बनाये रखने के लिए यह अपेक्षा आरोपित कर सकता है कि व्यापारी उस कर की अदायगी के निमित्त जिसका कि वह देनदार हो या आगे चल कर देनदार हो जाय, ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित धनराशि की, तथा उसी के द्वारा अपेक्षित रीति से, प्रतिभूति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।"

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिये जाने के ३० दिन के भीतर किन्तु प्रतिभूति की राशि जमा कर देने के उपरान्त पुनरीक्षण प्राधिकारी (revising authority) के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १८ का संशोधन।

५ [७]—मूल अधिनियम की धारा १८ में (१) शब्द "व्यापार बन्द होने वाले महीने की समाप्ति के तीस दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यापार के बन्द होने के पन्द्रह दिन के भीतर" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के अधीन वर्तमान "स्पष्टीकरण" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"स्पष्टीकरण—किसी व्यापारिक संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनर्संगठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थ में व्यापार का बन्द करना माना जायगा।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, जैसा कि वह इस समय है, उन फर्मों में जो कुछ काल तक व्यापार करने के पश्चात् विघटित हो जाते हैं, बिक्री कर निर्धारण तथा उगाही की रीतियों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं करता। इस कमी को दूर करने के विचार से ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है। दशमलव सिक्कों (decimal coinage) के तथा सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ के प्रचलन के फलस्वरूप कतिपय संशोधनों का भी इसी अवसर पर समावेश किया जा रहा है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मन्त्री।

डी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३८ एस० ए०—१९५७—७९६।